Saturday, 25 August, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

ततीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक-सभा

शनिवार, २५ अगस्त, १९६२

३ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्कूलों की शृंखला

+

*५७५. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन पर कि हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों की शृंखलाबद्ध स्थापना की योजना तैयार की जा रही है, क्या प्रगति हुई है ;

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा तीन भाषाओं वाले कितने स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का आरम्भ में विचार है और वे कहां-कहां हैं ; और

(ग) इस शिक्षा बोर्ड द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम से प्रथम परीक्षायें किस वर्ष में होंगी और किन राज्यों के छात्र इन परीक्षाओं में बैठेंगे ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अस्थायी लोगों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दिल्ली में ३०९ उच्चतर माध्यमिक स्कूल और अहमदाबाद में एक स्कूल शामिल हैं। इनमें से १० संस्थाएं अनिवार्य आधार

†मूल अंग्रेजी में

1769 (Ai) LSD— 1

पर भाषाएं पढ़ाती हैं और शेष संस्थाएं बोर्ड का अखिल भारतीय पाठ्यक्रम चालू होने पर त्रयभाषीय सूत्र को अपना लेंगी ।

(ग) केन्द्रीय बोर्ड इस समय अपनी अखिल भारतीय परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, जो संभवतः इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायेगा । पाठ्यक्रम के स्कूलों में चालू हो जाने के तीन वर्ष बाद उस पाठ्यक्रम के आधार पर पहली परीक्षा ली जायेगी । अन्तरावधि में बोर्ड वर्तमान पाठ्यक्रमों के आधार पर परीक्षाएं लेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या जिस प्रकार आजकल दिल्ली और अहमदाबाद में स्कूल हैं उसी तरह सरकार प्रादेशिक आधार पर स्कूलों को मान्यता देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । ये स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं और ये माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड से सम्बद्ध परीक्षा से सम्बन्धित होंगें ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण में बतलाया गया है कि इन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से दिल्ली के ३०९ उच्चतर माध्यमिक स्कूल और एक अहमदाबाद का स्कूल है । मैं जानना चाहता था कि क्या ये संस्थायें प्रादेशिक आधार पर देश के विभिन्न भागों में स्थापित की जायेंगी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हां, श्रीमन् । मैंने पहले ही कहा है कि यदि स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करें तो संभवतः वे उच्चतर शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड से सबम्द्ध हो सकते हैं। एक शर्त यह है कि राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिये ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : बोर्ड अखिल भारतीय परीक्षा स्थापित करना चाहता है । यह अखिल भारतीय परीक्षा आजकल अन्य राज्यों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्कल बोर्डों द्वारा की जा रहीं परीक्षाओं से कहां तक भिन्न है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस बोर्ड की विशेष बातें हैं ; हम परीक्षा के माध्यम के रूप में केवल भाषाओं की अनुमति दे रहे हैं। जहां तक अन्य स्कूलों का सम्बन्ध है वे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में परीक्षा लेते हैं। जितने स्कूल इस बोर्ड के सामूहिक पाठ्यक्रम को अपनायेंगे उन्हें बोर्ड से सम्बद्ध कर दिया जायेगा ; यदि राज्य सरकारों ने सहमति दे दी ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या अध्ययन के उच्चतर माध्यमिक स्कूल को इस बोर्ड द्वारा मान्यता दी जायेगी अथवा नहीं और क्या यह पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि क्या इन नये स्कूलों में उपयुक्त संख्या में अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह भिन्न प्रश्न है । माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछें ।

†**श्री दाजी** : कितनी भाषाएं तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती हैं और क्या स्कलों में तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य को विदित है कि छात्र को अंग्रेजी और हिन्दी दो भाषाएं पढ़नी हैं और जिन राज्यों में हिन्दी मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा है उन्हें एक और भारतीय भाषा पढ़नी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों की ओर से शिक्षा मंत्रालय को कुछ ऐसे ज्ञापन मिले हैं कि इस श्रंखला में कुछ कठिनाइयों भी आयेंगी ? यदि हां, तो उन का समाधान करने का क्या प्रकार सोचा गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जब कठिनाइयां सामने आयेंगी तो उन का मुकाबला किया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : केन्द्रीय बोर्ड से सम्बद्ध होने वाले स्कूलों की विशेष बात यह होगी कि वे केवल हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ायेंगे। क्या इस का यह अभिप्राय है कि उस बड़े क्षेत्र में जहां की क्षेत्रीय भाषा हिन्दी है इन स्कूलों का कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वे पहले ही हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ? क्या उस क्षेत्र के २० करोड़ लोगों को इस का कोई लाभ नहीं होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना के प्रयोजन को नहीं समझ पाये । पहले तो यह बोर्ड दिल्ली क्षेत्र के सभी स्कूलों के लिए है । फिर ऐसे स्कूल भी इससे सम्बद्ध होंग जो सामूहिक पाठ्यक्रम को अपनायेंगे । एक शर्त यह भी है कि इन संस्थाओं में माध्यम के रूप में केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषाएं होंगी । इसलिए यदि राज्य सरकार सहमत हो तो कोई भी स्कूल जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का माध्यम हो इस बोर्ड से सम्बद्ध हो सकती है ।

माननीय सदस्य को विदित है कि अन्य राज्यों में शिक्षा या परीक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं हैं ।

इस बोर्ड का सम्बन्ध केवल उन स्कूलों से होगा जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनका स्थान स्थान पर स्थानान्तरण होता रहता है । यह स्पष्ट है कि जो बच्चा तामिल भाषा के माध्यम से शिक्षा पा रहा है, यदि उसका स्थानान्तरण उड़िया में हो जाता है जहां शिक्षा का माध्यम उड़िया है तो उस बच्चे को कठिनाई होगी । हमारा यह विचार है कि हर राज्य में कुछ स्कूल हों जहां अंग्रेजी या हिन्दी शिक्षा का माध्यम हो ताकि इससे न केवल बच्चों के स्थानान्तरण में सुविधा प्राप्त हो बल्कि वे एक समान परीक्षा में बैठ सकें ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन

+

†*५७६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उच्च प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने स्वायत्तशासी विकास होते हुए अपने ढंग से और खान तथा ईंधन मंत्रालय के परामर्श से निगम के पुनर्गठन की योजना आरम्भ की है। प्रयोजन यह है कि विभिन्न स्तरों पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिये जायें ताकि प्राधिकारी परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करन के लिये निर्णय कर सकें ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि सरकार वर्तमान राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तीन या चार प्रादेशिक निगमों में बांटने का विचार कर रही है, यदि हां, तो उनकी राशियां और कृत्य क्या होंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक को सुझाव दिया था जो व्यक्तिगत रूप में इससे सहमत हो गया था और अब निगम की महा-सभा में सुझाव रख संस्था के अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए प्रयत्नशील है ।

यह भी सच है कि मंत्रालय ने प्रबन्ध निदेशक को यह सुझाव दिया था कि जहां तक निगम के लिए यह करना संभव है कोयला पैदा करने वाले क्षेत्रों को छः क्षेत्रों में बांटदेना चाहिये और उन्हें इतना अधिकार दे देना चाहिए जितना वे कार्यान्वित कर सकते हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लक्ष्य के अनुसार कोयले का उत्पादन नहीं कर सका और यदि ऐसा है तो क्या सरकार को पता लगा है कि यह केन्द्रीय नियंत्रण के कारण था या, अप्रभावी नियंत्रण के कारण या किसी अन्य कारणवश ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : नहीं श्रीमान । मैं इसे सर्वथा अस्वीकार करता हूं । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है । । मेरे मित्र को जो कि कोयले के उत्पादन में रुचि रखता हैं, यह विदित है कि कोयले के खान को पूर्ण रूप से विकसित होने में पांच से सात वर्ष तक लग जाते हैं। वह खान इतना कोयला नहीं पैदा कर सकती जितनी कि योजना होती है, यदि उसका कार्य नियमित ढंग से हो और यदि खान को विनष्ट न किया जाये । अतः उचित समय पर योजना के अनुसार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अपने कार्यक्रम को पूरा कर रहा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : राष्ट्रीय कोयला विकास ने स्वीकार किया है कि वह अपनी वर्तमान क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है। क्या निगम के कम उत्पादन के लिए परिवहन सम्बन्धी रुकावटों के अतिरिक्त अन्य कारण से भी वर्तमान प्रशासन उत्तरदायी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कम उत्पादन के कुछ मामले ऐसे हुए हैं जिनमें जान बूझ कर दुर्घटनाओं से बचने के लिए अथवा कोयला बाहर न जा सकने के कारण कम उत्पादन हुआ है । यह विशेष रूप से कहने का कोई उपयोग नहीं कि रेलवे परिवहन की रुकावटों के कारण कोयला नहीं ले जाया जा सका ।

कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें उत्पादन में कमी संभवतः इस कारण हुई है कि कर्मचारियों अथवा संगठन सम्बन्धी कठिनाइयों का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को सामना करना पड़ा है। किन्तु मुझे ऐसे किसी मामले का पता नहीं जिसमें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अक्षमता या असर्थता के कारण उत्पादन नहीं कर सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव में यह भी विचार किया गया है कि खानों के स्थानीय प्रबन्धों को जो कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन हैं अधिक अधिकार दिये जायें ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बिल्कुल ऐसा ही विचार है ।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बया** : क्या सरकार का विचार सिंग्रेनी कोयला क्षेत्र को भी राष्ट्रीय कोयला विकास के अधीन लाने का है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हां, श्रीमान् । मंत्रालय का यह विचार है कि सिंग्रेनी कोयला क्षेत्र भी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सहयोग से काम करे । उस सहयोग और सहकारिता का स्वरूप क्या होगा उस पर आन्ध्र प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ।

बचत और बढ़ते हुये मूल्य

+

†*५७७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का रक्षित बैंक (रिजर्व बैंक आफ इंडिया) इस सम्बन्ध में जांच कर रहा है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि का लोगों की बचत-क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) क्या उसने सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है और वह संभवतः कब तक अपना कार्य पूरा कर लेगा ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह रक्षित बैंक को बताना होता है कि लोगों की आय अथवा लोगों की बचत की क्षमता बढ़ गई है ? क्या सरकार यह जानने के लिए कि क्या लोगों की बचत की क्षमता बढ़ रही है अथवा नहीं, कोई विशेष व्यवस्था स्थापित करने का विचार रखती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकार के लिये विशेष व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है । जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है महालनोविस समिति देश में बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण का ध्यान रखती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने कहा है कि महालनोविस समिति ने इस बात पर विचार किया है । क्या यह सर्वेक्षण गांवों में किया गया है अथवा कस्बों और नगरों में भी किया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : महालनोविस समिति राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के प्रश्न पर विचार करती रही है और यह विचार करती रही है कि इसका किस प्रकार

---

†मूल अंग्रेजी में

वितरण किया गया है । वे जिस साधन को अपना रहे हैं वह इस सम्बन्ध में निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सामान्य साधन हैं किन्तु इस सम्बन्ध में उपयुक्त तथ्य एकत्र करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : चूंकि बचत का आधार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर है अतः क्या इन चीजों का सर्वेक्षण करने के लिए किसी गैर सरकारी अभिकरण को काम सौंपा गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्यों में वृद्धि कहां होती है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तिगत बचत में कमी होने से व्यापारगत बचत बढ़ जाती है या व्यापारगत बचत की कमी व्यक्तिगत बचत में वृद्धि हो जाती है । अतः इस पहलू पर भी विचार करना है किन्तु इसी पहलू से बचत की मात्रा नियंत्रित नहीं है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिए क्या कोई प्रभावी प्रयत्न किया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकार को इस गम्भीर समस्या का सदा ध्यान है और वह मूल्यों में समानता और स्थिरता लाने के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री महीड़ा** : क्या बहुत साधारण आय वाला व्यक्ति इन दिनों में जब वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक हैं कुछ बचा सकता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया है सर्वेक्षण नहीं किया गया । अतः इस सम्बन्ध में निश्चित उत्तर देना संभव नहीं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों से यह प्रश्न उत्पन्न है । क्या मैं यह समझूं कि सरकार यह मानती है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं क्योंकि वित्त मंत्री ने आय-व्ययक भाषण में यह कहा था कि उनकी एक सफलता यह है कि उन्होंने मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे मानते हैं कि मूल्य बढ़ रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य तर्क कर रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं तर्क नहीं कर रहा । मैं तो जानना चाहता हूं कि क्या वे मानते हैं बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह प्रश्न प्रासंगिक है । बचत का मूल्यों के साथ सम्बन्ध है । सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है कि इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सरकार को यह समस्या विदित है कि मूल्य बढ़ रहे हैं ।

कोयले के संभरण की स्थिति

\+

†*५७८ { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय से आगे कोयले के संभरण की स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोयले का संभरण अब भी अपर्याप्त है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कोयला खानों से कोयला ले जाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां श्रीमान्, क्योंकि मांग उपलब्ध कोयले से कहीं अधिक बढ़ गई है ।

(ग) सामान्यतः सारे देख के भागों और विशेषतः मुगलसराय से उपर के भागों में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त संभरण करने के हेतु निम्नलिखित मुख्य मुख्य काम किये जा रहे हैं :

(१) बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों से "मुगलसराय क्षेत्रसे उपर" १०० डिब्बा अतिरिक्त प्रतिदिन के हिसाब से जुलाई, १९६२ से रेल यातायात की क्षमता बढ़ा दी गई है ।

(२) कोयले के बड़े बड़े खण्डों का भारी प्रकार के डिब्बों में यातायात ।

(३) यह अनुरोध किया जा रहा है कि कोयला खानों में रविवार और छुट्टियों के दिन भी कोयले के डिब्बे भरे जायें ।

(४) सिंग्रौली कोयला क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजना तैयार की गई है और यह सारा कोयला "मुगलसराय से ऊपर" के प्रदेश में उद्योगों के लिए होगा ।

(५) कुछ कोयला पश्चिम बंगाल/बिहार कोयले की खानों से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में थोड़े फासले के लिए नदी और सड़क द्वारा भेजने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि मार्च १९६२ में केवल ५० प्रतिशत मांग पूरी की गई थी । यदि हां, अभ्यंश बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं अभी यह नहीं कह सकता कि केवल ५० प्रतिशत अभ्यंश की पूर्ति की गई थी । किन्तु यह सच है कि न केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रत्युत सारे देश के लिए अभ्यंश में कोयले की उपलब्ध मात्रा के अनुसार काट छांट कर दी गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ कमी कर दी गई थी । कोयले का संभरण बढ़ गया है और हम और कदम उठा रह हैं जिससे निश्चय ही स्थिति में अधिक सुधार होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कोयला जमा करने के जो भंडार बनाये गये थे वे पर्याप्त संभरण न होने के कारण खाली पड़े हैं । यदि हां तो उन में कोयला पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उन भंडारों में काफी कोयला रखने के लिए हम उपयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं । कभी कभी भंडार पूरे होते हैं और कोयला अधिक शीघ्रता के साथ वहां से ले जाया जाता है और उन्हें फिर से भरने में कुछ अधिक समय लग जाता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सरकार ने अपनी कोयले सम्बन्धी नीति की समय समय पर घोषणा की है । एक बार यह कहा था कि रेल के अतिरिक्त सड़कों से कोयला ले जाया जाएगा, फिर कहा कि पानी के मार्ग से भेजा जाएगा । क्या सरकार अब यह बताने की स्थिति में है कि यह अभाव कब तक समाप्त हो जाएगा ?

श्री के० दे० मालवीय : मैंने प्रश्न के उत्तर में यह निवेदन किया है कि सड़क और नदी से कुछ कोयला ऊपर उत्तर प्रदेश के लिए भेजा गया है । इसका अभाव कब समाप्त हो जाएगा

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बताना कठिन है क्योंकि मांग बहुत बढ़ रही है । फिर भी इससे बहुत सहायता मिल जाएगी, और सितम्बर के आखिर में या अक्तूबर के शुरू में ऐसा हो सकता है, अगर सरकार ने इसको मंजर कर लिया, कि कोयला नदी से ले जाया जाए ।

†**श्री अ० चं० गुह** : कोयले के अन्तर्देशीय जलमार्ग से ले जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि कोई योजना है तो कितना कोयला अन्तर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सम्बंधित राज्य और भारत सरकार के सम्बंधित मंत्रालय इस विषय पर विचार कर रहे हैं । मैं योजना का संकेत पहले ही कर चुका हूं । मैं समझता हूं कि सम्बंधित राज्य द्वारा योजना स्वीकृत होने पर उसकी घोषणा करना अधिक अच्छा होगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने कोई ऐसा कायदा लागू किया है कि जहां कोयला निकाला जाता है वहां से २०० या ३०० मील तक कोयला रेल से नहीं बल्कि ट्रक से जाएगा ?

श्री के० दे० मालवीय : ऐसा कोई कायदा तो नहीं बनाया है लेकिन यह हमारे मंत्रालय की ख्वाहिश जरूर है कि जहां कोयला पैदा होता है वहां से तीस चालीस मील के अन्दर तक यदि सम्भव हो सके, और अगर हमारी बात मान ली जाए, तो रेल को बचाया जाए और सड़क से या और किसी तरीके से कोयला पहुंचाया जाए ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने यह शिकायत की है कि मध्य प्रदेश की जिन खदानों से कोयला निकलता है उसको ट्रकों से ले जाना सेंटर ने बन्द कर दिया है ?

श्री के० दे० मालवीय : यह बहुत बड़ा सवाल है । अब सब स्थानों के बारे में बतलाना कि कोयला सड़क से जाता है या नहीं मुश्किल है लेकिन जहां कहीं सड़कों से कोयला जाता है वहां हमें कोई एतराज़ नहीं है । मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अगर सड़क से कोयला ले जाना चाहती है तो हम क्यों एतराज करेंगे ?

रूरकेला में उर्वरक संयंत्र

+

†*५७९ { **श्री ब० कु० दास** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या अमोनिया बनाने वाला और अमोनिया साफ करने वाला विभाग ए क साथ काम करने लगेंगे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन दोनों विभागों की उत्पादन-क्षमता क्या होगी ; और

(घ) इस संयंत्र की कुल लागत कितनी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) संयंत्र प्रायः तैयार हो चुका है। एक धारा के सितम्बर, १९६२ में चालू होने की आशा है ।

(ख) अमोनिया का उत्पादन करने वाले और अमोनिया को तैयार करने वाले विभागों के एक के छः सप्ताह बाद दूसरे के चालू हो जाने की संभावना है ।

(ग) अमोनिया उत्पादन संयंत्र की स्थापित क्षमता ४६३ टन प्रति दिन है । जब यह संयंत्र पूरा उत्पादन करेगा तो प्रतिदिन १८०० टन केलशियम अमोनियम नाइट्रेट तैयार करेगा ।

(घ) उपनगर और तत्संबंधी अन्य विर्माण कार्यों पर २३ करोड़ रुपया ।

†**श्री ब० कु० दास** : इस संयंत्र से जो नाइट्रोजन निकलेगी क्या वह उस उर्वरक कारखाने द्वारा प्रयोग की जायेगी जो कि स्थापित किया जा रहा है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : हां, श्रीमान् ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस संयंत्र में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक तैयार किये जायेंगे । क्या यह अमोनियम सल्फेट होगा, दोहरा नमक या यूरिया ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : यह केलशियम अमोनियम नाइट्रेट होगा ।

†**श्री विभूति मिश्र** : रूरकेला में जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा है उस का और उस के साथ ही साथ हिन्दुस्तान में और जगहों के भी जितने फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उन का एक पूल बना कर फर्टिलाइजर का सारे हिन्दुस्तान में वितरण होगा या रूरकेला प्लांट का फर्टिलाइजर केवल वहीं उड़ीसा के लिए होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इसका वितरण देश भर में किया जाता है ।

प्रोत्साहन लाभांश योजना

†*५८०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों सहित भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को प्रोत्साहन लाभांश योजना के लागू होने के बाद पहले छः महीनों में १७,३४,००० रुपये से ज्यादा बोनस मिला है ;

(ख) यह योजना कब लागू की गई थी और कितने कर्मचारियों को उससे फायदा हुआ है ;

(ग) क्या भिलाई में प्राप्त कार्यकुशलता परिणामों के अनुभव से यह योजना इसी प्रकार के उद्यमों में लागू करना उचित है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना को और जगह लागू करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह योजना १ दिसम्बर, १९६१ से चालू की गई है और इससे १३००० श्रमिकों को लाभ हुआ है ।

(ग) तथा (घ) . यह योजना सरकारी उद्योग के क्षेत्र तीनों संयंत्रों के सम्बंध में है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : योजना के चालू करने से किस सीमा तक उत्पादन में वृद्धि हुई है और काम का कितना हिस्सा श्रमिकों और उद्योग में बांटा जाता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : इसे क्रमिक आधार पर चलाया जाता है । न्यूनतम उत्पादन निर्धारित किया गया है और उससे अधिक उत्पादन का बोनस के लिए ध्यान में रखा जाता है । १०० प्रतिशत उत्पादन आरम्भ होने पर उन्हें ५० प्रतिशत बोनस मिलेगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : प्रबंध में भत्ता लेने के लिए श्रमिकों को अवसर देने की योजना के रूप में दूसरा कदम उठाने का विचार है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है किन्तु उस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्योंकि तीनों संयंत्रों प्रोत्साहन बोनस योजना आरम्भ कर दी गई है अत: क्या हम यह समझें कि तीनों संयंत्रों के परिणाम एक समान न होने को ध्यान में रखते हुए दो संयंत्रों की तुलना में भिलाई की अधिक क्षमता क्या अन्य कारणों से है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हां श्रीमान् उसके भिन्न कारण हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह उत्पादन बोनस काम के लिए स्थायी रूप से रखे गये ६००० कर्मचारियों को नहीं दिया जाता और यदि हां, तो क्या उन्हें भी बोनस देने की योजना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : संयंत्र में काम करने वाले विभिन्न वर्गों को बोनस दिया जाता है । वे वर्ग हैं उत्पादन वर्ग, संधारण वर्ग, सेवा वर्ग, सामान्य वर्ग । यदि वे इन वर्गों के अन्तर्गत आते हैं तो बोनस के पात्र हैं ।

†**श्री ना० श्रीकान्तन नायर** : योजना चालू करने से पूर्व मासिक औसत उत्पादन कम का और योजना चालू करने के बाद उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : ये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं किन्तु कर्मचारी के बोनस का पात्र बनने से पूर्व उत्पादन की कतिपय प्रतिशतता निर्धारित की जाती है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या कुछ प्रतिशत बोनस अच्छी सुविधाओं के रुप में दिया गया था या सारा बोनस नगद दिया गया था ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : सारी राशि नगद दी गई थी ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या यह केवल उत्पादन बोनस है या इस का सम्बन्ध प्राप्त लाभ से है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : लाभ को ध्यान में नहीं लिया गया क्योंकि वर्तमान काम पूरा उत्पादन करने के लिये है ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह बोनस प्राप्त लाभ पर दिया जाता है, या यह प्रोत्साहन के लिये दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैंने अभी श्री जैन के प्रश्न का उत्तर दिया जोकि ऐसा ही था ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या संसद् में नियमित रूप से आने के लिये संसद् सदस्यों के लिये कोई बोनस की कोई योजना है ? (**बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

व्यक्तित्व परीक्षण[1]

†***५८१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले व्यक्तित्व परीक्षण तथा सेवा में अपना उत्तरदायित्व निभाने में पदाधिकारियों की कार्य कशलता के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा किये गये अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) उस अध्ययन को देखते हुए क्या परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

†**गृह-कायं मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). यह अध्ययन अभी अन्तिम रुप में पूरा नहीं हुआ और सारे मामले पर संघ सेवा आयोग के साथ परामर्श सहित विचार किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह अध्ययन आरम्भ करने से पूर्व कुछ प्रारम्भिक चर्चा की गई होगी और निष्कर्ष निकाले गये होंगे जिन के आधार पर यह अध्ययन आवश्यक समझा गया होगा और आरम्भ किया गया होगा । संसदीय चर्चा में किन बातों का पता लगाया गया था जिन के आधार पर अध्ययन आरम्भ किया गया ?

†**गृह-काय मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : इस मामले पर संघ लोक सेवा आयोग से चर्चा की गई थी और अब भी की जा रही है । सामान्यत: हमारा दृष्टिकोण यह है कि जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का सम्बन्ध है हम व्यक्तित्व परीक्षा को अधिक महत्व नहीं देते । भारतीय पुलिस सेवा के सम्बन्ध में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, किन्तु मैं समझता हूं कि शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा क्योंकि हम ने पुन: हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग को लिखा है और उन के साथ चर्चा समाप्त करते ही अन्तिम निर्णय कर के आगे बढ़ा जा सकेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस निर्णय पर पहुंचने के लिये कि जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का सम्बन्ध है व्यक्तित्व परीक्षा को अधिक महत्व न दिया जाय, सरकार ने किन बातों को महत्व दिया था, क्योंकि इस के बारे में विरोधी विचार सभा में प्रकट किये गये हैं ? उन्होंने किन तथ्यों की ओर ध्यान दिया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं उन तथ्यों की बात नहीं कहना चाहता । बहुत से कारण हैं और हमें इस सम्बन्ध में कई पत्र आदि भी मिले हैं । किन्तु सामान्यत: हम अनुभव करते हैं कि उन अधिकारियों को जिस प्रकार के काम करने पड़ते हैं उन से व्यक्तित्व परीक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री यशपाल सिंह**: क्या यह सच है कि जो लड़के युनिवरसिटी का रेकार्ड बीट करते हैं, टौप करते हैं, गेम्स और मौरेल कंडक्ट में फर्स्ट आते हैं वे भी इंटरव्यू बोर्ड में पर्सनालिटी टैस्ट के नाम पर फेल किये जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : फेल हो जाते हैं, फेल किये नहीं जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Personaliiy Test.

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस में तो सवाल यह है कि पार्सनालिटी टैस्ट पर बहुत जोर न दिया जाय । हम इस टैस्ट को बहुत जरूरी नहीं समझते और इस समय इस पर्सनालिटी टैस्ट को जितने नम्बर दिये जाते हैं उतने नम्बर देना उचित नहीं है । गवर्नमेंट भी इस सवाल पर विचार कर के यह समझती है कि पर्सनालिटी टैस्ट पर इतना जोर नहीं दिया जाना चाहिये ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान, जहां तक मुझे याद है, भूतपूर्व गृह मंत्री, स्वर्गीय पन्त जी, ने यह आश्वासन दिया था कि इस चीज को हटा दिया जायगा । और मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर इस में देरी इतनी क्यों हो रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी हां, यह हटाने की बात थी, लेकिन बग़ैर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पर फ़ैसला नहीं हो सकता था । यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस समय यह राय दी कि एक कमेटी मुकर्रर की जाये, जिस के चेयरमैन उन के ही कोई साहब हों और वह कमेटी उस पर ग़ौर करे । इन सब बातों में बहुत देर लगेगी, इसलिये हम ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा है कि गवर्नमेंट ने इस बारे में अपनी राय बनाई है और उस पर आगे विचार कर के कोई आख़िरी फैसला किया जायगा ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के लिये किये जाने वाली परीक्षाओं में व्यक्तित्व परीक्षा के अंकों की संख्या भिन्न भिन्न है और यदि हां तो इस का कारण या है ?

†**श्री दातार** : भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वैदेशिक सेवा के लिये ४०० अंक और भारतीय पुलिस सेवा के लिये ३०० अंक ।

विजली के भारी सामान का निर्माण

†*५८२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र से बिजली का भारी सामान तैयार करने के लिये कहने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी विदेशी सार्थ को ऐसा सामान तैयार करने के लिये एक कारखाना चालू करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो वह संस्था किन शर्तों के अधीन काम करेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) : भारत सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन कुछ गैर सरकारी उद्योगपतियों को बिजली का भारी सामान के निर्माण के लाइसेंस दिये हैं । ब्योरा निम्नलिखित है :

(क) बड़े ट्रांसफार्मर—

(१) सर्वश्री करलोस्कर इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) सर्वश्री हेकब्रिज ह्यूटिक एंड झासन प्राइवेट लिमिटेड ।

(३) सर्वश्री हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बम्बई ।

(४) सर्वश्री ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड, मद्रास ।

(५) सर्वश्री इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।

(६) सर्वश्री गांधी इलेक्ट्रिक कम्पनी, बम्बई ।

(७) सर्वश्री हिताची ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स (केरल) लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम ।

(ख) एच० टी० स्विच गियर

(१) इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी मद्रास

(२) सर्वश्री ज्योति लिमिटेड बड़ौदा

(३) सर्वश्री मैसूर इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बंगलौर

(४) सर्वश्री इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट कम्पनी कलकत्ता ।

(५) सर्वश्री हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार की यह नीति नहीं कि बिजली के भारी सामान का निर्माण केवल सरकारी उद्योग क्षेत्र में होगा, यदि हां तो गैर-सरकारी समवायों को यह काम करने के लिये क्यों कहा जा हा है ? क्या इस का यह कारण है कि इस सामान की मांग को सरकार पूरा नहीं कर सकती ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : औद्योगिक नीति द्वारा गैर-सरकारी समवायों का विस्तार करने का भी विचार है । इस आधार पर गैर-सरकारी समवायों को विस्तार की गुंजाइश दी गई है विशेषतः इस कारण कि यह पता लगा था कि मांग और उत्पादन में बहुत अन्तर रहेगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सर्वश्री हिताची ट्रांसफार्मर्स और एलेक्ट्रीकल्स और दी इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी विदेशी समवाय हैं जिन में ५१ प्रतिशत पूंजी भारत की है अथवा वे भारतीय कम्पनियां हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वे विदेशी समवाय नहीं हैं, भारतीय समवाय हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वक्तव्य से यह जान कर मुझे प्रसन्नता हुई है कि बंगलौर, मद्रास, बम्बई, त्रिवेंद्रम, बड़ौदा आदि के सार्थों को लाइसेंस दिये गये हैं । इस सूची में उत्तर भारत का नाम क्यों नहीं है ? क्या इस प्रकार का सामान तैयार करने के लिये उत्तर भारत में कोई सार्थ नहीं है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : सरकारी उद्योग क्षेत्र की सभी परियोजनायें उत्तर में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भगवत झा आजाद** : इस सूची में उल्लिखित समवाय कितने मूल्य की वस्तुएं तैयार करेंगे यदि व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम करें ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : गैर सरकारी क्षमता के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़ नहीं हैं किन्तु सरकारी उद्योग क्षत्र में प्रतिवर्ष ९० करोड़ रुपये का सामान तैयार होगा ।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : समवायों की इस सूची में से कितने समवायों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और कितने इस कार्य से बच रहे हैं और अन्य लोगों को भी इस क्षेत्र में पदार्पण नहीं करा देते ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इनमें से अधिकांश विस्तार योजनाएं हैं और इस लिये वे उत्पादन कर रहे हैं । उनमें से केवल दो को हाल में लाइसेंस दिये गये हैं जिनमें से एक केरल में है जिसके बारे में माननीय सदस्य को मेरी अपेक्षा अधिक ज्ञात होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : औद्योगिक नीति संकल्प का उपबन्ध है कि यदि गैर सरकारी समवायों को बिजली के भारी सामान के क्षेत्र में दाखिल होने की अनुमति दी जाय तो सरकार या तो उसमें मुख्य रूप से भाग लेगी या नीति का पथ प्रदर्शन या उपक्रम का नियन्त्रण करेगी । क्या इन समवायों के सम्बन्ध में ऐसा ही किया जा रहा है और यदि हां, तो कैसे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हां यह देखते हुए कि क्या योजना के अनुसार उत्पादन हो रहा है यह काम किया जा रहा है और सम्भवतः यह भी ध्यान रखते हुए कि वे किस मूल्य पर सामान देते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पूछा है कि क्या अंश पूंजी में सरकार का मुख्य भाग है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : नहीं हमने अंशों का अधिक भाग नहीं लिया किन्तु एक प्रमुख समवाय अर्थात् सर्वश्री हिताची लिमिटेड में केरल सरकार ने २५ प्रतिशत अंश दिये हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकारी उद्योग क्षेत्र में तैयार की जाने वाली कुछ मशीनें गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में तैयार होंगी या कुछ वस्तुओं का उत्पादन उन्हें हस्तांतरित किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हमने बिजली की कई वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार किया है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में क्या उत्पादन किया जाये और कितना उत्पादन किया जाय । जहां कहीं अन्तर है वहां गैर सरकारी उद्योग द्वारा उत्पादन की कमी पूरा करने की आशा है । अतः कुछ चीजें सरकारी और गैर सरकारी दोनों उद्योग क्षत्रों में तैयार की जायगी ।

स्कूलों में राष्ट्रगीत का गायन

†*५८३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य-सरकारों ने यह प्रस्ताव मान लिया है कि स्कूल का काम राष्ट्रगीत के गायन से और राष्ट्रीय झण्डा फहरा कर आरम्भ किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि सभी स्कूलों में दिन का कार्य राष्ट्रगीत के साथ आरम्भ होना चाहिये । इस

---

†मूल अंग्रेजी में

सिफारिश को सब राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वीकार कर लिया है राष्ट्रीय झण्डा फहराने के लिये कोई सिफारिश नहीं है । १९५४ में राज्य सरकारों परिपत्र को भेजा गया था कि छात्रों को राष्ट्रीय झण्डे का महत्व समझाया जाय ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : चूंकि भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया, अतः यह कब आरम्भ किया जायगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ग्यारह राज्यों अर्थात् असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने हमें लिखा है कि उन्होंने इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया है । अन्य राज्यों ने अर्थात् उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब ने सिफारिश स्वीकार कर ली है और आशा है कि वे इसे कार्यान्वित करने के लिये कदम उठा रहे हैं । संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही कार्यान्विति की सिफारिश की है ।

†**श्री श्रीनारायणदास** : अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि १९५४ में राज्य सरकारों को परिपत्र जारी किया गया था कि छात्रों को राष्ट्रीय झण्डे का महत्व बताया जाये । क्या यह पता लगाया गया है कि कि इस हिदायत को विभिन्न राज्यों ने कहां तक कार्यान्वित किया है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस योजना को कार्यावित करने के लिये उन स्कूलों को विशेष ट्राफियां देने की योजना बनाई गई है जो सबसे अच्छे ढंग में झण्डे लहरायेंगे ये पुरस्कार कई संस्थाओं को दिये जा रहे हैं और हमारी जानकारी के अनुसार इन हिदायतों को सन्तोषजनक रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इस प्रश्न में राष्ट्रीय गान के साथ साथ राष्ट्रीय झण्डा फहराने के बारे में भी पूछा गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् ने यह भी निश्चय किया था और क्या प्रतिदिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झण्डा फहराने से उनका महत्व कम नहीं हो जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, जहां तक राष्ट्रीय झण्डे का सवाल है, उस को तो रोज़ फहराने की कोई सिफारिश नहीं की गई है, जैसा कि मैंने अभी बताया है । राष्ट्रीय गान के बारे में अवश्य नेशनल इन्टेग्रेशन कान्फरेंस की एक सिफारिश थी और उसके मुताबिक कार्यवाही की गई है । जहां तक फ्लैग का ताल्लुक है, उसके बारे में योजना है, डिसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन कर दिया है ।

श्री किशन पटनायक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके औचित्य के बारे में शिक्षा के विशेषज्ञों का भी परामर्श लिया गया था, क्योंकि इससे यह ख़तरा हो सकता है कि शिक्षा की संस्था राजकीय संस्था बन जाये ।

डा० का० ला० श्रीमाली : नैशनल इन्टेग्रेशन कान्फरेंस में सभी प्रकार के लोग थे और उनमें शिक्षा विशेषज्ञ भी थे ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि "बन्दे मातरम्" राष्ट्रीय गीत को स्कूलों में चलाने के बारे में सरकार का क्या मत है ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो दूसरा सवाल है ।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या माननीय मन्त्री जी के पास धार्मिक संस्थाओं ने स्कूलों में राष्ट्रीय गान चलाने के सम्बन्ध में विरोध भेजा है और अगर भेजा है तो कौन सी संस्थाओं ने ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : हमारे पास इस सम्बन्ध में न कोई विरोध आया है और न सरकार इस विरोध को स्वीकार करेगी ।

श्री बेरवा कोटा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार समझती है कि स्कूलों में राष्ट्रीय झण्डा फहराने के अवसर पर झंडे का पूरा सम्मान किया जायेगा :

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो मिनिस्टर साहब ने दे दिया है ।

श्री बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गीत गाना और राष्ट्रीय झण्डा फहराना सरकारी स्कूलों में होगा या उर्दू स्कूलों और क्रिस्टियन स्कूलों में भी होगा, जो कि गवर्नमेंट एडिड स्कूल होते हैं ।

डा० का० ला० श्रीमाली : सभी पाठशालाओं में होगा ।

†**श्रीमती जयावेन शाह** : आजकल पाठशाला में शिक्षण शुरू होने से पहले प्रेयर होती है । मैं जानना चाहती हूं कि क्या प्रेयर को रिप्लेस कर के उसके बदले में राष्ट्रीय गान होगा या राष्ट्रीय गान शाम को होगा ।

डा० का० ला० श्रीमाली : अगर कहीं प्रार्थना होती हो, तो प्रार्थना भी हो, लेकिन यह आवश्यक है कि हर एक स्कूल में राष्ट्रीय गान हो ।

विदेशियों की प्रतिमायें

†५८४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशियों की प्रतिमाएं राजधानी से हटाने के सम्बन्ध में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

श्री गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : जनरल जान निकलसन तथा एलैग्जेंडर टेलर की दो प्रतिमाएं राजधानी में अपने स्थानों से पहले ही हटाई जा चुकी हैं । किंग जार्ज पंचम् तथा क्वीन मेरी की प्रतिमाओं को राष्ट्रपति भवन से हटा कर विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता में रखने का विचार है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यदि मैं भूल नहीं करता हूं तो आज से दो वर्ष पहले भूतपूर्व गृह मंत्री श्री पंत जी ने इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया था कि जब अजायबघरों में स्थान खाली हो जायगा तो ये जितनी भी अंग्रेज़ों की प्रतिमायें हैं, ये सब हटा कर वहां रख दी जायेंगी । आज दो वर्ष के बाद भी गृह मंत्री जी ने बताया है कि अभी दो को हटा कर विक्टोरिया मैमोरियल हाल में रखने का विचार है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दो वर्षों में इतनी प्रगति भी नहीं हो सकी है कि जो भारत के माथे के ये कलंक हटा दिये जाते ?

†**श्री दातार** : मैं यह बता दूं कि दिल्ली के संग्रहालय में मूर्तियां रखने का प्रस्ताव था किन्तु उन के लिये पर्याप्त स्थान नहीं था । इस कारण इसे कलकत्ता भेजा जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या माननीय गृह मंत्री इस सम्बन्ध में कोई एसी नीति की घोषणा करेंगे कि अमुक अवधि तक ये जितनी भी विदेशियों की प्रतिमायें हैं, वे हटा दी जायेंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आधार समाप्त होने पर छाया भी समाप्त हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बेरवा कोटा : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारे पार्लियामेंट हाउस के इधर उधर विदेशी महानुभावों की कितनी मूर्तियां खड़ी हैं और क्या आप इन को तो यहां से कम से कम हटाने का प्रयत्न करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्य के लिये सुझाव है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विक्टोरिया मेमोरियल हाल ब्रिटेन के कई सेनापतियों और जनरलों की मूर्तियों से भरा पड़ा है क्या सरकार राज्य सरकारों से इस सामूहिक राष्ट्रीय नीति को अपनाने के लिये अनुरोध करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भी सुझाव है ।

श्री भक्त दर्शन : दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जो प्रतिमायें हैं, उन से भी अधिक आपत्तिजनक प्रतिमायें इस संसद् भवन के चारों ओर हैं । इन के बारे में यह बताया गया था कि दिल्ली का संग्रहालय बनने पर उन्हें हटा दिया जायेगा । दिल्ली का संग्रहालय बने करीब एक वर्ष हो चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं इन को हटाया जा रहा है और कब तक इन के हटाये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : बात यह है कि इन को हटाने की बराबर हम कोशिश कर रहे हैं और लिखापढ़ी के अलावा मैंने खुद मिनिस्टर साहब, श्री हुमायून् कबिर से बातचीत की थी और कोशिश की थी बातचीत की थी कि वह इन को वहां ले जायें । लेकिन वे कहते हैं कि म्यूज़ियम में हमारे यहां बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और हम किसी तरह से इन को वहां रख नहीं सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि ये भारी भारी मूर्तियां हैं, इन को आप कहीं इस जगह या उस जगह ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं और जहां चाहे आप इन को रख दें, कहीं कोने में रख दें या अंडर-ग्राउंड में रखें, मगर जगह नहीं है । हम विचार कर रहे है कि कहां इन को रखा जाय । डब्ल्यू एच० एस० मिनिस्ट्री से कह रखा है कि वे कहीं इन को रखे । इस तरह बराबर हम इस की कोशिश कर रहे हैं कि इन को हटा दें ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

†*५८५. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कोई अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित करेगा ; और

(ख) क्या ये परीक्षायें विभिन्न राज्यों में होने वाली विद्यमान परीक्षाओं के स्थान पर होंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां श्रीमान् । बोर्ड सामूहिक पाठ्यक्रम में और इस से सम्बद्ध स्कूलों की परीक्षाओं के माध्यम में परीक्षा लेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नहीं श्रीमान् ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस परीक्षा का स्वरूप क्या होगा ? क्या कुछ सरकारों ने इस से सहमति प्रकट की है और वे अपने स्कूलों को इस से सम्बद्ध होने की अनुमति देंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : म समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं । किन्तु मैं यह समझा देना चाहता हूं कि यह बोर्ड की स्थापना मुख्यत: दिल्ली संघ राज्य और इस बोर्ड से सम्बद्ध होने वाले स्कूलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये की जा रही है । राज्य सरकारों से परामर्श करने का प्रश्न नहीं क्योंकि हमने यह शर्त रखी हुई है कि जो स्कूल इस बोर्ड से सम्बद्ध होना चाहे वह राज्य सरकार की सहमति से हो सकता है । अत: राज्य सरकारें स्वत: इस योजना से सम्बद्ध हो जायेंगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह निश्चय कर लिया गया है कि परीक्षा का माध्यम क्या हो ा और क्या यह परोक्षा के किसी विशेष माध्मम को अनिवार्य बनायेगा ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हां श्रीमान् यह हिन्दी और अंग्रेज़ी होगा ।

श्री भक्त दर्शन : यह बोर्ड जो है यह मुख्यत: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये है, इसलिये इस की स्थापना की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस का पता लगाया गया है कि किन किन स्थानों में कितने विद्यार्थी हैं ताकि उतने विद्यालयों की स्थापना स्वयं केन्द्रीय सरकार की ओर से की जा सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उस का सर्वे किया जा रहा है और योजना बन रही है स्कूलों की स्थापना करने की ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मेरे पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि बोर्ड बन जाने पर अन्दमान के स्कूल इससे सम्बद्ध हो जायेंगे । उस पर क्या निर्णय किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे बार बार अन्दमान की बात क्यों कर रही हैं ?

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्योंकि उस की उपेक्षा की जा रही है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस मामले की भी जांच की जायेगी ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : यह दृष्टिगत रखते हुए कि पहले भी कुछ स्कूलों में हिन्दी माध्यम है और विशष प्रोत्साहन दिया जा रहा है उन स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध करने का विचार क्यों किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : बोर्ड इस के लिये उत्सुक नहीं है । किन्तु कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिन की शिक्षा का माध्यम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है । ऐसी संस्थाओं को सुविधायें पहुंचाने के लिये उन्हें राज्य सरकार की सहमति से सम्बद्ध किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन व्यवस्था के लिये विश्व बैंक से ऋण

†*५८७. **श्री प० कुन्हन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री नाथ पाई :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टेलीफोन व्यवस्था का विस्तार करने के लिये विश्व बक से ऋण देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की प्रार्थना की है ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने कोई निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) से (घ). भारत सरकार ते तीसरी योजना के अनुसार देश में तार संचार सेवाओं के विस्तार की वित्त व्यवस्था के लिये विश्व बक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से २१ करोड़ रुपये का ऋण मांगा है । इस ऋण का ब्योरा इस समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऋण की बातचीत संस्था के साथ अभी चल रही है ।

†**श्री प० कुन्हन** : ऋण की बातचीत किन शर्तों के आधार पर की जा रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सभी मामलों पर बातचीत हो रही है । बातचीत पूरी होने से पूर्व मैं शर्तें कैसे बता सकती हूं ।

†**श्री प० कुन्हन** : यह ऋण मांगने का प्रयोजन क्या है ? क्या यह आन्तरिक उत्पादन बढ़ाने के लिये है या सामान आयात करने के लिये ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैंने अपने मूल उत्तर में पहले बता दिया है कि इसे देश में तार संचार के विस्तार के लिये प्रयोग किया जायेगा । यह स्पष्ट है कि यह ऋण विदेशी मुद्रा से प्राप्त होने वाले सामान पर खर्च किया जायगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि ऋण विदेशी मुद्रा से प्राप्त होने वाले पुर्जों आदि के लिय खर्च किया जायगा । क्या वर्तमान टेलीफोन कारखाना विस्तृत किया जायेगा या इस ऋण की सहायता से कोई नई परियोजना आरम्भ की जायेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : ऋण मिल लेने दीजिये फिर हम निर्णय करेंगे कि इस का सर्वोत्तम प्रयोग कैसे हो सकता है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : सरकार ने पहले ही योजना बना ली है और इसी कारण ऋण मांगाया रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल शोधक कारखाने

+

†*५८८. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री ३१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात होने वाले अशोधित तेल (क्रूड आयल) का शोधन करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखानों की उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के लिये उक्त कम्पनियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों की जांच हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). संबंधित कम्पनियों के साथ इन पर अभी चर्चा हो रही है और अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि इन विदेशी शोधक कारखानों की क्षमता गुप्त रखी गई थी और जब १९५१ और १९५२ के करारों पर हस्ताक्षर किये गये उस समय सरकार को उन की इस गुप्त क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी ? यदि हां, तो इस अनियमितता की जांच करने के लिये क्या कार्रवाई करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : शोधक कारखाने १९५१ में स्थापित किये गये थे । दोनों पार्टियों अर्थात् सरकार और शोधक कारखानों के बीच एक निश्चित मात्रा में अशोधित तेल साफ करने की बात तय हुई थी । बाद में, संचालन सम्बन्धी कार्यक्षमता और अन्य शिल्पिक कारणों से भी उन्होंने कुछ वृद्धि कर ली थी जिसकी सूचना कभी कभी सरकार को दी गयी और कभी वह सूचना देना जरूरी नहीं समझा गया । अब हमने ३० सितम्बर तक, जब कि कम्पनियों और सरकार के बीच किसी न किसी रूप में अन्तिम रूप से समझौते हो जायेंगे, अशोधित तेल साफ करने की क्षमता में कुछ वृद्धि देना मंजूर कर लिया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि इन विदेशी शोधक कारखानों को अपनी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने की अनुमति खास कर इस शर्त पर दी गई थी कि विदेशी कम्पनियां अपनी इच्छा से १९५१ और १९५२ के करार रद्द कर देंगे और यदि हां, तो उस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री क० दे० मालवीय** : जहां तक कि एस्सो और बर्माशेल का सम्बन्ध है २८ लाख टन और ३५ लाख टन की क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देने की व्यवस्था इस बात पर आधारित थी कि शोधन व्यवस्था में परिवर्तन करने का अन्तिम करार ३० सितम्बर तक हो जाये । अन्यथा, उसके बाद, सरकार को और कोई भी व्यवस्था करने की छूट होगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इन में से प्रत्येक शोधक कारखाना कितनी अतिरिक्त क्षमता रखने का दावा करता है और यह मंजूरी देने में कौन कौन सी विशिष्ट बातें हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अशोधित तेल की क्षमता में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट बातें नहीं हैं । एस्सो और बर्माशेल शोधक कारखानों ने वर्तमान करारों को रद्द कर देने की अपनी इच्छा

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्त की है। उस सम्बन्ध में, उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। हमने उन प्रस्तावों पर अपनी राय उन्हें बता दी है। अब हम उन पर उनकी राय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने उन्हें सूचित किया है कि ३० सितम्बर, १९६२ के बाद जब कि बातचीत का परिणाम मालूम हो जायेगा, शोधक कारखानों की क्षमता के मामले में वर्तमान व्यवस्था में उसे रद्दोबदल करने और यथा स्थिति बनाये रखने की छूट होगी। इसलिए हमें ३० सितम्बर, १९६२ तक प्रतीक्षा करनी होगी ताकि यह मालूम हो सके कि करार में परिवर्तन किया गया है या नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा एक निवेदन है। जब हम कोई विशिष्ट प्रश्न पूछते हैं तो यह आशा की जाती है कि उन्हीं बातों का उत्तर दिया जायेगा। मैंने जो प्रश्न पूछा वह यह था कि प्रत्येक शोधक कारखाना कितनी अतिरिक्त क्षमता का दावा करता है और उसमें कौन कौन सी बातें सम्बद्ध हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे याद है कि उन्होंने बताया कि उसमें कोई विशिष्ट बातें सम्बद्ध नहीं हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने बताया कि वही बात पूछी गयी है, कि वे करार में परिवर्तन करना चाहते हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : माननीय मित्र श्री हेम बरुआ के प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि एस्सो के लिये अधिक से अधिक २८ लाख टन और बर्माशेल के लिये ३५ लाख टन तक क्षमता बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने मंजूरी दी है। पिछले ६ वर्षों में एस्सो को १२ लाख और बर्मा शैल को २० या १९ लाख टन की वृद्धि करने के लिए समय समय पर अनुमति दी गई है। यह किसी एक कारण से नहीं बल्कि तेल साफ करने के विभिन्न कारखानों में संचालन क्षमता बढ़ाये जाने और प्रौद्योगिक सुधारों के कारण है।

"चाइना टु डे"

+

*५८९. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या गृह-कार्य मंत्री २१ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "चाइना टु डे" और और "आज का चीन" के खिलाफ और कार्यवाही करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : जैसा कि पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है, विधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस के अधीन किसी पत्रिका के प्रकाशन को रोका जा सके। परन्तु न्युएज प्रिंटिंग प्रेस ने, जहां कि "चाइना टु डे तथा 'आज का चीन" (जो कि बाद में निर्षेध घोषित किय गय थे) छपते थे, अब इन पत्रिकाओं का छापना बन्द कर दिया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले प्रश्न के बाद भी इस पत्र के अंकों में इस प्रकार की सामग्री निकली है कि उन्हें आपत्तिजनक घोषित किया गया है और जब्त किया गया है। क्या इस पर प्रकाश डाला जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जहां तक मुझे मालूम है, उस के बाद तो कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं निकली हैं। लेकिन मैं पक्की तौर से नहीं कह सकता।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि जो महाशय इस पत्र का सम्पादन करते थे, जब उन्हें पता लगा कि सरकार दृढ़ता से कार्यवाही करना चाहती है तो वे इस देश से चीन को पलायन कर गये हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे इस की जानकारी नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या ऐसी पत्रिकाओं पर मुकदमा चलाने और उनके प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए, जो देशद्रोह जैसे राष्ट्रविरोधी कार्य करते हैं, अधिनियम बनाने या पिछले कानून में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुद्रकों और प्रकाशकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और मैं समझता हूं कि उस सम्बन्ध में हमारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं। खास कर इस मामले में हमने मुद्रक और प्रकाशक का ध्यान आकृष्ट किया है और उन्होंने इन पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द कर दिया है। इसलिए माननीय सदस्य यह देखेंगे कि हमारे पास शक्ति है और हम ऐसी स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। हम किसी पत्र का प्रकाशन बन्द नहीं कर सकते क्योंकि कानून के अन्दर वह सम्भव नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि आरम्भ में इस पत्र 'चाइना टु डे' के विरुद्ध इस कारण आपत्ति की गयी थी कि उसने चीनी अधिकारियों की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर छापा था जिसमें हमारी प्रादेशिक अखंडता पर आक्षेप किया गया था, क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के प्रकाशन के विरुद्ध, इस देश की प्रादेशिक अखंडता पर आक्षेप करने के लिए १६६१ के दंड विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमें बहुत सी बातों पर विचार करना था। मुझे खेद है कि मैं यहां हर चीज नहीं बता सकता। लेकिन हमने यह सोचा कि हम पहले यह बात मुद्रक और प्रकाशक की नजरों में लायें कि वे एक तरह से कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि हमने पहले यह कदम उठाने की बात सोची तो माननीय सदस्य इससे असहमत नहीं होंगे। यदि उन्होंने हमारी राय न मानी होती, तब कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती।

†**श्री प्र० क० देव** : क्या न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस भारत के साम्यवादी दल का है और यदि कानून में वास्तविक कार्रवाई उल्लिखित नहीं है, तो क्या साधारण चेतावनी दी जा सकती थी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं समझता हूं कि परिणाम चेतावनी के परिणाम से कहीं अधिक है। उन्होंने यह अखबार छापना बन्द कर दिया है जहां तक प्रेस का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र अपने पड़ोसी श्री ही० ना० मुकर्जी से पूछें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि माननीय सदस्य अपने पड़ोसियों से प्रश्न पूछें।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : गह मंत्री ने अभी अभी बताया कि चूंकि यह प्रश्न संसद् में उठाया गया था इसलिए उन्हें यह मालूम नहीं कि क्या ऐसा कोई आपत्तिजनक विषय चाइना टु डे में प्रकाशित किया गया या नहीं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या ऐसे अखबार पर कोई निगरानी रखी जाती है और क्या कोई ऐसी एजेन्सी है जो ऐसे अखबारों पर नजर रखे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य की यह धारणा है कि हम इन मामलों में अकर्मण्य हैं। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि यह गृह मंत्री का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए एक बहुत बड़ा मंत्रालय है जो इन चीजों की ओर ध्यान देता है और मुझे विश्वास है कि वह अपना काम कर रहा है।

श्री विभूति मिश्र : अभी हमें बतलाया गया कि यह पत्र "न्यू एज" के छापेखाने में छपता था। जब हम आजादी की लड़ाई चलाते थे उस समय यदि हमें कोई खाना भी खिलाता था तो उसको क्रिमिनल बना कर सजा दी जाती थी। तो जब "न्यू एज" छापेखाने में देश विरोधी चीजें छपती हैं तो क्या सरकार ने उस छापेखाने के खिलाफ कोई कार्रवाई की है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन एक बात मैं भूल गया था वह मैं कह दूं, कि न्यू एज में यह छपना बन्द हो गया लेकिन एक दूसरे प्रेस में वह छपने लगा। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उस दूसरे प्रेस में भी कोई ऐसा मैटीरियल छपा जो कि आपत्तिजनक हो तो हमें उस प्रेस के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री ने अभी अभी एक विशिष्ट जानकारी इस आधार पर नहीं बतायी कि उसमें दूसरी बातें सम्बद्ध हैं। क्या इस तरह किया जा सकता है ? लोकहित के कारणों से जानकारी रोकी जा सकती है लेकिन जब वह कहते हैं कि उसमें दूसरे कारण सम्बन्धित हैं, तो क्या वे इसके लिए अनुमति दे सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तब क्या उन्होंने यह पूछा था कि वे कौन से कारण हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैं पूछना चाहता था लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि आपकी व्यवस्था में आपकी नजर पकड़ना बहुत मुश्किल है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कमी मैं नहीं पूरी कर सकता। वह प्रश्न कोई दूसरे माननीय सदस्य पूछ सकते थे और तब मैं अनुमति देता लेकिन वह प्रश्न ही नहीं पूछा गया।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद

†*५६०. **श्री पें० वेंकटासुब्बैया :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री प० ना० कयाल :
श्री सिद्दय्या :
श्री मोहसिन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के बीच सीमा विवाद के प्रश्न की जांच करने के लिय नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें और उपपत्तियां क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की रिपोर्टें उनके मुख्य मंत्रियों को पृथक पृथक पेश की गई हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सही है कि दो भिन्न २ मतों वाली रिपोर्टें पेश की गई हैं, एक में सुझाव दिया गया है कि पाटस्कर सूत्र अपनाया जाए, और दूसरे में इसका विरोध किया गया है, यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार हस्तक्षेप करके दोनों राज्य सरकारों के बीच मध्यस्थतता करने का विचार करती है ताकि उनके बीच दीर्घकाल से चला आया यह विवाद समाप्त हो जाए ?

†**श्री दातार** : मैसूर के प्रतिनिधि की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई । अतः जब तक वह रिपोर्ट न आ जाए, तब तक यह कहना संभव नहीं है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी उपक्रमों में भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग

†*५८६. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसार सरकारी उपक्रमों में विभिन्न पदों के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग स्थापित करने की कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). जी नहीं सरकार सरकारी उपक्रमों के पदों की भरती के लिय एक लोक सेवा आयोग स्थापित करने के पक्ष में नहीं है ।

कोयला खानों के विस्तार के लिये विदेशी मुद्रा ऋण

†*५९१. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में कोयला खानों के मालिकों को अपनी कोयला खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये खानों का विस्तार करने के लिये कितनी विदेशी मद्रा का ऋण दिया गया था ; और

(ख) कितनी विदेशी मुद्रा ऋण का उपयोग किया गया ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) विश्व बैंक ने भारत सरकार को, तीसरी योजना में गैर सरकारी कोयला खानों की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ३५० लाख डालर अर्थात् १७ करोड़ रुपये के लगभग ऋण देने की पेशकश की है । इस राशि में से ३०० लाख डालर ३१ जुलाई, १९६३ तक लिये जा सकते हैं और शेष ५० डालर ३० सितम्बर, १९६५ तक ।

(ख) अभी तक लगभग १२.७ करोड़ रुपये की लागत के ४२८८ आयात लाइसेंसों की अर्जियां प्राप्त हुई हैं । इन में से लगभग २.९ करोड़ रुपयें की लागत तक की १७७३ अर्जियां के लिये लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं । अवशिष्ट अर्जियां की छानबीन की जा रही है । तथापि ऋण की राशि में से धन निकालना तभी आरम्भ होगा जब मशीनरी और उपकरण का आयात हो चुकेगा ।

---

†मूल अंग्रजी में

जोगता कोयला खान में आग

†*५९२. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० उ० मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया कोयला क्षेत्रों में जोगता कोयला खान में भूमिगत आग पुनः ऊपर तल पर आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ; और

(ग) क्या इस आग के कारण कोयले का भेजा जाना रुक गया है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) जी हां । जोगता कोयला खान की १३वीं और १४वीं सीवनों में पुरानी आग १२-७-१९६२ को भूतल पर आ गई, जबकि उस को रोकने के उपाय किये जा रहे थे ।

(ख) आग को बढ़ने से रोकने के लिये उस पर रेत और मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है ।

(ग) कोयले का उत्पादन और खान के मुंह के गड्ढों से इस का उठाया जाना पूर्णतया बन्द नहीं हुआ है क्योंकि काम अन्य सीवनों में अर्थात् १० और ११ नम्बर की सीवनों में जारी है जिन पर आग का प्रभाव नहीं पड़ा है ।

गोआ में मैंगनीज अयस्क की खानें

†*५९३. श्री नाथ पाई : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में मैंगनीज़ अयस्क की खानों को बिजली की कमी अनुभव हो रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि खानों के अर्जन और प्राथमिक पूर्वेक्षण कार्य के लिये मैंगनीज़ खान मालिकों द्वारा बहुत अधिक धन व्यय किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में मैंगनीज़ खान मालिकों की सहायता करने की कई योजनायें बनाई हैं ?

†खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) क्योंकि मैंगनीज़ खानों को चलाने के लिये किसी विद्युत् शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, कमी का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(ख) सरकार को नहीं मालूम कि खानों के अधिग्रहण के लिये तथा प्रारम्भिक खोज कार्य के लिये निजी खान मालिकों ने पूंजी लगाई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । तथापि यदि सहायता के लिये निश्चित प्रार्थना प्राप्त हो, तो उस पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हंगरी द्वारा प्रस्तावित ऋण

†*५६४. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी सरकार ने भारत को ८ करोड़ रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या करार को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

†**वित्त मंत्रालय म उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख). हंगरी के प्राधिकारियों के साथ विचारों का प्रारम्भिक विनिमय ही हुआ है और ऋण के लिये कोई करार अभी तक अन्तिम रूप में तै नहीं हुआ है ।

डाक द्वारा शिक्षा

†*५६५. **श्री बसुमतारी :**
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संघीय शिक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि डाक द्वारा शिक्षा के लिये सभी पात्र आवेदन-कर्ताओं को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश दे दे ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय का उत्तर इस के पक्ष में है ;

(ग) यदि हां, तो क्या अधिक संख्या में विद्यार्थियों को डाक द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कर ली गई है ;

(घ) उस का क्या ब्यौरा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ). भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने यह सुझाव नहीं दिया कि पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा के लिये अर्ह सभी प्रार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल कर लेना चाहिये । तथापि विश्वविद्यालय ने यह फैसला किया है कि सब अभ्यर्थियों को, जो निर्धारित योग्यतायें पूरी करते हैं, बी० ए० (पास) पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा में प्रवेश के लिये चुन लिया जाय । विद्यार्थियों के प्रवेश की पुष्टि विश्वविद्यालय द्वारा, शुल्क की पहली किश्त दिये जाने तथा मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के पश्चात् की जायेगी ।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवेली तापीय केन्द्र

†*५९६. श्री प्र० चं० बरूआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली तापीय केन्द्र के पहले एकक का उद्घाटन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के पूरा होने में कितना धन व्यय हुआ है तथा कितनी रूसी सहायता मिली है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) जी हां, इस का उद्घाटन ५ अगस्त, १९६२ को किया गया था ।

(ख) पहली इकाई की लागत को अलग करना संभव नहीं है ; जो पूरी हो चुकी है । बिजली घर की पांचों इकाइयों में सिविल तथा निर्माण कार्य साझे हैं और साथ साथ हो रहे हैं । इन पांचों इकाइयों पर लगभग २८ करोड़ रुपये लागत आयेगी, जिस में से मार्च १९६२ के अन्त तक निगम द्वारा २२.३० करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है । अब तक सभी सहायता का १३.७० करोड़ रुपया उपयोग में लाया गया है, जबकि कुल व्यवस्था लगभग १३.९३ करोड़ रुपये की है, जो नवंबर १९५७ के ११२५ लाख रुबल रूसी ऋण में से दिये जाने हैं ।

पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस

†*५९७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० क० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० रा० बनर्जी :

क्या खान और ईंधन मंत्री ८ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस खरीदने के बारे में कुछ और प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार द्वारा दी गई सूचना की जांच की जा रही है और पेशकश के हानि लाभों का विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपराधी का राष्ट्रपति से मिलना

†*५६८. { **श्री अ० प्र० जैन :**
श्री धवन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हों ने 'वांटेड मैन मैट प्रैजीडेंट' के शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक १ जुलाई, १६६२ के टाइम्स आफ इंडिया के रविवारीय संस्करण में प्रकाशित समाचार को देखा है ;

(ख) क्या यह सच है कि चौदह साल पुराना घोषित अपराधी सुरक्षा पुलिस से बच कर राष्ट्रपति भवन जा कर राष्ट्रपति से मिलने में कामयाब हो सका ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और इस के लिये जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाया जा चुका है ; और

(घ) क्या कमियों को दूर करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी नहीं । जांच से पता चला है कि कोई घोषित अपराधी राष्ट्रपति से मुलाकात कर के नहीं गया, जिस की कि सूचना समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

इटली के सहयोग से इस्पात कारखाने की स्थापना

†*५६६. { **डा० रा० बनर्जी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली की एक फर्म ने एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिस की लागत अमरीकियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले बोकारो के प्रस्तावित इस्पात कारखाने की लागत की तुलना में कम होगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इटली की प्रणाली से उत्पादन भी अधिक सस्ता पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). जी नहीं । इटली की एक फर्म से केवल दिलचस्पी व्यक्त करने की सूचना प्राप्त हुई है, और लागत का कोई हिसाब नहीं लगाया गया है या कोई तुलना नहीं की गई है । इस दिलचस्पी को ध्यान में रखा जायेगा जब हम चौथी योजना अवधि में क्षमता के विस्तार का विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम

*६००. श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० रा० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड की पहली बैठक में यह स्वीकार किया है कि बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो असफलता के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिये क्या कोई प्रयास किया गया या किया जा रहा है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) चूंकि बुनियादी शिक्षा की एकरूप पद्धति समस्त देश में नहीं फैल सकी है, इसलिए इसमें आंशिक असफलता मिली है । इसके विपरीत बुनियादी शिक्षा के दर्शन और सिद्धान्तों ने न केवल शैक्षणिक पद्धति पर बल्कि हमारे जीवन पर भी समग्र रूप से गहरा प्रभाव डाला है । समस्त प्रारम्भिक स्कूलों में लागू किये गये क्रियाकलापों से, बच्चे के सामाजिक तथा शारीरिक वातावरण के साथ शिक्षण का सम्बन्ध और शारीरिक परिश्रम तथा श्रम-महत्व पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक दिये जाने वाले बल से यह बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सामुदायिक विकास तथा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण जैसे अनेक सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन के कार्यक्रमों में भी यह बात देखी जाती है ।

(ख) ऊपर जिस आंशिक असफलता का उल्लेख किया गया है, उसके निम्नांकित कारण हैं :—

(१) उपयुक्त प्रकार के अध्यापकों की कमी, और (२) वित्तीय साधनों की कमी ।

(ग) जी, हां । भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने विभिन्न अवसरों पर इस कार्यक्रम की जांच की है और कार्यक्रम की कार्यान्विति में सुधार के लिये अनेक कार्रवाइयां भी की हैं । बुनियादी शिक्षा के राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों की जांच तथा बुनियादी शिक्षा के लिये अपनाई जाने वाली नीतियों तथा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना होगा ।

हैवी इलैक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड, भोपाल

†*६०१. श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटड, भोपाल में संयुक्त मन्त्रणा तन्त्र की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन कौन होंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह कब तक बन जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) प्रबन्ध अभी राज्य सरकार के साथ सलाह कर रहे हैं।

(घ) कोई समयावधि बताना सम्भव नहीं है ।

भारत में विदेशी बीमा कम्पनियां

†*६०२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बीमा कम्पनियां हमारे देश में अब भी काम कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियां कितनी हैं ; और

(ग) इन कम्पनियों में इस समय कुल कितनी पूंजी है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) ८५ ।

(ग) इन समवायों का विश्व भर में काम है और भारत में उनके व्यापार के सम्बन्ध में कोई पृथक् पूंजी नियतन नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड

*६०३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बीरेन दत्त :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करने और केन्द्रीय और राज्य सरकारों को बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम और नीति सम्बन्धी जानकारी देने के लिये राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड ने अभी तक जो कार्य किया है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त बोर्ड के कौन-कौन सदस्य हैं और इसकी अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त बोर्ड द्वारा किय गये कार्य का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ङ) बोर्ड के गठन और कार्य की क्या रूप रेखा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) बुनियादी शिक्षा के राष्ट्रीय बोर्ड का गठन अभी हाल ही में हुआ है और इसके कार्य के बारे में कोई रिपोर्ट देना अभी सम्भव नहीं होगा ।

(ख) बोर्ड की पहली बैठक १० और ११ अगस्त, १९६२ को हुई । इसके सदस्यों के नाम निम्नांकित हैं :—

१. डा० के० एल० श्रीमाली, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री० . अध्यक्ष
२. डा० ए० एन० खोसला
३. श्री यू० एन० ढेवर
४. श्री श्रीमन्नारायण
५. श्री पी० एन० कृपाल, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार
६. श्री सी० सुब्रह्मण्यम्
७. डा० शंकर दयाल शर्मा
८. श्री अमरनाथ विद्यालंकार
९. श्री जी० रामचन्द्रन्
१०. श्री ई० डब्ल्यू० आर्यनायकम्
११. श्री अण्णा साहेब सहस्रबुद्धे
१२. श्री ए० के० करनभाई
१३. श्री के० अरुणाचलम्
१४. श्री राधाकृष्ण
१५. श्री एल० आर० देसाई
१६. कुमारी मारजरी साइक्स
१७. डा० (श्रीमती) टी० एस० सौन्दरम् रामचन्द्रन, केन्द्रीय उप शिक्षा मन्त्री
१८. श्री जे० पी० नायक . सचिव

(ग) और (घ). उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) बोर्ड का गठन और उसके अधिकार निम्नांकित हैं :—

बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम के विकास के प्रयोजन के लिये यह निश्चय किया गया है कि १५ मार्च, १९६२ से बुनियादी शिक्षा का एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया जाए । यह एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा ।

बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(१) बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित सभी विषयों पर भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को सलाह देना ;

(२) बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण करना तथा उसके बारे में यथावश्यक सिफारिशें करना ;

(३) नमूनों के सर्वेक्षण आयोजित करने, विशेष जांच और अनुसन्धान प्रायोजनाओं के बारे में सलाह देने तथा तथ्यों की प्राप्ति के लिये ऐसी सभी पूछताछ करना जो समय-समय पर आवश्यक हो; और

(४) बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करना तथा विकास सम्बन्धी सभी विषयों पर सामान्य रूप से सलाह देना ।

बोर्ड को, किन्हीं विशेष समस्याओं का अध्ययन करने के लिये समितियां बनाने तथा इन समितियों में दो गैर-सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार होगा । परन्तु समितियों में ऐसे गैर-सदस्य नियुक्त करने से पहले शिक्षा मन्त्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

बोर्ड के उन सदस्यों का कार्यकाल, जो पदेन नहीं हैं, बोर्ड की होने वाली पहली बैठक की तारीख से, तीन वर्ष होगा ।

बोर्ड का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा ।

बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी । अध्यक्ष, अपनी इच्छा से अथवा बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर, किसी भी समय, बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकता है ।

सदस्यों/सदस्य के रिक्त स्थान होने के कारण बोर्ड की कोई कार्यवाही अवैध नहीं होगी ।

तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम

†*६०४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम तथा स्कलों में हायर सैकण्डरी कक्षायें चालू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक की स्थिति क्या है और क्या कुछ राज्य सरकारें योजना पर दोबारा विचार कर रही हैं ; और

(ग) जूनियर हाई स्कूलों में क्या नई बात है तथा वे पुराने हाई स्कूलों से किस प्रकार भिन्न हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ओलम्पिक खेल

†*६०५. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :

क्या **शिक्षा** मन्त्री १४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलम्पिक खलों में भारतीय खिलाड़ियों की असफलता के कारणों की जांच करने के लिय नियुक्त समिति ने इस बीच अपना काम पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायगा;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस समिति द्वारा कार्य समाप्त करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह समिति कब तक अपना कार्य समाप्त करं लेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) देश के समस्त महत्वपूर्ण खलों के केन्द्रों से समिति गवाहियां एकत्र कर रही है । समिति के सदस्यों की पूर्व-व्यस्तता के कारण, इस कार्य में समय लग रहा है ।

(घ) समिति से अनुरोध किया गया है कि वह अपना काम यथाशीघ्र समाप्त करे ।

नंगल उर्वरक कारखाना

†*६०६. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेडा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल उर्वरक कारखाने ने अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन होने लगा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : (क) और (ख) १९६१–६२ के लिये २००,००० टन का लक्ष्य रखा गया है । कुल उत्पादन २००७८० टन था, जिसकी कीमत लगभग ५।। करोड़ रुपय है ।

भारत में औद्योगिक परियोजनायें

†*६०७. **श्री पें० बेंकटासुब्बय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूसी उप-प्रधान मंत्री, जो हाल में दिल्ली आये थे, ने सरकार के साथ बातचीत की थी ;

(ख) क्या औद्योगिक परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए रूस से कोई वित्तीय और प्रविधिक सहायता मांगी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो रूस सरकार का रुख कैसा है ; और

(घ) क्या सरकार मंत्री स्तर पर अग्रेतर बात करने का विचार रखती है !

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) से (ग): चर्चा साझी दिलचस्पी वाले मामलों पर सामान्य थी ।

टाटानगर फाउन्ड्री, जमशेदपुर

†*६०८. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **इस्पात और भारी** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टाटानगर फाउन्ड्री (ढलाई कारखाना), जमशेदपुर का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो फाउन्ड्री को पुनः चालू करने के लिए कोई और योजना विचाराधीन है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** (क) टाटा नगर फाउंडरी कम्पनी के प्रबंधकों ने सितम्बर १९६० से फैक्ट्री का स्लीपर फाउंडरी सैक्शन बंद कर दिया है । कर्मचारियों के संगठनों नथा बिहार सरकार की ओर से फैक्टरी के बन्द किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन तथा औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत फैक्टरी का सम्पूर्ण कार्य संचालन संभाल लेने के संबंध में अभ्यावेदन आये हैं । इस मामले पर बिहार सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

अखिल भारतीय सेवायें

†*६०९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमी को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं में प्रत्यक्षतः भरती की सरकारी योजना की रूपरेखा क्या है ;

(ख) यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है तो वह क्या है ; और

(ग) अधिक आवश्यकता का आधार क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर चुने गये अभ्यार्थियों की वार्षिक संख्या बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं । इस समय सरकार के सक्रिय विचाराधीन दूसरी योजना ४–५ वर्ष की सेवा वाले तथा २९–३२ वर्ष की आयु वाले कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिय एक समिति प्रतियोगी परीक्षा की जारी करने की है, जो भारतीय प्रशासन सेवा में भरती के लिये नियमित होगी ।

(ग) राज्यों की आई० ए० एस० पदालि का विस्तार मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विकास योजनाओं के प्रशासनिक कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर आधारित है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग के परामर्श से की गई ध्यानपूर्वक समीक्षाओं में इन आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में प्लाटों की कीमतें

*६१०. **श्री म० ना० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली में मकाने बनाने के प्लाटों की कीमतें फिर बहुत अधिक बढ़ गई है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि निर्वाचन से पूर्व इन प्लाटों की कीमत कम करने के लिये जो उपाय लिये गये थे उसके फलस्वरूप इन प्लाटों की कीमत में २० रु० प्रति गज़ तक कमी हो गई थी और अब यह कीमत २० रु० प्रति गज़ से भी अधिक बढ़ गई है ;

(ग) इस कीमत के इतना बढ़ जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) कीमत के बढ़ने में दलालों या जायदाद की खरीद बिक्री का काम करने वाले लोगों (प्रापर्टी डीलर्स) का कितना हाथ है ; और

(ङ) प्लाटों की कीमत कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) यह सत्य नहीं है कि दिल्ली में प्लाटों की कीमत फिर बहुत अधिक बढ़ गई है ।

(ख) दिल्ली में भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटाने की योजना घोषित होने के बाद प्लाटों की कीमतों में कुछ कमी आई थी । उसके पश्चात् विभिन्न कालोनियों में मूल्यों में कुछ चढ़ाव उतार हुआ । यह सही रूप में बताना कठिन है कि चढ़ाव उतार कितना तक हुआ, क्योंकि प्रत्येक प्लाट का मूल्य उसकी स्थिति, सेवाओं की उपलब्धि आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्लाटों की खरीद व बिक्री में थोड़ी बहुत परिकल्पना हो सकती है परन्तु प्लाटों के मूल्यों की बढ़ोत्तरी में जायदादा की खरीद व बिक्री करने वालों (प्रापर्टी डीलर्स) का कोई विशेष हाथ नहीं हो सकता ।

(ङ) ऐसी आशा है कि दिल्ली में भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटाने की योजना के कार्यान्वय से जिसका ब्यौरा २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है, दिल्ली में प्लाटों के मूल्य कम हो जायेंगे । ऐसा निर्णय किया गया है, कि यदि प्रथम जुलाई, १९६० से तीन वर्ष की अवधि में खाली प्लाटों पर मकानों का निर्माण कार्य पूरा न हो तो विभिन्न कालोनियों में ऐसे खाली प्लाट अर्जित कर लिए जाएं, । अन्य कार्यवाही, जो इस संबंध में की जा रही है, उक्त विवरण में दी गई है ।

सुपरसोनिक जेट विमान

†*६११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा बनाये गये प्रथम आद्य रूप (प्रोटोटाइप) सुपरसोनिक (ध्वनि की रफ्तार से भी अधिक तेज चलने वाले) जेट विमान मे अग्रेतर सुधार की नवीनतम स्थिति क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसको व्यापारिक रूप में बनाने की कब आशा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) : नमूने के विमान विस्तत विकास प्रयोग उड़ानें कर रहा है ।

(ग) इस विकास के साथ साथ विमान के निर्माण में योजना के अनुसार प्रगति हो रही है ।

जनगणना

†**१६२७. श्री कार्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६१ की जनगणना के अनुसार मुसलमानों, सवर्ण हिन्दुओं, ईसाईयों, सिखों, बौद्धों तथा जैनियों की कुल जन संख्या कितनी है ;

(ख) १६५१ की जनगणना के अनुसार इन की जनसंख्या कितनी कितनी थी ;

(ग) भारत के प्रत्येक राज्य में १६६१ की जनगणना के अनुसार आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक राज्य में १६६१ की जनगणना के अनुसार आंकड़ क्या थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) और (ख) : १६६१ की जन गणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़े दर्शाने वाली एक पुस्तिका सभा पटल पर रखी गई है । वर्गों के अनुसार आंकड़े बताने के लिय १६६१ की जनगणना की छानबीन अभी जारी है और १६६३–६४ में यह सूचना प्राप्त होगी ।

(ख) और (घ). १६६१ की जनगणना के आंकड़े पहले ही प्रकाशित किय जा चुक हैं ।

बहुपति प्रथा

†**१६२८. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी मात्रा तक तथा किन क्षेत्रों में बहुपति प्रथा अभी जारी है;

(ख) क्या निकट भविष्य में उन क्षेत्रों में एक प्रति प्रथा लागू करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो किस तरीके से, और किन क्रमों के द्वारा ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: (क) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित करनी है और क्योंकि विवाह के विषय से उन का प्रशासनिक तौर पर संबंध है ।

(ख) और (ग) : इस सूचना की प्राप्ति पर ही केन्द्रीय सरकार यह फसला कर सकेगी कि क्या और किस तरीके से तथा कितने क्रमों में उन क्षेत्रों में जहां बहुपति प्रथा प्रचलित है, एक एक पति प्रथा लागू करना व्यावहारिक तौर पर संभंव होगा ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि

†**१६२६. श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य में त्रिपुरा के विस्थापित लोगों को दी गई भमि का 'टूरज़' बना लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सब विस्थापित लोगों को, जो खस भूमि में बसाये गये हैं, 'पर्चे' दे दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन 'पर्चों' को रोकने के क्या कारण हैं ; और

(घ) ये 'पर्चे' कब दिये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) संभवतः 'टूज़ी' से अभिप्राय है क्योंकि इस प्रसंग में 'टूरज़' का कोई अर्थ नहीं है । उस अवस्था में उत्तर है 'नहीं' ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास योजनाओं के अधीन भूमियां आवंटित की गई हैं। उन की विशिष्टियां पुनर्वास विभाग की खत्तियों में दर्ज होती हैं । जो ऋणों के लिये बंधनामे लिखते हैं उन को सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त अभिलेख में रैयत दर्ज किया जाता है तथा 'पर्चे' दिये जाते हैं ।

इनामी बांडों की बिक्री

†१६३०. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९६२ के अन्त तक ५ रुपये और १०० रुपये के कुल कितने इनामी बांड बेचे गये थे ;

(ख) इस प्रकार कुल कितनी राशि जमा हुई ;

(ग) अब तक पारितोषिक विजेताओं को कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) अब तक पारितोषिक विजेताओं ने कितनी राशि का दावा नहीं किया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क)

मूल्य	संख्या
५ रुपये	२.३० लाख
१०० रुपये	८.५ लाख

(ख) २० करोड़ रुपये

(ग) ८६ लाख रुपये ।

(घ) २३ लाख रुपये ।

अम्बाला छावनी माता कस्तूरबा कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड

†१६३१. **श्री चुनी लाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला छावनी में सनातन धर्म कालेज के समीप, अम्बाला छावनी माता कस्तूरबा कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि० द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण के लिये ३.४५ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया गया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मामले पर असैनिक क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड और अन्य सक्षम प्राधिकारियों ने विचार किया था तथा यह मामला उन की सिफारिशों के साथ अन्तिम निर्णय के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय को भेजा गया था ;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस में कितना समय लगेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है ।

अपर डिवीजन कल्कों और असिस्टेंटों के पदों का विलय

†१६३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय के अपरडिवीजन क्लर्कों और सहायकों के पदों को मिलाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जो कुछ समय पूर्व रखा गया था और जो सरकार के विचाराधीन था, कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) स्थिति वही है जो प्र० चं० बरुआ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४९९ के उत्तर में २५ अगस्त, १९६१ को सभा में ाई गई थी ।

दिल्ली में बुनियादी स्कूल

†१६३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बुनियादी स्कूलों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा स्थापित की गई मूल्यांकन समिति ने अपना काम पूरा करने में आज तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सिफारिश की है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) समिति ने आंकड़े एकत्र करने का काम पूरा कर लिया है और वह अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे रही है ।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा अन्य भारतीय सेवाओं में उड़ीसा के विधि स्नातक

†१६३४. **श्री उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९५७ से मार्च १९६२ तक आई० ए० एस०; आई० पी० एस० और अन्य संलग्न सेवाओं के लिये चुने गये व्यक्तियों में उड़ीसा के विधि स्नातक कितने थे ; और

(ख) उन लोगों में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कितने लोग थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश में स्त्री शिक्षा

†१६३५. **श्री उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के लिये आंध्र प्रदेश को तीसरी योजना अवधि में केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि आवंटित की थी ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के विस्तार के लिये कोई नवीन योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)** (क) लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा का विशेष कार्यक्रम अब राज्य क्षेत्र में शामिल है और इस काम के लिये कितने धन का नियतन किया जाय यह फैसला प्रत्येक राज्य सरकार को करना होता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश में विज्ञान मंदिर

†१६३६. **श्री उलाका** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में आंध्र प्रदेश में कितने विज्ञान मन्दिर आरम्भ किये जायेंगे ;

(ख) वे किन स्थानों पर होंगे ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) इस का फैसला राज्य सरकार के परामर्श से होता है, जिस ने अभी तक विज्ञान मन्दिर खोलने के लिये कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है, जिस की भारत सरकार अपेक्षा करती है ।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होते ।

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की इमारतें

†१६३७. **श्री उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में (मंडलवार) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कितने दफ्तर ऐसे हैं जो अभी तक स्थायी विभागीय इमारतों में नहीं हैं ; और

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालयों के लिये विभागीय इमारतें कब तक बन जाने की अपेक्षा की जा सकती है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) इस समय कुछ कहना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टर

†१६३८. **श्री उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में तीसरी और चौथी श्रेणियों के कितने कर्मचारियों को अभी तक विभागीय निवास प्रदान नहीं किये गये हैं ;

(ख) क्या १९६२-६३ में इन कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टर बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने क्वार्टर बनाने का विचार है और वे कहां पर बनाये जायेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) जी हां ।

(ग) १९६२-६३ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव इस प्रकार है :

स्थान	क्वार्टरों की संख्या
कटक	६
रायगाडा	२

हिमाचल प्रदेश में वृत्तिकाओं व छात्रवृत्तियों का भुगतान

†१६३९. **श्री वीरभद्र सिंह** :
श्री ललित देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन से छात्रवृत्तियों और वृत्तियों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी असुविधा और कठिनाई हो रही है क्योंकि प्रशासन उन को नियमित रूप से तथा समय पर छात्रवृत्ति या वृत्ति नहीं देता; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना हिमाचल प्रदेश प्रशासन से मांगी गई है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल के विद्यार्थियों की शिक्षा-यात्रायें

†१६४०. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसी कितनी शिक्षण संस्थायें हैं जिन्होंने शिक्षा यात्रा करने वाले विद्यार्थी दलों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का प्रयोग किया ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन शिक्षण संस्थाओं को कितनी धनराशि दी गई और कितने विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने इस अनुदान से लाभ उठाया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) वर्ष १९६१–६२ में धन की कमी के कारण केरल सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार को शिक्षा यात्राओं के लिये कोई राशि नहीं दी गई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय सेवायें

†१६४१. **श्री प० कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (वर्षवार) विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने पद सुरक्षित रखे गये ; और

(ख) कितने पद भरे गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भर्ती का वर्ष	भारतीय प्रशासन सेवा				भारतीय पुलिस सेवा			
	अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित पद	अनु० जा० द्वारा भरे गये पद	अनु० आ० जा० के लिए रक्षित पद	अनु० आ० जा० द्वारा भरे गये पद	अनु० सू० जा० के लिए रक्षित पद	अनु० जा० द्वारा भरे गये पद	अनु० आ० जा० के लिए रक्षित पद	अनु० आ० जा० द्वारा भरे गये पद
१९५७	१४	५	५	—	१३	४	५	—
१९५८	१५	२	५	—	१४	१	५	—
१९५९	१४	२	५	२	९	४	३	—
१९६०	१२	२	५	५	१०	३	४	—
१९६१	१९	९	५	५	१४	७	५	१

शिक्षा प्रमाण पत्रों का दिया जाना

†१६४२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पाकिस्तानी निवासी भारतीयों को शिक्षा प्रमाणपत्र न दिये जाने के मामले बड़ी संख्या में अनिश्चित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भूतपूर्व भारत निवासी पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के ऐसे ही कितने प्रार्थना पत्र भारत सरकार के पास अनिश्चित पड़े हैं ; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १२०४ (अद्यतन)

(ग) २७ (अद्यतन) ।

(घ) पाकिस्तान सरकार को पिछली मई में लिखा गया था । उन्होंने अनिश्चित पड़े प्रार्थना पत्रों को यथाशीघ्र समाप्त करने का वचन दिया है ।

मिकिर पहाड़ी जिले में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†**१६४३. श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों से जो अवैध रुप से मिकिर पहाड़ी जिले में बस गये हैं, देश से चले जाने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने अब तक देश से जा चुके हैं ;

(ग) क्या उनके लिये कोई समय सीमा निश्चित है ; और

(घ) यदि वे जाने से मना करें, तो सरकार क्या अन्य कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). अब तक इस प्रकार के ११६ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का पता लगा है जो अवैध रुप से मिकिर पहाड़ी जिले में रह रहे थे और वे सब पाकिस्तान भेज दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिये छात्रवृतियां

†**१६४४. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को वर्ष १६६२ में छात्रवृत्ति देने देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितना धन दिया गया है ;

(ख) क्या धन राशि वर्ष १६६१ में दी गई धनराशि से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा मन्त्रालय ने अब तक २५,५२,४०० रु० दिये हैं । यदि राज्य सरकार को और धन की आवश्यकता हो, तो उसकी पूर्ति गृह-कार्य मन्त्रालय करेगा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बरनाथ में पैराशूट कारखाना

†१६४५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बरनाथ में पैराशूट और वस्त्र कारखाना स्थापित होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नया कारखाना बनाना होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विद्यमान आयुध कारखानों का इस कार्य के लिये विस्तार करना होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) शाहांजहानपुर और कानपुर में विद्यमान कारखानों का विस्तार करके पैराशूट बनाने की क्षमता बढ़ाई गई है। अम्बरनाथ में पैराशूट बनाने का कारखाना बनाने की सम्भावना प्रतिरक्षा मन्त्रालय के विचाराधीन है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) हां, श्रीमान्। यदि निश्चय यह होता है कि अम्बरनाथ में कारखाना स्थापित किया जाये तो उस कारखाने का विस्तार किया जायेगा।

वेतन आयोग की सिफारिशें

†१६४६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें, जो स्वीकार हो चुकी हैं, अभी तक लागू नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण देर होने का क्या कारण है ;

(ग) वे सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) अन्तिम आदेश कब जारी होने की सम्भावना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) से (घ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई परन्तु अब तक कार्यान्वित न हुई वेतन आयोग की सिफारिशें दर्शाने वाला और यह दर्शाने वाला कि प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है, एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

एम० ई० एस० कर्मचारियों को पहाड़ भत्ता

†१६४७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग और कसौली में सेना इंजीनियरी सेवा के कार्यकर्ताओं को पहाड़ भत्ता देने का कोई अन्तिम निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) कितना भत्ता दिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैय्या)** : (क) से (ग). दार्जिलिंग और कसौली में ऐसा इंजिनयरी सेवा के कार्यकर्ताओं को पहाड़ी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हां, दार्जिलिंग और कसौली में काम करने वाले प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों को प्रतिकर तथा मकान किराया भत्ता के निम्न दर पर १-११-६० से देने के आदेश दे दिये गये हैं :—

(१) प्रतिकर भत्ता —

दोनों स्थानों पर

वेतन	भत्ता दर
५०० रु० से कम . . .	. वेतन का ५ प्रतिशत न्यूनतम ५ % और अधिकतम १० रू० प्रतिमास
५०० रु० या अधिक . . .	. वेतन जितना ५०९ रु० से कम हो।

(२) मकान किराय भत्ता

वेतन	भत्ता दर
क दार्जिलिंग	
७५ रु० से कम . . .	. ७.५० रु०
७५ रु० या अधिक लेकिन १०० रु० से कम	. १०.०० रु०
१०० रु० या अधिक लेकिन २०० रु० से कम	. १५.०० रु०
२०० रु० या अधिक लेकिन ५०० रु० से कम	. वेतन का ७½ प्रतिशत
५०० रु० और अधिक	. वेतन ५३६.४२ रु० से जितना कम हो।
ख कसौली	
७५ रु० से कम . .	. ५.०० रु०
७५ रु० या अधिक लेकिन १५० रु० से कम	. ७.५० रु०
१५० रु० से अधिक.	. वेतन १५६.५० रु० से जितना कम हो।

ये भत्ते संलग्न आदेशों में निश्चित शर्तों के अनुसार लिये जाते हैं।

केरल, बम्बई, और शिमला की लेखा परीक्षा कर्मचारी संस्थायें

†१६४८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल बम्बई, और शिमला में लेखा परीक्षा कर्मचारी संस्थाओं को मान्यता पुनः दे दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मान्यता पुनः देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् । अतारांकित प्रश्न संख्या २५७९ के उत्तर में, जो लोक-सभा में ५ जून, १९६२ को दिया गया था, बताई गई स्थिति जारी है ।

(ख) अभी संस्थाओं को मान्यता पुनः नहीं दी गई है क्योंकि केन्द्रीय असैनिक सेवा (सेवा संस्थाओं की मान्यता) नियम, १९५९ में निर्धारित शर्तें अभी उन्हें पूरी करनी हैं ।

(ग) सम्बन्धित कार्यालयों के कर्मचारियों को सूचित किया गया कि संस्थाओं को पुनः मान्यता देने पर उन्हें उनमें बनाये गये दोष दूर करते करते ही विचार किया जायगा ।

विदेशी आस्तियों की घोषणा

†१६४९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री ४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ और व्यक्तियों ने अपनी विदेशी आस्तियां बताई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ष १९६१ में और ३० जन, १९६२ तक विदेशी बैंकों में अपनी आस्तियां बताई थीं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १२ नवम्बर, १९६१ के बाद, जो कि अधिसूचना की शर्तों के अनुसार लेखे बताने की तारीख निश्चित की गई थी, ३३ लेखे बताये गये हैं। इन लेखों में ६.९लाख रु० हैं। यह सूचना रिजर्व बैंक को दे दी गई है ।

विभिन्न करों की बकाया

†१६५०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में १–६–६२ को आय-कर, सम्पत्ति कर, और उपहार कर की कुल कितनी बकाया थी ;

(ख) वर्ष १९६१ में कितनी बसूली हुई ; और

(ग) इस बकाया की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १–६–६२ को निम्न राशियां बकाया थीं :—

(आंकड़े हजार रु० में)

(क)	आयकर . . .	६,८३,९५
	सम्पत्ति कर	११,९८
	उपहार-कर . .	६
(ख)	आय-कर . .	६,०१,७३
	सम्पत्ति कर	२५,९५
	उपहार कर . . .	४,१४

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

आय कर : आयकर अधिनियम, १९६१ में निर्धारित निम्न कार्यवाही दोषियों से आयकर वसूल करने के लिए की गई है :—

(१) समय पर कर न देने के लिए धारा २२१(१) के अन्तर्गत जुर्माना करना ;

(२) धारा २२१ (१) के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र देना जो उसकी प्राप्ति पर बकाया कर की वसूली की कार्यवाही करता है ;

(३) बड़े नगरों में, जहां नगरपालिका करों का चल सम्पत्ति जब्त करके वसूल करने का उपबन्ध हो, कर न देने वालों की चल सम्पत्ति आशोधित वारन्ट जारी करके जब्त करना ;

(४) धारा २२६(२) के अन्तर्गत लिखित नोटिस जारी करना और डिसवर्सिंग अधिकारी को बकाया कर की राशि दोषी के वेतन से काटने को कहना बशर्ते कि दोषी वेतनिक कर्मचारी हों ;

(५) धारा २२६(३) के अन्तर्गत लिखित नोटिस जारी करना और जिस व्यक्ति को दोषी को धन देना हो या आगे देना पड़े, उससे कहना कि यह आयकर अधिकारी को उस सीमा तक दे जितना नोटिस में कर की बकाया राशि बताई गई हो ।

सम्पति कर : ११,९८,००० रु० बकाया राशि में से ८,६४,००० रु० अपीलों, शुद्धिकरण, आदि के निश्चय न होने के कारण अनिश्चित रखे गये । बाकी ३,३४,००० रु० के बारे में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र संबंधित वसूल कर्ताओं को जारी कर दिये गये हैं वे वसूली करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

उपहार-कर : अधिनियम में उपबन्धित कार्यवाही बकाया वसूल करने के लिए की जा रही है ।

जर्मनी में प्रशिक्षित भारतीय इंजीनियर

†१६५१. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिए जर्मनी में प्रशिक्षित कितने भारती इंजिनियर उस संघ में काम पर लगाये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने उन कार्यों पर लगाये गय हैं जिसके लिए प्रशिक्षण दिया गया था; और

(ग) जिस कार्य का उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था उस पर उनके न रखे जान के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** (क) १२३ ।

(ख) सभी उन कार्यों पर लग गये हैं जिनका उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माध्यमिक शिक्षा आयोग

१६५२. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक शिक्षा आयोग की इस सिफारिश पर कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की योग्यता, अभिरुचि और वैयक्तिक गुणों के अनुरूप हो क्या कार्यवाही हो रही है और उसकी क्या प्रगति है ;

(ख) बहु-प्रयोजनीय स्कूलों की कार्य-विधि में सुधार करने और उनमें समन्वय करने की दिशा में या राज्य क्षेत्र में योजनाओं की क्या व्यवस्था की जा रही है और सुधार के मूलभूत आधार क्या हैं ;

(ग) केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को इस दिशा में क्या सहायता दी जाएगी, और

(घ) बहु-प्रयोजनीय स्कूलों की कुल संख्या क्या है और इनमें से आदर्श रूप कितने और कौन-कौन से स्कूल चुने जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ) सिफारिश को पूरा करने के लिए, देश में, विभिन्न पाठ्यक्रमों वाले बहुद्देशी स्कूलों की स्थापना की गई है । दूसरी पंच-वर्षीय आयोजना के अन्त में एसे स्कूलों की संख्या २११५ थी । राज्य क्षेत्र में, एसे स्कूलों का समेकन और नए बहुद्देशी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निम्न प्रकार से सहायता देने का प्रस्ताव किया है :—

चार क्षेत्रीय कालेजों की स्थापना द्वारा, जो बहुद्देशी स्कूलों के लिए अध्यापक प्रशिक्षित करेंगे; और अनुमोदित ढांचे पर २० बहुद्देशी स्कूलों को सुदढ़ बनाने के लिए २ लाख रुपय प्रति स्कल तक, राज्य आयोजना के अतिरिक्त, वित्तीय सहायता देने के वचन द्वारा ।

राज्य सरकारों द्वारा चुने गए स्कूलों के संबंध में उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच

†१६५३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार को आरोपों के बारे में ११५ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ खुली जांच आरम्भ हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयवार एसे अधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या जांच पूरी हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख)

रेलवे	३९
परिवहन तथा संचार	३४
वित्त	१३
प्रतिरक्षा	११
वाणिज्य तथा उद्योग	७
निर्माण, आवास और संभरण	५
खान और तेल	४
खाद्य तथा कृषि	२
कुल	११५

(ग)

जिनकी जांच पूरी हो गई	२१
जिनकी जांच चल रही है	९४

(घ)

सरकारी नौकरों पर चलाये गये अभियोग	२
अभियोग चलाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले मामले	१
विभागीय कार्यवाही के लिए जिनकी सिफारिश की गई मैं	१७
कार्यवाही रोक दी गई	१
कुल	२१

घोड़ो की खरीद

†१६५४. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में ८ मास से एक वर्ष तक की आयु के घोड़े के बच्चे को खरीदने के लिए जिला रिमाउन्ट आफिसर क्या औसत मूल्य देता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : घोड़े के एक बच्चे के लिए छ : सौ रुपये ।

लेखकों आदि को सहायता

†१६५५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साहित्य, कला और जीवन के अन्य क्षेत्रों में योगदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिनकी आर्थिक दशा अब अच्छी नहीं है गत वर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : २६० लेखकों, कलाकारों या उनके आश्रितों को १९६१–६२ में कुल २,२६,८१८ रुपयों की मदद दी गई, जिनमें हरेक अनुदान की राशि ५० रुपए प्रतिमास से १५० रुपए प्रतिमास तक थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि विकास वित्त निगम

†१६५६. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि ग्रामीण विकास वित्त निगम बनाने के प्रस्ताव पर अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख): मामला अभी विचाराधीन है ।

'स्कूलों की श्रृंखला'

†१६५७. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक 'स्कूलों की श्रृंखला' बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्कलों में शिक्षा का माध्यम क्या होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य सचल जनसंख्या के बच्चों के लिए कुछ स्कूल बनान की योजना विचाराधीन है ।

मंगलौर में उर्वरक कारखाना

†१६५८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचि बावा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री ५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में एक उर्वरक कारखाना बनाने का लाइसेन्स दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देर होने के क्या कारण हैं ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** :(क) अभी नहीं ।

(ख) परियोजना की अर्थ-व्यवस्था का ब्योरा अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

जैसलमेर जिले में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१६५९. **श्री तान सिंह** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में हाल मैं एक भूतत्वीय सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का तत्काल विशेषकर गहरे और रचना-छिद्रण के लिये क्या कार्य-वाही करने का है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) उपलब्ध जानकारी से वहां तेल और प्राकृतिक गैस की खोज आगे करना उचित सिद्ध होता है ।

(ग) क्षेत्र में खोज करने के लिए फ्रेंच पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट का सहयोग प्राप्त हो गया है । आगामी फसल के मौसम मैं विस्तृत भू-कम्पीय सर्वेक्षण किये जायेंगे । भू-कम्पीय सर्वेक्षणों के ३/४ मास बाद प्राप्त होने वाली भू-कम्पीय जानकारी के आधार पर रचना छिद्रण की योजना बनाई जायेगी । यदि भू-कम्पीय सर्वेक्षण और या रचना छिद्रण के परिणामों द्वारा आवश्यक हुआ तो गहरे छेद किये जायेंगे ।

भिलाई इस्पात कारखाने में दुर्घटनायें

†१६६०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने में अब तक छोटी व बड़ी कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) उनमैं से कितनी प्राणघातक थी ; और

(ग) इन प्राणघातक घटनाओं से मरे व्यक्तियों के आश्रितों को कितना प्रतिकर दिया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) भिलाई इस्पात कारखाने के चालू होने से ३० जून, १९६२ तक कुल ४१३३ दुर्घटनायें हुईं जिनमें से ३८७३ छोटी दुर्घटनायें थीं ।

(ख) ९७ ।

(ग) प्राणघातक दुर्घटनाओं में से ८८ मामलों में २,१७,०१० दुर्ग स्थित मजदूर प्रतिकर आयुक्त के पास मृत व्यक्तियों के वैध उत्तराधिकारियों में वितरण के लिये जमा कर दिये गये हैं । ९ मामलों में मजदूर प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरदायित्व नहीं माना गया ।

टेलीविजन द्वारा शिक्षा

†१६६१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन द्वारा दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई करने से क्या फायदा हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार भारत के अन्य हिस्सों में भी टेलीविजन से स्कूलों में शिक्षा देने का प्रबन्ध करेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विज्ञान विषयों में टेलीविजन द्वारा शिक्षा देने का मुख्य लाभ यह है कि बहुत से ऐसे अनुभव और प्रयोग, जिनको साधारण कक्षा के कमरे में नहीं किया जा सकता उनकी टेलीविजन द्वारा व्यवस्था की जा सकती है । भाषाओं के क्षेत्र में शुद्ध उच्चारण टेलीविजन द्वारा अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्यार्थी भी टेलीविजन द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय में अधिक दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि टेलीविज़न द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय उनकी समझ में स्पष्ट रूप से आ जाते हैं। चूंकि टेलीविज़न द्वारा शिक्षा के लिये पर्याप्त योजना, सलाहकारों से विचार-विमर्श, अच्छी संदर्भ सामग्री और शैक्षणिक फिल्मों आदि की आवश्यकता होती है इसलिये इसके द्वारा कक्षा अध्यापकों का भी "सेवाकालीन प्रशिक्षण" हो जाता है।

फिर भी योजना का प्राथमिक वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) इस समय टेलीविजन सेवा केवल दिल्ली में ही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बम्बई में नियमित टेलीविज़न सेवा स्थापित करने की व्यवस्था है, जो तृतीय योजना की अवधि के अन्त तक कार्यान्वित हो सकेगी बशर्ते कि विदेशी विनिमय उपलब्ध हो। इस स्टेशन से शैक्षणिक टेलीविज़न लागू करने के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

अन्वीक्षधीन व्यक्ति की मृत्यु

†१६६२. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री नम्बियार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ जुलाई, १९६२ को वेस्ट पटेल नगर थाना (नई दिल्ली), में एक पूरन नामक व्यक्ति की, जिस पर मुकदमा चल रहा था, मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मृत्यु का क्या कारण था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) हां।

(ख) इसका सुनिश्चय करने के लिए एक मजिस्ट्रेट इसकी जांच कर रहा है।

उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

†१६६३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड १ जुलाई, १९६२ से समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यह कार्यवाही करने के क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने बोर्ड के स्थान पर क्या व्यवस्था की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) केन्द्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सामान्य पाठ्यक्रम तथा परीक्षा माध्यम में उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित करने के लिए पुनः बना दिया गया है। वह बोर्ड दिल्ली के स्कूलों के लिए भी परीक्षा का आयोजन करेगा।

बरेली में पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी की गिरफ्तारी

†१६६४. **श्री भाक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में पाकिस्तानी वायुसेना का जो अफसर गिरफ्तार किया गया था उसके मामले की छानबीन करके उसे दण्ड दिलाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० दातार)** : उक्त अफसर को पाकिस्तान वापस जाने की इजाजत दे दी गई है, क्योंकि उसके बरेली जाने में उसके ख़िलाफ़ कोई बात सामने नहीं आई।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र क लिये भारतीय प्रशिक्षणार्थी

†१६६५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६६१ में कुछ भारतीय स्नातक इंजीनियर व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र में भेजे गये थे ;

(ख) क्या योजना का उद्देश्य वास्तव में अप्रवीण श्रमिकों को प्रवीण बनाने का है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजना के लिए अर्हता प्राप्त इंजीनियरों को चुनने का क्या कारण है जिनके लिए यह योजना नहीं है ; और

(घ) इस स्थिति का उपचार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) हां, श्रीमान

(ख) नहीं श्रीमान। यह योजना ऐसे भारतीय राष्ट्रजनों को जिन्होंने व्यावसायिक कार्यों या इंजीनियरिंग के अध्ययन और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के अन्य कालेजों में कई वर्ष तक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया हो, जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के कारखानों और संस्थाओं में शिक्षण दिलाने के लिये है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

समवायों द्वारा बोनस अंश जारी करना

†१६६६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने समवायों ने १६६०, १६६१, और १६६२ में पूंजीगत निर्गम नियंत्रण को अपनी रक्षित निधि में से बोनस जारी करने के लिए प्रार्थनापत्र दिये हैं ;

(ख) कितने प्रार्थनापत्र स्वीकार किये गये ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित मंजूरी पर कितने अंश जारी किये जाने का पता लगा है ;

(घ) इन अंशों का अंकित मूल्य क्या है ; और

(ङ) मंजरी के लिए प्रार्थनापत्र देने के समय समवायों की प्रदत्त पंजी कितनी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पूंजी निर्गम नियंत्रक को अपनी रक्षित निधि में से बोनस अंश जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजने वाले समवायों की संख्या १६६० में २४, १६६१ में ६५ और १६६२ (जुलाई १६६१ तक) में ८० थी।

(ख) १६६० में २२, १६६१ में ७२ और १६६१ (३१ जुलाई तक) ७१ प्रार्थनापत्र मंजर किये गये।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में योग्यता के आधार पर छात्रवृतियां

†१६६७. **श्री गो० महन्ती :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में विश्वविद्यालय शिक्षा का पारायण करने के लिये दरिद्र छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियों के अनुदान के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी गई ;

(ख) कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां मिली ;

(ग) क्या ये छात्रवृत्तियां प्रति मास, प्रति तिमाही या प्रति छमाही बांटी गई थीं ; और

(घ) क्या नया सत्र आरम्भ होने से पूर्व ये सब छात्रवृत्तियां बांट दी जायेंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) २०,१०० रुपये ।

(ख) ३० ।

(ग) तथा (घ). नियमों के अधीन छात्रवृत्ति की राशि प्रति मास दी जानी चाहिये । छात्रवृत्तियों का वितरण राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ।

त्रिपुरा में आश्रम स्कूल

†१६६८. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक आश्रम स्कूल खोलने के लिए त्रिपुरा में बागफा और बेलोनिया आदिम जातियों की भूमि के कुछ टुकड़े अर्जित करने की सरकार की प्रस्तावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि शेष भूमि भी अर्जित कर ली गई तो ये आदिम जातियां भूमिहीन और निराश्रित हो जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी भूमि अर्जन करने की योजना को छोड़ देगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाल) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) हां, श्रीमान ।

(ग) नहीं श्रीमान । क्योंकि उनके पास ३८.४० एकड़ भूमि होगी ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेवा निवृत्ति वेतन के विचाराधीन मामले

†१६६९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री तन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष से केन्द्रीय सेवाओं के (सभी श्रेणियों के) पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवा निवृत्ति वेतन के कितने मामले मंजरी और भुगतान के लिए विचाराधीन हैं ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम को वित्तीय सहायता

†१६७०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम सरकार को अपने मार्गोपाय के साधनों की स्थिति में सुधारने के लिए इस वर्ष ७.५ करोड़ रुपये का ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसे ही ऋण अन्य राज्यों को भी दिये गये है ; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) इस ऋण पर ३ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है और केन्द्रीय करों और विहित अनुदानों के रूप में राज्य सरकार को चालू वर्ष में दिये जाने वाली हिस्से की राशि में समायोजन द्वारा इसकी वसूली की जाती है ।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) अन्य छः राज्य सरकारों को ७०.५० करोड़ रुपये ।

केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड

†१६७१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दी न बोलने वाले क्षेत्रों और विदेशों के छात्रों को संस्कृत के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देने की कोई योजना केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने बनाई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने इस विषय पर विचार किया था किन्तु उसने इस योजना की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं समझा ।

धार्मिक और नैतिक शिक्षा

†१६७२. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम रतन गुप्त :
महाराज कुमार विजयानन्द :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरिविष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया और धार्मिक और नैतिक शिक्षाके सम्बन्ध में साहित्य तैयार करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : २० विश्वविद्यालयों ने पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में सिफारिशों को मान लिया है और वे एकएक रूप में नैतिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस मंत्रालय ने प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए इस विषय के साहित्य का आरम्भिक चुनाव

†मूल अंग्रेजी में

कर लिया है, जो कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा सम्बन्धी समिति के समक्ष रखा जा रहा है। आशा है कि समिति की बैठक इस विषय पर विचार करने के लिए सितम्बर के आरम्भ होगी।

भारतीय सैन्य कर्मचारियों द्वारा विदेशी संवाददाताओं के भेंट की अनुमति

†१६७३. **श्री कंवल वेंकया :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि अमरीकी समाचारपत्र "बाल्टीमोर सन" में श्री ए० आर० फिलिप की, जिसने यह समाचार भेजा है, लद्दाख प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी अनाम भारतीय जनरल के साथ भेंट का विवरण प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानने के लिए जांच पड़ताल की गई है कि क्या यह भेंट वास्तविक थी और किस भारतीय जनरल ने इससे भेंट की थी ;

(ग) जनरल का नाम क्या है ; और

(घ) क्या सैन्य अधिकारियों को विदेशी सम्वाददाताओं से भेंट करने की अनुमति है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णमेनन)** : (क) से (ग). सरकार ने कथित भेंट का समाचार देखा है। कथित भेंट के समाचार की जांच के लिए पूछताछ की जा रही है।

(घ) नहीं श्रीमान, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं।

पुस्तकालयों की सेवाएं

†१६७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री ४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुस्तकालयों की सेवा का निर्माण करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में बाल संग्रहालय

†१६७५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में बाल संग्रहालय खोलने की योजना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). बाल भवन बोर्ड ने जो कि राष्ट्रीय बाल संग्रहालय का नियंत्रण प्राधिकारी है, हाल में ही पुनरीक्षित योजना और संग्रहालय के भवन के प्राक्कलन की मंजूरी दी है जिस पर ६,२१,००० रुपया व्यय होगा। इसमें एक प्रशासन खण्ड, विशेष प्रदर्शन बीथिका और बहुप्रयोजनीय हाल कमरा शामिल है। आशा है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग शीघ्र ही इसका निर्माण आरम्भ कर देगी।

इस बीच में भारतीय उद्योग मेले में पोलैंड के पेविलियन की भवन सामग्री को गिराने और उसे संग्रहालय के स्थान पर खड़ा करने का काम आरम्भ हो गया है ताकि संग्रहालय की जगह की आवश्यकता पूरी हो जाय। आशा है कि यह काम अक्तूबर से पूर्व पूरा हो जायगा और तब से

---

†मल अंग्रेजी में

संग्रहालय की नियमित सेवा आरम्भ हो जायगी । पोलैंड के पेविलियन का सामान पोलैंड की सरकार ने राष्ट्रीय बाल संग्रहालय को उपहार स्वरूप दिया था ।

संग्रहालय के पूर्ण होने पर यह शिक्षा सेवा अभिकरण का काम करेगा । बच्चों के लिए बच्चों सम्बन्धी और बच्चों के काम सम्बन्धी प्रदर्शनीय वस्तुएं रखेगा । यह अध्यापकों के लिए संसाधन के रूप में भी काम करेगा । इसमें संग्रहालय के कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी हुआ करेगा ।

शिक्षा विकास योजनायें

†१६७६. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ चर्चा के परिणामस्वरूप तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के लिए एक सामूहिक विकास योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसमें से कितना खर्च करेगा ; और राज्य सरकार कितना खर्च करेगी ;

(ग) इस निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए कि स्नातकोत्तर शिक्षा और गवेषणा कार्य से सम्बन्धित योजना के लिए सारा खर्च दिया जायगा, उसमें से कितना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देना होगा ;

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का उच्च वेतन-क्रम देने के लिए (३७ करोड़ रुपया) कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ङ) तीसरी योजना में इंजीनियरिंग और प्रविधिक शिक्षा और उच्च वैज्ञानिक शिक्षा तथा गवेषणा कार्य के विकास के लिए कितनी धन राशि रखी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट, २, अनुबन्ध संख्या ४८**] ।

(घ) २.५० करोड़ रुपया ।

(ङ) १४१.५४ करोड़ रुपया जिसमें केन्द्रीय योजना का ६६.६४ करोड़ रुपया और राज्य योजनाओं का ७१.६० करोड़ रुपया शामिल है ।

स्कूलों में शिक्षण शुल्क

†१६७७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की विभिन्न कक्षाओं में एक समान शुल्क की नीति को सरकार से सहायता प्राप्त कुछ संस्थायें नहीं अपना रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वर्ष एक समान शुल्क की नीति को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में हो तो क्या उन संस्थाओं ने जिन्होंने अभी तक इस नीति को नहीं अपनाया इसे अपनाना स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) क्या स्कूल वर्तमान खर्च में भी सरकार इस नीति को अपनायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा को सीमेंट का संभरण

†१६७८. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री उलाका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार और जनता से ये शिकायतें मिली हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में और ठीक समय पर सीमेंट नहीं दिया गया और उस से राज्य में सीमेंट की बहुत कमी हो गई है ;

(ख) १६६०–६१ और १६६१–६२ में कितना सीमेंट निर्धारित किया गया और क्या सारी निर्धारित मात्रा का राज्य के संभरण कर दिया गया था ; और

(ग) १६६२–६३ में उड़ीसा के लिए कितना सीमेंट देना नियत किया गया और क्या यह निर्धारण राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) हां, श्रीमान । उड़ीसा सरकार से शिकायतें मिली हैं ।

(ख) तथा (ग). राज्य के अभ्यंश में से नियत की गई मात्रा और उन्हें भेजे गये सीमेंट के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

अवधि	नियत मात्रा	भेजा गया सीमेंट
	(टनभार/टनों में)	
१६६०–६१ .	१,८८,४२४	१,३४,३६४
१६६१–६२ .	१,२८,४००	१,१०,७६२
१६६२–६३ . . .	६०,२००	
(अप्रैल १६६२—सितम्बर १६६३)		

अप्रैल-सितम्बर, १६६१ के लिए विभिन्न बातों पर विचार करके सीमेंट की मात्रा निर्धारित की गई है । उनमें राज्य की वर्तमान आवश्यकता देश में सीमेंट की कुल मांग के मुकाबले कारखाने के उत्पादन में कमी और प्रतिरक्षा तथा योजना आदि की आवश्यकताओं को प्राथमिकता और अनिवार्यता की बातें हैं ।

उड़ीसा के लिये कोयला

†१६७६. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के राज्य और जनता की ओर से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि राज्य को काफी मात्रा में और ठीक समय पर कोयला नहीं दिया गया ;

(ख) १६६०–६१ और १६६१–६२ में उसे कितना कोयला देना नियत किया गया था और क्या सारा कोयला दिया गया था ; और

(ग) १६६२–६३ के लिए उड़ीसा के लिए कितना कोयला नियत किया गया और क्या यह राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : (क) राज्य सरकार और जनता की ओर से कभी कोयले की कमी की सूचनाएं आती रहती हैं। ऐसे मामले में विशेष और अधिमान के आधार पर उपभोक्ताओं को तुरन्त संभरण किया जाता है।

(ख) तथा (ग). १६६०–६१ और १६६२ के वर्षों में उड़ीसा के राज्य के अभ्यंश और जवास्तव में वहां भेजे गये कोयले के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	अभ्यंश	माल डिब्बों में आंकड़े भेजा गया कोयला
१६६०	६६६८	४१५१
१६६१	६६८८	४८००
१६६२ (मई तक)	४०६०	१३६६

जून से सभी राज्यों के अभ्यंश में संशोधन कर दिया गया है ताकि वह उपलब्ध परिवहन क्षमता अनुकूल हो जाये। उड़ीसा का जून से संशोधित अभ्यंश ५१४ डिब्बे प्रति मास है।

मौजूडीह म कोयले साफ करने का कारखाना

†१६८०. **श्री प्र० क० देव** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा आरम्भ किया गया मोजूडीह का कोयला साफ करने का कारखाना स्थापित हो गया है ;

(ख) यह कब चलाया जायेगा और इसकी क्षमता क्या होगी ; और

(ग) उस पर कितना व्यय किया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) नहीं श्रीमान्, किन्तु इस की स्थापना पूरी होने वाली है।

(ख) कोयला साफ करने का कारखाना सितम्बर या अक्तूबर, १६६२ को प्रयोरूप में चलना आरम्भ होने की संभावना है और उसमें प्रतिवर्ष १२ लाख टन कोयला साफ करने की क्षमता होगी।

(ग) ३१ जुलाई, १६६२ तक इस कारखाने पर २.४६ करोड़ रुपया खर्च हुआ है।

चितौड़गढ़ सैनिक स्कूल

१६८१. **श्री तनसिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में कितने विद्यार्थी अनुसूचित जातियों के हैं और उनका प्रतिशत क्या है ; और

(ख) इस प्रतिशत के कम होने के क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). सैनिक स्कूलों में प्रविष्टिएं केवल योग्यता के आधार पर होती हैं। जातीयता के विषय में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते।

†मूल अंग्रेजी में

आर्मी आर्डनेंस कोर

†१६८२. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४२ में सेना के लोगों के आर्मी आर्डनेंस कोर (आयुध सैन्य दल) में पहरे और रक्षा के कार्यों के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उन का सेवा-कार्य समाप्त होने पर उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि उन्हें सेवा निवृत्ति के लाभ नहीं दिये गये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :** (क) १९४४ में (न कि १९४२) ए० ओ० सी० के पहरा तथा रक्षा सम्बंधी कई विभाग खोले गये थे और सुयोग्य कर्मचारियों के जिन्हें अन्य पद-निवृत्त किया जाना था क्योंकि वे स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं थे या अपनी सैन्य सेवा में सक्रिय कार्य के योग्य नहीं थे उन विभागों में भेज दिये गये थे ।

(ख) उनकी सेवावधि की समाप्ति पर या पहरा तथा रक्षा विभाग के तोड़ने पर कर्मचारियों में कमी करने के कारण उन्हें पद-निवृत्त किया गया था ।

(ग) नहीं श्रीमन् । पहरा और रक्षा के जो कर्मचारी युद्ध पूर्व की शर्तों पर काम कर रहे थे या विमुक्ति से पद-निवृत्त होने पर पुनः भर्ती किये गये थे और जिन्होंने पुरानी सेवा सेवा-निवृत्ति वेतन । उपदान में गिनाने का विकल्प दिया है उन्हें निवृत्ति वेतन दिया गया था यदि उनकी अर्हता प्राप्त सेवा १५ वर्ष की थी और उपदान उन्हें दिया गया था जिनकी सेवा १५ वर्ष से कम थी । पहरा और रक्षा विभाग के जिन कर्मचारियों की पहली सेवा नहीं थी और युद्ध के लिए जिनकी नियुक्ति की गई थी उन्हें विशेष उपदान दिया गया था ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

असम सरकार को सहायता अनुदान

†१६८३. **श्री स्वैल :**
श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा १९४७ से असम सरकार को संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत कितना सहायता अनुदान दिया गया ;

(ख) असम सरकार को दिये गये सहायता अनुदान में से उस ने कितना व्यय किया;

(ग) किन मदों पर विभिन्न राशियां व्यय की गईं ; और

(घ) कितनी राशि लौटाई गईं और उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में निरधिसूचित क्षेत्र

†१६८४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में पंजाब राज्य में निरधिसूचित क्षेत्रों की उन्नति के लिए कोई रकम मंजूर की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में (उपमंत्री श्रीमती चन्द्र शेखर):** (क) और (ख). देश में कहीं ऐसे कोई क्षेत्र नहीं हैं। इसलिए पंजाब राज्य में ऐसे क्षेत्रों की उन्नति के लिए कोई रकम मंजूर करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

१९६२–६३ में निरधिसूचित आदिम जातियों के कल्याण की योजनाएं आरंभ करने के लिए पंजाब राज्य को निम्नलिखित रकमें मंजूर की गयी हैं :—

केन्द्रीय क्षेत्र	१.९६ लाख रुपया
राज्य का क्षेत्र	०.२९ लाख रुपया
कुल .	२.२५ लाख रुपया

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी को दी गयी विदेशी मुद्रा

†१६८५. **श्री र० ना० रेड्डी :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी द्वारा मांगी गयी १४५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा में से १९६२–६३ में केवल १४.२६ लाख रुपये की रकम दी गयी है ;

(ख) १९६२-६३ के लिए कितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक है ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए, १९६२–६३ के लिए ३२ लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना कंपनी के लिए संभव है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड ने १४५ लाख रुपये की जो विदेशी मुद्रा मांगी थी उसमें से १३१.५० लाख रुपया १९६१-६२ में कम्पनी को दिया गया था ।

(ख) १९६२–६३ के लिए कंपनी को २४२.१५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होने का अनुमान था । इसमें से अप्रैल-सितम्बर, १९६२ की छमाही के लिए १७५.७५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा उसे दी जा चुकी है ।

(ग) कंपनी ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि वह १९६२–६३ में ३२ लाख टन उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर सकेगी ।

---

†अंग्रेजी में

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी

†१६८६. **श्री र० न० रेड्डी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी की ४१वीं वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित यह तथ्य कि १९६१ में प्रति मैन-शिफ्ट कोयले का कुल उत्पादन ०.४२ टन था, गलत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह गलती इस बीच ठीक की गयी है ;

(ग) ठीक ठीक आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) क्या इन खानों में प्रतिव्यक्ति उत्पादकता अखिल भारतीय औसत से कहीं अधिक है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) वर्ष १९६१ में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के लिए प्रति मैन-शिफ्ट कुल उत्पादन ०.४२ टन था और वह उस कंपनी की ४१वीं रिपोर्ट में ठीक ही बताया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) १९६१ में औसतन अखिल भारतीय ओ०एम०एस० लगभग ०.४८ टन था ।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी द्वारा 'डीप शैफ्ट' खनन प्रणाली का अध्ययन ।

†१६८७. **श्री र० न० रेड्डी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी द्वारा डीप शैफ्ट (गहरा कूपक) खनन के हानि लाभ का अध्ययन इस बीच पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किये गये हैं ; और

(ग) क्या आयोजन आयोग ने डीप शैफ्ट खनन के जरिये १० लाख टन कोयला निकालने के लिए इसी बीच ८ करोड़ रुपये दिये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) से (ग) डीप शैफ्ट (गहरा कूपक) खनन से १० लाख टन कोयला निकालने की लाभ-हानि की छानबीन अभी की जानी है । सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी के लिए तीसरी योजना में २० करोड़ रुपये की रकम रखी गयी है । इसमें वह ८ करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है जो डीप शैफ्ट खानों से १० लाख टन कोयला निकालने की अनुमानित लागत है ।

आन्ध्र में हीरे की खानें

†१६८८. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में व्रजकनूर क्षेत्र के पास हीरे की पुरानी खानों का सर्वेक्षण करने का भारत के भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग का विचार है ; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में करनूल जिले में बंगमपल्ली तथा महबूबनगर जिले में कई अन्य स्थानों जैसे हीरों वाले अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का भी उस विभाग का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). जी हां। भारत का भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में करनूल (करनूल जिले में बंगनपल्ली), अनन्तपुर (वज्रकनूर क्षेत्र), महबूबनगर और कृष्णा जिलों में हीरों वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण आरंभ करने वाला है।

प्रविधिक कर्मचारी

†१६८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इथियोपिया की सरकार काफी संख्या में भारत के प्रविधिक कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इथियोपिया की सरकार ने किसी नयी भरती के लिए भारत सरकार से मांग की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायन कबिर)** : (क) भारत सरकार ने इथियोपिया की सरकार को कुछ पदाधिकारियों की सेवाएं उधार दी हैं।

(ख) जी नहीं ।

कल्याण पदाधिकारी

†१६९०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में कल्याण पदाधिकारियों के क्या कर्त्तव्य और कार्य हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी कार्यों पर कुल कितना वार्षिक खर्च किया गया और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक कार्यवाही पर कितना- कितना खर्च हुआ ;

(ग) विभिन्न कार्यों से कुल कितने व्यक्तियों को वास्तव में लाभ हो रहा है ;

(घ) कल्याण पदाधिकारियों में सरकारी कर्मचारियों को कितना लाभ हो रहा है क्या उसका कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक विभाग/मन्त्रालय के लिये उसके परिणाम क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९**]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु

†१६९१. **श्री जयरामन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को सेवा निवृत्ति के समय इस कारण नुकसान होता है कि भरती के समय उम्र की रियायत सेवा निवृत्ति आयु में जोड़ी नहीं जाती ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). सभी श्रेणियों के लिये निर्धारित सामान्य आयु में सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के प्रवेश पर कोई रुकावट नहीं है लेकिन उनके मामले में, विभिन्न पदों पर भरती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा ५ साल बढ़ा दी जाती है । यह एक रियायत है और वह उन्हें इस कारण दी जाती है कि उनमें से अधिकांश कम उम्र में आवश्यक शिक्षा स्तर तक पहुंच नहीं पाते । उम्र की इस रियायत से अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों को कोई दिक्कत नहीं होती । अनुसूचित जाति/आदिम जाति का सदस्य एक बार सरकारी सेवा में आने पर, सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू सभी नियम और शर्तें उस पर लागू होती हैं । सेवा निवृत्ति की आयु शारीरिक और मानसिक स्वस्थता से सम्बन्धित होती है और वह सभी कर्मचारियों के लिये समान रूप से लागू होती है । सरकार को बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवा निवृत्ति की विशेष आयु रखना असंवैधानिक होगा ।

देशबन्धु कालेज, कालकाजी

†१६९२. **श्री वें० पें० वेंकटासुब्बय्या** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होस्टल की कमी के कारण देशबन्धु कालेज, कालाजी,के छात्रों को बड़ी कठिनाई और असुविधा हो रही है ;

(ख) क्या छात्रों के लिये एक होस्टल बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो वह निर्माण कार्य कब आरम्भ करेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय पंचांग

†१६९३. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि शक सम्वत् १८८५ वर्ष में "काषाय मास" बारबार आ रहा है और इससे भारत के दूसरे भागों में पंचागों में अपनायी जाने वाली व्यवस्था में और राष्ट्रीय पंचांग में दिखाये गये ठीक गणित को मानने वालों और न मानने वालों के बीच भी भ्रम उत्पन्न हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह भ्रम दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(च) क्या देश में विभिन्न पंचांगों में रूपता लाने के लिये पंचांग बनाने के बारे में अपनी नीति के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक घोषणा करने का सरकार का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस विषय पर विचार हो रहा है ।

सोने का उत्पादन

†१६९४. **श्री रा० शि० पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से आज तक कोलार सोना खानों से कितना सोना निकाला गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अगले पांच वर्षों में सोने का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १–१–१९५५ से ३१–७–१९६२ तक की अवधि में कोलार सोना खानों में सोने का उत्पादन ३७८.१ लाख ग्राम था ।

(ख) अनुमान है कि अन्य बातों के समान रहने पर अगले पांच वर्षों में सोने का औसत वार्षिक उत्पादन ४२ लाख ग्राम होगा ।

सिविल जनरल ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कर्मचारी

†१६९५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल जनरल ट्रांसपोर्ट कम्पनियों असैनिक सामान्य परिवहन कम्पनियों द्वारा नियुक्त कर्मचारी जैसे मोटर ड्राइवर, मैकेनिक, क्लीनर को असैनिक या सैनिक कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जाता है ;

(ख) यदि उन्हें सैनिक कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो क्या उन्हें वे लाभ दिये गये हैं जो सैनिक कर्मचारियों को मिलते हैं ;

(ग) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ;

(घ) यदि उन्हें असैनिक कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो क्या उन्हें वे लाभ दिये गये हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) उन्हें असैनिक कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) उन्हें प्रतिरक्षा सेवाओं के अन्य असैनिक कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभ दिये जाते हैं । इसके अलावा, जिस तरह के काम वह करते हैं उनके कारण उन्हें कुछ और रियायतें भी दी जाती हैं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारी इंजीनियरिंग उद्योग

†१६९६. **श्री बसुमतारी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या यह सच है कि कच्चा लोहा, इस्पात, कोक और बिजली की कमी के कारण भारी इंजीनियरिंग उद्योग तीसरी पंचवर्षीय योजना के उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे ;

(ख) यदि हां, तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग की मांगें पूरी करने के उद्देश्य से यह कमी दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ताकि सरकारी परियोजनाएं समय पर ही और उचित ढंग से चाल की जा सकें ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (घ). कच्चा लोहा, इस्पात, कोक और बिजली की कमी के कारण भारी इंजीनियरिंग उद्योग के तीसरी पंचवर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्यों में इस दशामें किसी कमी का अनुमान करने का सरकार के लिये कोई कारण नहीं है । विकासशील अर्थ व्यवस्था में बुनियादी सप्लाई और सेवाओं पर एक अनिवार्य बोझ हैं और इस कमी के कारण होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है । सरकार भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की आवश्यकताओं पर बराबर ध्यान दे रही है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्य पूरे करने के लिये इन सप्लाई और सेवाओं की सम्पूर्ण उपलब्धि के अन्तर्गत सभी प्रयत्न करेगी ।

गारो पहाड़ियां कोयला क्षेत्र

†१६६७. **श्री हेम बरूआ** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम सरकार ने गारो पहाड़ियों, असम के कोयला क्षेत्रों से कोयला निकालने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कोयला क्षेत्रों में काम आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ शर्तें लागू की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वह शर्तें कौनसी हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). जी हां । असम सरकार ने प्रार्थना की है कि गारो कोयला खानों से कोयला निकाला जाये । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है और इस योजना की छानबीन कर रहा है । चूंकि सभी पहलुओं से अभी इस योजना की छानबीन हो रही है इसलिये इस दशा में कोई शर्तें लागू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दया याचिकायें

१६६८. **श्री बागड़ी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फांसी की सजा के कितने मामले भारत के संविधान के अनुच्छेद ७२ के अधीन दया याचिकायें देने पर जनवरी, १६६२ से जुलाई, १६६२ की अवधि में उमर कैद की सजा में तबदील हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : प्रथम जनवरी से ३१ जुलाई, १६६२ तक की अवधि में ४० कैदियों के मामलों की फांसी की सजा उमर कैद में तबदील की गई ।

ओल्पाद क्षेत्र में तेल

†१६६६. **श्री दे० जी० नायक** :
श्री पु० र० पटेल :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत जिले के ओल्पाद प्रदेश में छिद्रण कार्य के लिये कितने स्थान निश्चित किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितनों में छिद्रण कार्य हो रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तेल प्राप्त होने की क्या सम्भावना है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय): (क) ओल्पाद स्ट्रक्चर पर छिद्रण के लिये पांच स्थान निश्चित किये गये हैं ।

(ख) एक अर्थात् स्थान संख्या २

(ग) इस दशा में कुछ कहना कठिन है ।

लोहे और इस्पात के स्टाक होल्डर

†१७००. श्री रा० प्र० सिंह : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के विभिन्न भागों के लिए लोहे और इस्पात के रजिस्टर्ड स्टाक होल्डरों की नियुक्ति के कई मामले काफी समय से लोहा और इस्पात नियंत्रक कलकत्ता के कार्यालय में विचाराधीन पडे हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस देर के कारण, राज्य में कमी वाले इलाके को लोहा नहीं दिया जाता है ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर हां हों, तो इस मामले में शीघ्रता करने के लिए क्या कुछ करने का सरकार का विचार है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग). रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट राज्य सरकारों की सिफारिश पर लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । बिहार सरकार ने पहले दौर में २५ और दूसरे तौर में २४ रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों की नियुक्ति की सिफारिश की थी । बादमें इस सिफारिश में संशोधन किया गया क्योंकि वे पहले दौर में सिर्फ २१ स्टाकिस्ट नियुक्त करना चाहते थे । दूसरे दौर के लिए अभी तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है । पहले दौर के लिए सिफारिशें फुटकर में प्राप्त हुई थीं और राज्य सरकार से इकट्ठी सिफारिश ३ ०-९-१९६१ तक प्रस्तुत करन की प्रार्थना की गयी थी । यह सिफारिश लोहा और इस्पात नियंत्रक को प्राप्त नहीं हुई । फिर भी उसके पास जो सिफारिशें पहुंच चुकी थीं उनके आधार पर उन आवेदनपत्रों के गुणदोषों के अनुसार उन पर विचार किया और नियुक्ति आदेश जारी किय अब वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा रखा गया प्रस्ताव	२१
राज्य सरकार ने जिन पार्टियों का उल्लेख नहीं किया उनके नाम .	५
राज्य सरकार ने जिन पार्टियों की सिफारिश की उनके नाम .	१६
प्राप्त आवेदन पत्र तथा अन्य प्रलेख	१३
नियुक्ति	८
अस्वीकृत	१
अपूर्ण प्रलेख	४
अब तक जो आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी संख्या	३

†मूल अंग्रेजी में .

इंडियन आयल कम्पनी का दफ्तर

†१७०१. **श्री रा० प्र० सिंह :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने इंडियन आयल कंपनी का शाखा दफ्तर पटना से कलकत्ता बदल दिया है, जब कि कलकत्ता की अपेक्षा पटना से बरौनी तेल शोधन कारखाना परियोजना के साथ नियमित संबंध स्थापित करना अधिक सरल था ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दफ्तर को पटना से बदलने के कारण क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** (क) इंडियन आयल कम्पनी ने अपनी पूर्वी शाखा का मुख्यालय १ मई, १९६२ से पटना से कलकत्ता बदल लिया, परन्तु बरौनी तेल शोधन कारखाना परियोजना के साथ सम्पर्क कायम रखने के लिये, कंपनी का एक मंडलीय दफ्तर पटना में रखा गया है ।

(ख) शाखा मुख्यालय को पटना से कलकत्ता बदलने के कारण ये थे

(१) इंडियन आयल कंपनी की पूर्वी शाखा का क्षेत्राधिकार आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों तक है । कलकत्ता मुख्य संचार केन्द्र होन के कारण, पूर्वी शाखा के राज्यों के साथ पटना की अपेक्षा कलकत्ता से अधिक सरलता से सम्पर्क रखा जा सकता है ।

(२) कलकत्ता बड़ा बाजार है ।

(३) कलकत्ता अन्य तेल समवायों के साथ, जिन के साथ इंडियन आयल कंपनी के गौहाटी तेल शोधन कारखाने की वस्तुओं की बिक्री के लिये उत्पाद विनियम व्यवस्था है, संबंध रखने के लिये सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है ।

भारी इस्पात उद्योग

†१७०२. **डा० श्रीनिवासन :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में एक भारी इस्पात उद्योग आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्थान चुन लिया गया है और उद्योग को आरंभ करने में सरकार को कितना समय लगगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने निवेली लिग्नाइट और सेलम तथा अन्य लोह अयस्क के आकार पर दक्षिण प्रदेश में एक इस्पात संयंत्र लगाने के प्रश्न पर विचार करने के हेतु से एक प्रविधिक समिति नियुक्त की है । समिति ने अनुभव किया है कि इस कच्चे माल से लोहा बनाना प्रविधिक दृष्टि से संभव प्रतीत होता है और यह सिफारिश की है कि प्रविधिक तथा आर्थिक पहलुओं का अधिक विस्तारपूर्वक अनुमान लगाया जाना चाहिये, औद्योगिक अथवा अग्रिम संयंत्र पैमाने पर । परिणामत: नार्वे और पूर्व जर्मनी में कुछ प्रयोग किो गये थे, जिन में प्रारंभिक परिणाम उत्साहवर्धक हैं । साथ ही सरकार ने विस्तारपूर्वक संभावत: रिपोर्ट तैयार करने के लिये सलाहकार इंजीनियरों की एक फर्म की नियुक्ति के लिये समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है । सलाहकार प्रस्तावित संयंत्र के सभी संगत

---

†मूल अंग्रेजी में

पहलुओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें वे तत्व भी शामिल हैं, जिनका इसकी स्थापना के स्थान पर प्रभाव पड़ता है। संयंत्र की स्थापना तथा संयंत्र आरंभ करने की तिथि के बारे में निर्णय तभी किया जाएगा जब पूर्वी जर्मनी तथा नार्वे के प्रयोग की अन्तिम रिपोर्टें तथा सलाहकारों की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी।

बकाया आयकर

†१७०३. **श्री कपूर सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह भट्टीडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५२–६२ की अवधि में (वर्षवार) गुजरात राज्य में विभिन्न लोगों से कितना आयकर वसूल करना बकाया है ; और

(ख) सरकार ने उन लोगों से जिन्होंने आयकर की बकाया रकम नहीं दी, इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अपेक्षित सूचना अनुबंध संख्या 'क' में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबंध संख्या 'ख' में दी गई है।

मैसूर में राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति

†१७०४. **श्री स० का० पाटिल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५२ से आज तक मैसूर राज्य में राजनीतिक पीड़ित लोगों में कितनी राशि है वितरित की गई ;

(ख) क्या मैसूर राज्य की कोई अर्जियां अभी तक लंबित हैं और यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या यह सच है कि राजनीतिक पीड़ितों को १०० रुपये से ५००० रुपये तक भिन्न भिन्न राशियां दीं गईं ;

(घ) राशि निर्धारित करने का आधार क्या था ; और

(ङ) क्या सरकार निराश्रित और निर्धन राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने का विचार कर रही है और यदि हां, तो सरकार की योजनाएं क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ३१ जुलाई १६६२ तक १६५५–५६ में गृह-कार्य मंत्री के स्वविवेक वाला अनुदान आरंभ होने से लेकर १८३४५ रुपया

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) प्रत्येक मामल में सहायता की मात्रा, राष्ट्रीय आन्दोलन में अभ्यार्थी द्वारा उठाई गई कठिनाइयों की मात्रा, उस की वित्तीय स्थिति तथा जीवन निर्वाह के साधनों, उत्तरदायित्वों आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) राजनीतिक पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और उन्होंने इकट्ठी नकदी अनदान, भूमि अनदान, जीवन पर्यंत पेंशन, जुर्मानों का लौटाया जाना जब्त की गई सम्पत्ति वापिस देना, पुनर्वास ऋण, राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं देने आदि के रूप में सहायता देने की अपनी योजनाएं बनाई हैं। कठिनाई के व्यक्तिगत मामलों में छोटी इकट्ठी नकदी अनुदान के रूप में सहायता भी गृह मंत्री के स्वविवेकी अनुदान से जाती है।

त्रिपुरा में पुनर्वास केन्द्रों में सहकारी संस्थाएं

†१७०५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्रों में आरंभ की गई सहकारी संस्थाओं में कुल कितने विस्थापित व्यक्ति काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन की संख्या घट रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के कारण क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री दातार)** (क) और (ख) :

१९५८–५९	५६००
१९५९–६० . .	५८६६
१९६०–६१	५२०६

(ग) १९६०–६१ में थोड़ी भी कमी होने के लिये कोई विशिष्ट कारण नहीं है ? आशंका इस का कारण यह था कि अन्यत्र अधिक वेतन वाले पद उपलब्ध थे।

पटसन निर्यात का कम बीजक बनाना[1]

†१७०६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से पटसन के माल के निर्यात का कम बीजक करन का तरीका हाल ही में मालम हुआ है ;

(ख) क्या इस तरीके से देश की बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं हो सकी ;

(ग) क्या उत्तरदायी लोग मालूम हो गये हैं और उन को दंड दिया गया है; और

(घ) इस अवैध प्रणाली को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) इस समय यह नहीं कहा जा सकता।

(ग) कुछ मामलों का न्याय निर्णय हो चुका है, और परिणामतः इस विकल्प पर कि पयुक्त जुर्माना देने पर माल छड़ाया जा सकता है, माल जब्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में कुछ संबद्ध लोगों पर वैकल्पिक जुर्माने भी लगाये गये हैं। अभी कुछ और मामलों की जांच तथा न्याय निर्णय होना शेष है।

(घ) निर्यात संबंधी कागजों की ध्यानपूर्वक छानबीन की जाती है। जब अपराध सिद्ध हो जाए, सीमा शुल्क अधिकारी या प्रत्यावर्त्तन निदेशक अथवा दोनों उचित कार्रवाई करते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Under Invoicing

भंडारा के समीप आयुद्ध कारखाना

†१७०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भंडारा के समीप एक नवीन आयुध फैक्टरी स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कब तक उत्पादन आरंभ कर देगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) अधिकांश प्रोसैस संयंत्र के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं । सिविल कामों का निर्णय आरंभ हो चुका है । संयंत्र स्थापित करने और उसे चलाने के संबंध में आयोजना की जा रही है ताकि अनुसूची के अनुसार उत्पादन आरंभ किया जा सके ।

(ख) लगभग १९६४ के मध्य तक ।

पब्लिक स्कूलों के लिये पारितोषिक

†१७०८. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के आरंभ होने से लेकर पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाने के लिये कुल कितने पारितोषिक हुए हैं ;

(ख) इन पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों से कितने आये हैं ;

(घ) उन पर कितना व्यय हुआ है ;

(ङ) पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाने के लिये पारितोषिकों के मामलों में ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों के लिये अवसर में समानता लाने के लिये यदि सरकार ने कोई उपाय किया है या सोचा है तो वह क्या है ; और

(च) क्या (योजना के अन्तर्गत) ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिये जन संख्या के अनुपात के बराबर जो अपने बच्चों को अवश्य ग्रामीण स्कूलों में भेजते हैं अभ्यंश नियत करने की संभावना का विचार किया जाता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ५२४ ।

(ख) ३२५१६३८ रुपये ।

(ग) और (घ). ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों से आने वाले अभ्यार्थियों के संबंध में कोई पृथक आकड़े नहीं रखे जाते, इस लिये यह बताना संभव नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने विद्यार्थियों पर कितना व्यय हुआ है ।

(ङ) अवसर की समानता होती है क्योंकि विद्यार्थी प्रादेशिक भाषा में या मातृ भाषा में परीक्षा दे सकते हैं । इस के इलावा, परीक्षार्थियों की वास्तविक प्रतिभा का अनुमान लगाने की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस कारण नगरीय क्षेत्रों के बच्चों को जो अधिक लाभ प्राप्त होता है वह बराबर हो जाती है ।

(च) कोई आरक्षण करना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में स्टाम्प बेचने वालों का कमिशन

१७०९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्टाम्प बेचने वालों के कमीशन में कुछ कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इनको कितनी कमीशन दी जाती है और इस कमीशन को कम करने से पूर्व इनको कितने प्रतिशत कमीशन मिलती थी ; और

(ग) इनकी कमीशन कम करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) दशमिक सिक्कों में प्रति रुपया कमीशन की वर्तमान दरें

	दिल्ली तथा नई दिल्ली में	अन्य स्थानों में
१. विदेशी बिल, शेयर ट्रांस्फर, विपत्र प्रमाणक तथा बीमा मुद्रांक	१ न०प	२ न०प०
२. हुंडी मुद्रांक, राजस्व तथा निमुद्रित मूद्रांक कागज़	२ न०प०	३ न०प०
३. न्यामालय शुल्क मुद्रांक	५० न० प० प्रतिशत	५० न० प० प्रतिशत
४. अभिरक्षक मुद्रांक	५० न०प० प्रतिशत	५० न०प० प्रतिशत
५. मनोरंजन मुद्रांक	२५ न०प० प्रतिशत	२५ न०प० प्रतिशत
५. वाटर मार्क पेपर	५० न०प० प्रतिशत	५० न०प० प्रतिशत

प्रति रुपया कमीशन की पुरानी दरें	**दिल्ली तथा नई दिल्ली में**	**अन्य स्थानों में**
१. विदेशी बिल, शेयर ट्रांस्फर, विपत्र प्रमाणक तथा बीमा मुद्रांक . . .	३ पाई	५ पाई
२. हुंडी मुद्रांक, राजस्व मुद्रांक तथा निमद्रित मुद्रांक कागज़	५ पाई	९ पाई
३. न्यायालय शुल्क मुद्रांक	८ आने प्रतिशत	८ आने प्रतिशत
४. अभिरक्षक मुद्रांक	८ आने प्रतिशत	८ आने प्रतिशत
५. मनोरंजन मुद्रांक	४ आने प्रतिशत	४ आने प्रतिशत
६. वाटर मार्क पेपर . . .	८ आने प्रतिशत	८ आने प्रतिशत

(ग) जब पुराने सिक्कों से नए सिक्कों में परिवर्तन किया गया, तो शून्यान्त करने के कारण कमी हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के सीमाक्षत्रों का विकास

†१७१०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के सीमा क्षेत्रों के विकास पर तीसरी योजना अवधि में कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(ख) तीसरी योजना में कौन २ मुख्य काम किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) १३ लाख रुपये ।

(ख) २१ जून, १६६२ के श्री हेम राज के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४५ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें १६६१–६२ और १६६२–६३ में क्रियान्विति के लिये अनुमोदित मुख्य योजनाएं बताई गई हैं । तीसरी योजना की बकाया अवधि में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विचार किया जाएगा ।

नूनमती बरौनी पाइप लाइन

†१७११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में नूनमती-बरौनी पाइप लाइन के काम में कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) उस पर उक्त अवधि में कितना व्यय किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) (१) जून १६६२ के पहले सप्ताह तक, कुछ रुकावटों को छोड़कर, सब लाइन बिछाने के काम ।

(२) तीन पम्प स्टेशन, अर्थात् नूनमती, बोनगेंगाव और भोदारीहाट पूरे किये गये थे ।

(३) जल में डूबे हुए ६ नदी समपार, बंद किये हुए ५ नदी समपार और ५ रेल-पुल समपार पूरे किये गये थे ।

(४) ७ रिपीटर स्टेशनों का सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया था और मैकनिकल तथा इलेक्ट्रिकल यंत्र लगाने का काम चल रहा था ।

(५) तीन सैक्शनों में हाइड्रौलिक टैस्टिंग चल रहा था ।

(ख) लगभग ३.१२ करोड़ रुपये ।

लौह मिश्र धातु और विशेष इस्पात

†१७१२. **श्री अ० प्र० जैन :**
श्री धव :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लोह मिश्र धातुओं और विशेष इस्पातों की कुल कितनी आवश्यकता है तथा उत्पादन कितना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में लौह मिश्र धातु एवं विशेष इस्पातों के आयात में विदेशी मुद्रा या रुपये में कितना भुगतान किया गया ; और

(ग) तीसरी योजना अवधि की समाप्ति पर तत्समानी आवश्यकता कितनी होगी तथा आन्तरिक उत्पादन से आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) लौह मिश्र धातुओं और विशेष इस्पातों की वर्तमान आवश्यकता तथा उत्पादन नीचे दिये जाते हैं :—

मद	अवश्यकता (टनों में)	उतपादन (टनों में)
लौह मिश्र धातु—		
(१) लौह–मैंगणीज .	६०,०००	१०६,५१०
(२) लौह–सिलिकोन .	१४,०००	९,७००
(३) लौह–क्रोम . .	४५०	—
विशेष इस्पा	१,०७,०००	१९,२७८

(ख) लौह मिश्र धातुओं और विशेष इस्पातों का आयात

वर्ष	लौह मिश्र धातु		विशेष इस्पात	
	एम-टनों में मात्रा	रुपयों में मूल्य	एम-टनों में मात्रा	रुपयों में मूल्य
१९५९–६०	३५९२	३२८६१७०	२५२६८	५०६६९७००
१९६०–६१ .	५७२७	६६११२९९	४३६८४	९८१३४५९३
१९६१–६२ .	७९८४	१०९७५५९	५२५०६	१२१५११५३७

(ग) तीसरी योजना अवधि के अन्त तक आवश्यकता तथा लौह मिश्र धातुओं और विशेष इस्पातों के लिये आयोजित क्षमता

लौह मिश्र धातु

मद	१९६५–६६ तक आवश्यकता (टनों में)	अनुज्ञिप्त क्षमता (टनों में)	टिप्पण
फेरो मैंगनीज	२००,०००*	२४०,०००	*१००,००० टन आन्तरिक खपत के लिये तथा शेष निर्यात के लिये

†मूल अंग्रेजी में

मद	१९६५-६६ तक आवश्यकता (टनों में)	अनुज्ञप्त क्षमता (टनों में)	टिप्पण
फेरो सिलिकोन	५०,०००	४९,२००	
फेरो क्रोम	३५,०००	२६,२००	कमी को पूरा करने के लिये अधिक क्षमता का लाइसेंस दिया जा रहा है।
फेरो मोलिबडैनम	१०००	१००	,, ,, ,,
फेरो वनाडियम	७५०	५०	,, ,, ,,

विशेष इस्पात†

मद	आवश्यकता १९६५-६६ तक (टनों में)	१९७०-७१ तक (टनों में)	आयोजित* अनुज्ञप्त क्षमता (टनों में)	टिप्पण
फ्री कटिंग स्प्रिंग इस्पात	७५,०००	१५०,०००	१६८,०००	*इसमें दोनों क्रमों में दुर्गापुर के प्रस्तावित मिश्र-धातु इस्पात संयंत्र, मैसूर आयरन ऐंड स्टील लिमिटेड का उत्पादन तथा आयुध फैक्टरियों से उपलब्ध उत्पादन सम्मिलित है।
टूल इस्पात	४२,०००	७०,०००	६८,५००	
संरचनात्मक इस्पात	१००,०००	२४०,०००	१५०,०००**	
डाई और अन्य हाई ग्रेड इस्पात	८,०००	१०,०००	१२,६००	
मिश्रधातु इस्पात कास्टिंग	३०,०००	५०,०००	४२,१००**	**मांग के लक्ष्यों की कमी को पूरा करने के लिये अधिक क्षमता का लाइसेंस दिया जा रहा है।
स्टेनलेस सीट्स	५०,०००	७०,०००	७१,०००	
इलैक्ट्रिक शीट्स	११०,०००	अनुमान नहीं लगाया	७४,०००**	

†क्योंकि क्षमता का लाइसेंस देने के पश्चात् उत्पादन होने में इसमें ३/५ वर्ष लगते हैं, आयोजना चौथी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से की जाती है।

ए० ई० सी० सेन्टर, पचमढ़ी

†१७१३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में ए० ई० सी० केन्द्र और स्कूल, पचमढ़ी के चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारी नौकरी से निकाले गये थे ;

(ख) उनको नौकरी से निकालने के कारण क्या थे ;

(ग) क्या इनमें से किसी को पुनः काम पर लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां तो कितने लोगों को ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (घ). रसोइये, पानी भरने वाले, नाई, धोबी, भंगी और जूता बनाने वाले, जिनको गैर सैनिक (बिना भरती वाले) कर्मचारियों की श्रेणी से सम्बध रखने वाले अतिरिक्त असैनिकों को ए० ई० सी० प्रशिक्षण कालेज तथा केन्द्र में 'यथा आवश्यकता' आधार पर, वहां भरती हुए लोगों तथा वहां के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है, भरती किया जाता है । यदि आठ सप्ताह से अधिक अवधि के लिये रंगरूटों या प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में कोई कमी होने की संभावना होती है, तो इन गैर सैनिक लोगों की संख्या में उसके अनुपात से कमी कर दी जाती है । १९६० में, मानसून अवकाश ८ सप्ताह से बढ़ गया और परिणामस्वरूप ६३ गैर-सैनिकों (बिना भरती वालों) को फालतू घोषित कर दिया गया और उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं थीं । क्योंकि इन कर्मचारियों का नौकर से निकालना अनियमित नहीं था, उनको पुनः काम पर लगाने का सवाल नहीं उठता । तथापि उन सब को तोपखाना केन्द्र और स्कूल नासिक रोड में वैकल्पिक पदों की पेशकश की गई, किन्तु उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया । बाद में, जब आवश्यकता पड़ी, ६३ में से ४१ को कालेज अधिकारियों ने पुनः काम पर लगा लिया ।

राष्ट्रीय भावात्मक एकता सम्बन्धी पुस्तकें

†१७१४. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भावात्मक एकता के विषय पर बच्चों और अध्यापकों के लिये पुस्तकें तैयार करने की योजना को अन्तिम रूप देने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है, अथवा यदि अन्तिम रूप दे दिया गया है तो इसकी महत्वपूर्ण रूपरेखा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) योजना को भावात्मक एकता समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

अंकलेश्वर के गैस और तेल के निक्षेप

†१७१५. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के तेल और गैस निक्षेपों का अनुमान कितना है ;

(ख) ए० पी० आई० ग्रैविटी, पौर पुआइंट और प्राप्त होने वाली वैक्स तत्व की दृष्टि से अंकलेश्वर के अशोधित तेल की विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अपने गुण प्रकार की दृष्टि से यह तेल संसार के तेल उत्पादक क्षेत्र के किस अशोधित तेल के समान है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) प्रयोगात्मक उत्पादन के पश्चात् ही पक्का अनुमान बताया जा सकता है, जो प्रगति पर है और काफी लम्बे समय से किया जा रहा है । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग लगभग छः महीनों में अनुमान बताने की आशा करता है ।

(ख) ए० पी० आई० ग्रैविटी : ४६.७° (औसत); पोर पुआइंट २१° सी और प्राप्त होने वाला वैक्स तत्व ९ ०/० ।

(ग) वैन्जुएला के कुछ तेल क्षेत्रों में ए० पी० आई० ग्रैविटी मूल्य की दृष्टि से अशोधित तेल अंकलेश्वर के तेल के समान है ।

गुजरात में तेल की खोज

†**१७१६. श्री जसवन्त मेहता** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य की सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमों, १९५९, के अधीन खुदाई के कार्य के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कब और किन क्षेत्रों के लिये खोज करने की अनुज्ञप्तियां या पट्टे दिये हैं ;

(ख) उन पट्टों या अनुज्ञप्तियों की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इन नियमों के अनुसार राज्य सरकार को अपने विवरण भेज रहा है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमों, १९५९ के अधीन औपचारिक खोज अनुज्ञप्तियों के लिये अर्जियां दी गई हैं किन्तु गुजरात सरकार ने अभी तक कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी है ।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस

†**१७१७. श्री जसवंत मेहता : क्या खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंकलेश्वर परियोजना में आज तक कुल कितनी प्राकृतिक गैस जला दी गई है ;

(ख) अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों से बम्बई तेल शोधन कारखाने को कितना अशोधित तेल भेजा गया है ; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आज तक अशोधित तेल के इस संभरण से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) ३१ जुलाई, १९६२ तक अंकलेश्वर में १७४ लाख टन मीटर गैस जलाई गई है ।

(ख) ३१ जुलाई, १९६२ तक तेल शोधन कारखानों को तेल इस प्रकार दिया गया:

बर्मा शैल	९२,३९० मीट्रिक टन
ऐस्सो	५२,५६२ „ „

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब तक तेल शोधन कारखानों से प्राप्त राशि इस प्रकार है :

बर्मा शैल	३९,८३,८३४ रुपये
ऐस्सो	१९,५५,८८७ रुपये

खम्भात, अंकलेश्वर और बड़ौदा में बनाये गये मकान

†१७१८. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात, अंकलेश्वर और बड़ौदा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने कर्मचारियों के लिये क्रमश: कितने मकान बनाये हैं ;

(ख) प्रत्येक बस्ती के लिये कुल अनुमानित लागत क्या है और इनमें से प्रत्येक बस्ती पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या यह सही है कि बड़ौदा की बस्ती अंशत: रूमानिया के शिल्पिकों को आंवटित की गई है जिनकी कोमाली तेल शोधन कारखाने के लिये बड़ौदा आने की संभावना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) खंभात में २५६ मकान, अंकलेश्वर में १८४ और बड़ौदा में २१४ मकान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बनाये गये हैं।

(ख) इन बस्तियों की अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

खम्भात	३८.६५ लाख रूपये
अंकलेश्वर	३४.९० लाख रुपये
बड़ौदा	३९.९८ लाख रुपये

इन में से प्रत्येक बस्ती पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

खम्भात	२१.५० लाख रुपये
अंकलेश्वर	२०.९२ लाख रुपये
बड़ौदा	२२.०० लाख रुपये

(ग) जी नहीं ।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में असफलताएं

†१७१९. **श्री महादेव प्रसाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्व विद्यालय परीक्षाओं में बढ़ती हुई असफलताओं को कम करने के लिये सिफारिशें करने के लिये एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बढ़ती हुई असफलताओं को कम करने के लिये सिफारिशें करने के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की है, किन्तु आयोग द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालयों में परीक्षा सुधार संबंधी समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस संबंध में सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश भेजे गये अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी

†१७२०. **श्री ह० च० सोय :**
श्री मरंडी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजे गये हैं और यदि तीसरी योजना अवधि में संथाल परगना जिला से कोई विद्यार्थी विदेश भेजे जाने हैं, तो कितने ;

(ख) विदेश जाने की इच्छा करने वाले इन अभ्यर्थियों को क्या विशेष सुविधायें दी जाती हैं ;

(ग) क्या इन सुविधाओं के कारण उन को पर्याप्त संख्या में विदेश जाने के लिये उन को प्रेरित करने में वांछित परिणाम दिया है और प्रोत्साहित किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन शर्तों को अधिक उदार बनाने का विचार करती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भारत सरकार को विदेश छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, चुनाव अखिल भारतीय आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और किसी जिले या राज्य के लिये कोई आरक्षण नहीं है । इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जाति अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार है जो चुने गये हैं या चुने जाने हैं :—

पहली योजना में	६
दूसरी योजना में	१५
तीसरी योजना में—	
१९६१-६२ से १९६४-६५	२०
१९६५-६६	योजना पर पुनर्विचार किया जाएगा ।

(ख) अनुसूचित आदिम जाति अभ्यर्थियों के लिये अर्हता योग्यता प्रथम श्रेणी से भी घटाकर दूसरी श्रेणी कर दी गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी

†१७२१. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू व काश्मीर राज्य के लिये कितने आई० ए० एस० अफसर मंजूर किये गये हैं ;

(ख) उनकी वर्तमान संख्या क्या है; और

(ग) उनकी संख्या को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ३३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) : स्थायी तौर से वहां इस समय १९ अफसर हैं। १३ के पदोन्नति अभ्यंश को स्थायी आधार पर करने के लिये अपेक्षित कार्यवाई करने का प्रश्न राज्य सरकार के साथ उठाया गया है ।

राजस्थान में उर्वरक कारखाना

†१७२२. **श्री ब्रजराज सिंह-कोटा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के चम्बल नदी के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में एक उर्वरक फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्राक्कलन है ;

(ख) यदि हां, तो इस को कहां स्थापित करने का विचार है; और

(ग) कब तक इसके स्थापित हो जाने की संभावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

शान्ति निकेतन की बी० ए० डिग्री

†१७२३. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन विश्वविद्यालयों ने शान्ति निकेतन की बी० ए० की उपाधि को अपनी बी० ए० उपाधि के समान मान्यता दी है ; और

(ख) क्या शांति निकेतन में १९४७ में प्राप्त बी० ए० उपाधि को अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी मान्यता दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) क्योंकि विश्वभारती पारस्परिकता के आधार पर भारत के संविहित विश्वविद्यालयों एवं बोर्डों द्वारा की जाने वाली परीक्षाओं को अपनी तत्समानी परीक्षाओं के समान मान्यता देती है, यह अन्य विश्वविद्यालयों से उसी आधार पर अपेक्षा करती है कि वे इसकी बी० ए० उपाधि को अपनी तत्समानी उपाधि के समान मान्यता दें। विश्वविद्यालय के पास इसके विपरीत कोई रिपोर्ट नहीं आई ।

(ख) १९५१ में विश्वभारती के केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने से पूर्व, इसके विद्यार्थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठा करते थे । इसलिये १९४७ में प्राप्त की गई बी० ए० उपाधियों को मान्यता देने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†१७२४. **श्री बसुमतारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि भारतीय शिकार आउट-फिटरज संघ ने प्रत्यावर्तन निदेशक से शिकायत की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि विदेशों में प्रचार आन्दोलन के संबंध में कुछ अमान्य शिकार आउट-फिटर विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) एक मामले में ३०० रुपये का जुर्माना किया गया है । शेष मामलों की अभी जांच की जा रही है ।

नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि० की दिल्ली शाखा का मैनेजर

†१७२५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि० की दिल्ली शाखा के मैनेजर की गिरफ्तारी संबंधी जांच किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : अभी मामले की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी और सैनिक अकादमी के कैडिट

†१७२६. **श्री जं० ब० सिंह बिष्ट** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी और भारतीय सैनिक अकादमी में कैडिटों के निर्वासन के लिये जिम्मेवार बातों को मालूम करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) समस्या कितनी बड़ी है ;

(ग) क्या यह सही है कि इस वर्ष १५% कैडिटों का निर्वासन करना पड़ा ; और

(घ) क्या इस निर्वासन का कारण यह है कि स्तर नीचा कर दिया गया है ताकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी और भारतीय सैनिक अकादमी में कैडिटो का प्रवेश बढ़ाया जाये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) कैडिटों के निर्वासन के प्रश्न का लगातार अध्ययन और पुनर्विचार किया जाता है। इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण हाल में नहीं किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी एवं भारतीय सैनिक अकादमी दोनों में निर्वासन के आंकड़े इस प्रकार की संस्थाओं के लिये बिल्कुल साधारण समझे जाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी तथा भारतीय सैनिक अकादमी में पिछले चार वर्षों में निर्वासन के औसत आंकड़े क्रमशः ४% और ०.९% रहे हैं।

(ग) जी नहीं, १९६२ में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी तथा भारतीय सैनिक अकादमी में निर्वासन के आंकड़े इस प्रकार रहे हैं: —

रा० प्र० अ० ३.७%

भा० सै० अ० १.७%

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में तेल पाइप लाइन का निर्माण

†१७२७. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पंजाब में तेल की पाइप लाइनों का जाल बिछाने का काम इटली की एक फर्म को दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है तथा संविदा की शर्तें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० पालवीय) :** (क) इस समय पंजाब में पाइपलाइन का जाल बिछाने का कोई विचार नहीं है :

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

भारतीय सेना का इतिवृत्त

१७२८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले द्वितीय विश्व महायुद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं के इतिवृत्त को अधिकृत रूप से प्रकाशित करने का निश्चय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और किन विद्वानों द्वारा उस इतिवृत्त को तैयार किया जा रहा है ;

(ग) उसका शेष कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ;

(घ) क्या यह सच है कि आजाद हिन्द फौज सम्बन्धी खण्ड कई वर्ष पहले तैयार हो गया था, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसे प्रकाशित न करने का क्या कारण है ; और

(च) उसे कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) इस का काम १९४८ में आरम्भ हो गया था ।

(ख) इतिहास २४ खण्डों में प्रकाशित किया जाएगा । अब तक १५ खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं । चार खण्ड मुद्रणालय में हैं । शेष ५ खण्डों का कार्य लगभग सम्पूर्ण हो चुका है, और वह शीघ्र ही छापाखाना में भेज दिये जायेंगे । इस काम की कई सैनिक कमांडरों ने जांच की है, जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के विभिन्न समरांगणों में लड़ते हुए वास्तविक भाग लिया था । प्रकाशन से पहले लेखों को एक मन्त्रणा समिति द्वारा स्वीकृत कराना होता है, जिसमें उच्चस्तर के इतिहासज्ञ और कुछ असैनिक और सैनिक अधिकारी होते हैं । अब तक छप चुके खण्डों की जांच करने वालों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ग) शेष खण्डों के १९६५ तक प्रकाशित होने की आशा है ।

(घ), (ङ) तथा (च). आजाद हिन्द फौज के इतिहास का प्रारम्भिक प्रारूप तैयार किया गया था । पर्याप्त सामग्री के अभाव के कारण यह अभी सम्पूर्ण नहीं हो पाया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में लावारिस बच्चे

†१७२९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली व नई दिल्ली में लावारिस बच्चों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष राजधानी में कितने ऐसे लावारिस बच्चे मिले थे, जिनके माता-पिता का पता नहीं लग सका ;

(ग) लावारिस बच्चों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन कारणों का निराकरण करने के लिए कौन-से कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कुशीनगर में खुदाई

१७३१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुशीनगर (देवरिया, उ० प्र०) जो बौद्ध लोगों का तीर्थ-स्थान है क्या वहां के खण्डहरों की खुदाई भारत सरकार द्वारा होती है और वह स्थान भारत सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत है ;

(ख) बाहर से आने वाले तीर्थ-यात्रियों के निवास-स्थान के लिये वहां पर सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ; और

(ग) पुरातत्व विभाग द्वारा अभी कितने खण्डहर खोदने के लिये बाकी हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) कुशीनगर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ समय पहले खुदाई पूरी की है और वह जमीन अब भारत सरकार के संरक्षण में है ।

(ख) वहां तीर्थ यात्रियों और दर्शकों की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा बनावाया हुआ एक विश्रामगृह और निजी निकायों द्वारा बनवाए तीन सार्वजनिक विश्रामगृह या धर्मशालाएं हैं ।

(ग) कुशीनगर में इस समय और खुदाई करना जरूरी नहीं समझा गया है ।

राजस्थान भारत सेवक समाज को अनुदान

१७३२. { **श्री प० ला० बारूपाल** :
श्री गणपति राम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत १९६०-६१ और १९६१-६२ में राजस्थान भारत सेवक समाज को कितना आर्थिक अनुदान दिया गया ;

(ख) यह अनुदान किन-किन मदों में खर्च किया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राजस्थान के प्रत्येक जिले में खर्च की गई धनराशि का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा को दे दी जायेगी ।

कोयला धोने के कारखाने

†१७३३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध संहंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० लौ० द्विवेदी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विभाग निगम, विदेशी प्रविधिक सहायता के साथ रायगढ़ और सुदाम दीह में पत्थर के कोयले के लिये कोयला धोने के दो कारखाने स्थापित करने का विचार करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला धोने के दोनों कारखानों के लिये अपेक्षित मशीनरी देश में ही बनाई जाएगी ; और

(ग) अब तक कितनी देशी मशीनें खरीदी या प्राप्त की जा चुकी हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार की नीति यह है कि कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने के लिये देश में उपलब्ध संयंत्र और उपकरण का अधिकतम उपयोग किया जाये, जो पहले से ही किसी विदेशी ऋण के साथ बंधे हुए नहीं हैं । रायगढ़ और सुदाम दीह के कोयला धोने के कारखाने आयोजना अवस्था में हैं और केवल परियोजना रिपोर्ट के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने और अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही, यह जांच करना संभव होगा, कि कोयला धोने के इन कारखानों को स्थापित करने में देश में उपलब्ध संयंत्र और उपकरण का किस मात्रा तक उपयोग किया जा सकता है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम

†**खान तथा ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मैं कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९६२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १८ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८७ में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) पांचवां संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३७९/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम तथा नमक अधिनियम

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०६३,

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, १९६२ में प्रकाशित दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०६७,

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ और समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १८ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८३ में प्रकाशित सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) संशोधन नियम, १९६२,

सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० ३७८/६२]**

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से मैं २७ अगस्त, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य के बारे में निम्न वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं :

१. आज के आदेश पत्र से कोई आगे विचारार्थ ले जाई गयी कोई मद ।

२. संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ **विचार तथा पारित करना**) ।

३. नागालैण्ड राज्य बिल, १९६२ (**विचार तथा पारित पारित करना**) ।

४. भूमि अर्जन संशोधन बिल, १९६२ (**आगे तथा विचार करना तथा पारित करका**) ।

५. सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार ।

६. गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किए जाने पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन, पर जो २० नवम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, चर्चा ।

७. भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२ (**विचार तथा पारित करना**) ।

८. बैंकिंग कम्पनीज़ (संशोधन) विधेयक, १९६२ (**विचार तथा पारित करना**) ।

९. गन्ना नियन्त्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधयक, १९६२ (**विचार तथा पारित करना**)।

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवा प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो २४ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो २४ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : २२ जुलाई, १९६२ को श्री नाथपाई द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :

"कि यह सभा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में गम्भीर कमी और तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू करने के बारे में देश में बढ़ती हुई आशंकाओं पर विचार करती है ।"

†**श्री मुरारका** (झूंझनू) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा २२ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में बताई गयी तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर विचार करती है और इसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का सुनिश्चित करने वाले उपायों का सामान्यतः अनुमोदन करती है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । दोनों प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं, श्री नन्दा ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : २ मास हुए सदन में श्री नाथपाई का प्रस्ताव तीसरी पंचवर्षीय योजना पर प्रस्तुत किया गया था । इस सत्र में उस पर पूरी तरह समय देकर चर्चा करना सम्भव हुआ है, इसका मुझे हर्ष है । योजना को कार्यान्वित करने के साथ जो भी समस्यायें हैं उन पर पूरी तरह विचार किया जा सकेगा । मुझे खेद है कि इस समय श्री नाथपाई सदन में नहीं हैं । आशा है कि वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर आ जायेंगे ।

दो मास हुए मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो विकास देश में चल रहा है उसमें हमारी अर्थ व्यवस्था में जो असन्तुलनता आई है, उसके क्या कारण हैं । जो कुछ हुआ है उसे देखते हुये यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि हमारी सफलतायें अच्छी रही हैं । परन्तु यदि देश की बढ़ रही आवश्यकतायें और उच्च विचारों को देखा जाय तो हमारी सफलताओं को काफी नहीं कहा जा सकता । मैंने विदेशी विनिमय, कृषि उत्पादन, बिजली और परिवहन की कमी, उर्वरक कार्यक्रमों की प्रगति, सीमेण्ट का सम्भरण और कीमतों का रुख इत्यादि बातों के बारे में प्रकाश डाला था । मैंने इस बात पर जोर दिया था कि देश को कृषि, उद्योग और निर्यात सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत रखे लक्ष्यों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए । मैंने आर्थिक अनुशासन और कड़ी कार्यवाही करने की ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाया था । राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता मैंने बताई थी ।

मैंने यह भी उल्लेख किया था कि गत कुछ महीनों के कार्य एवं विभिन्न दिशाओं में प्रारम्भ की गयी कार्यवाही को देखते हुए सरकार यह निस्संकोच कह सकती है कि तीसरी योजना सफल होगी और उसके आधारभूत उद्देश्य अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे । सरकार वर्तमान एवं भावी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में कोई कसर नहीं रखेगी । हम नये नये विकास पथ पर चले हैं अतः विविध प्रकार की कठिनाइयों का आ जाना स्वाभाविक है । कुछ हमारी भूलें भी हो सकती हैं, कुछ हमारे संगठन और साधनों में कमी हो सकती है । यह भी सम्भव है कि कई मामलों को समझने में ही हमने भूल कर दी हो । ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो हमारे नियन्त्रण से बाहर थीं और हम उनका पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हैं । इन सब के बावजूद मैं यह कह सकता हूं कि हम आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करने में अवश्य सफल हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

इस समय मेरा उद्देश्य सदन को यह बताना है कि गत दो मास में इस दिशा में हमने क्या किया है। विशेषत: विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में तीसरी योजना के अन्तर्गत क्या स्थिति होगी। विदेशी विनिमय के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की गयी है। इस बारे में हमारा प्रारम्भिक अध्ययन अभी अभी ही पूरा हुआ है। स्थिति यह है कि यदि हम अपने विदेशी मुद्रा संसाधनों और प्राप्त होने वाले संसाधनों को अधिक से अधिक मितव्ययता से काम में लायें और निर्यात बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करें तो कोई कारण नहीं कि हम तीसरी योजना में समस्त कार्यक्रम पूरा न कर सकें। तीसरी योजना के लिये हमें २०३० करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय चाहिये। कुल विनियोजन १०,४०० करोड़ का है। ७५०० करोड़ रुपया सरकार का है। २०३० करोड़ के मुकाबले में सरकार की अदायगियां लगभग १९०० करोड़, है १२० करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय विद्युत् और परिवहन के लिये खर्च करना बड़ा जरूरी है। २१५० करोड़ रुपये और तीसरी योजना के लिये चाहिएं। अतिरिक्त राशि की आयात को कम और निर्यात को बढ़ा कर व्यवस्था की जायेंगी। दूसरी योजना का ४०० करोड़ रुपया तीसरी योजना के अन्तर्गत प्रयोग के लिये ले लिया गया था। तीसरी योजना के अन्तर्गत ७०० करोड़ की सहायता प्राप्त होगी जिसमें से ३३० करोड़ की सहायता तो केवल तीसरी योजना की परियोजनाओं का है। ४९० करोड़ रुपय की सहायता का वचन विश्व बैंक ने दिया है। सब मिला कर लगभग ४०० करोड़ रुपया चौथी योजना में ले लिया जायगा।

योजना के लिये कुल अतिरिक्त आवश्यकता लगभग ११०० करोड़ रुपये की है। विश्व बैंक एवं मित्र राष्ट्रों की उदार सहायता से योजना का श्रीगणेश अच्छा हुआ है। विद्युत् के अधिकांश कार्यक्रम और परिवहन उद्योग तथा खनिजों के कार्यक्रमों के काफी भाग की पूर्ति के लिये शीघ्र ही आवश्यक विदेशी विनिमय प्राप्त हो जायेगा। परन्तु कुछ परियोजनायें हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे बोकारो, इस्पात, सन्यन्त्र और दुर्गापुर औजार तथा धातु मिश्रित इस्पात सन्यंत्र जिनके लिए इस समय अपेक्षित विदेशी विनिमय नहीं है। जब हमें और सहायता मिलेगी तो हम उन दो परियोजनाओं को प्राथमिकता देंगे। हम अपनी आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था का निर्माण करने का भी भरसक प्रयत्न करेंगे।

अब मैं अपने आन्तरिक साधनों के बारे में स्थिति पर प्रकाश डालूंगा। साधनों की वृद्धि करने में केन्द्रीय सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। राज्यों में भी अभी उसी तरह से काम को तीव्र करना बाकी है। मैंने योजना की राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से चल रही बातचीत का उल्लेख तो पहिले किया था। राज्यों के वित्त मन्त्रियों की सहायता से हम प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण कर रहे हैं। इस वर्ष राज्यों ने जो प्रयत्न किये हैं वे बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। राज्यों द्वारा जो प्रयत्न किये गये हैं उससे ४७ करोड़ रुपया प्राप्त होने की आशा है और पूरे वर्ष में यह व्यवस्था लगभग ७० करोड़ तक पहुंच जायेगी। राज्यों को तीसरी योजना के लिये करों द्वारा ६१० करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी। दो वर्षों में ३७० करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गयी है। मेरा निवेदन है कि केन्द्र और राज्यों में कुल मिला कर प्रथम दो वर्षों में लगाये गये करों द्वारा योजना अवधि में १२०० करोड़ मिलने की आशा है। वैसे योजना में १७१० करोड़ रुपये के अतिरिक्त कराधान की कल्पना कीग यी थी। इसके बावजूद हमें ऋणों, छोटी बचतों और सरकारी उपक्रमों की बचतों के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अधिक प्रयत्न करना होगा।

अब मैं विद्युत् तथा परिवहन सम्बन्धी स्थिति के बारे में बताऊंगा। विद्युत् विकास का लक्ष्य जो तीसरी योजना के प्रारूप में ११८ लाख किलोवाट रखा गया था, बाद को, अन्तिम प्रतिवेदन में १२७ लाख किलोबाट कर दिया गया है जिसके कारण विद्युत् के आवण्टन में ११४ करोड़ रुपये की वृद्धि

हुई है । योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद हमने विद्युत् कार्यक्रम में ५००,००० किलोवाट की और वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है । अनेक राज्यों में सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त जनन क्षमता मंजूर की गयी है । दामोदर घाटी निगम एवं कोयला क्षेत्रों की आवश्यकताओं का बड़े ध्यान से अध्ययन किया गया है और उसे सुलझाने के लिये यथासम्भव कदम उठाये गये हैं । हीराकुण्ड से भी सम्भरण की व्यवस्था की गयी है । पश्चिमी बंगाल के लिये १,४०,००० किलोवाट की क्षमता वाला एक अतिरिक्त जनरेटर स्वीकृत किया गया है । ६५ लाख किलोवाट की अतिरिक्त आवश्यकता होगी और प्रथम तीन वर्षों में हमें २४ लाख किलोवाट उपलब्ध होने लगेगी ।

परिवहन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है विशेषत: कोयला परिवहन के लिये । मेरा निवेदन है कि रेलवे माल का यातायात ६८ प्रतिशत बढ़ गया है । १९५०-५१ में यह ९१५ लाख टन था जोकि अब १५४० लाख टन हो गया है । मीलों में तो यह वृद्धि १०० प्रतिशत है । तीसरी योजना का इस बारे में लक्ष्य २४५० लाख टन है । यह ५९ प्रतिशत की वृद्धि है । १९६१-६२ में १९६०-६१ के मुकाबले में ७० लाख टन माल रेलवे ने और अधिक उठाया । और अब १५० लाख टन की इस वर्ष में वृद्धि हो जायेगी । शायद क्षमता कुछ इस से अधिक ही बढ़ जाये । सरकार यह समझती है कि परिवहन साधनों की कमियों के प्रभाव दूरगामी हैं और परिवहन की मांग इस से भी तेजी से बढ़ रही है । योजना आयोग की सिफारिश पर सरकार ने रेलवे के लिये १४५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन मंजूर किया है । रेलवे में उपलब्ध क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं । कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्मित अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल कोयले के उत्पादन और परिवहन के विस्तृत क्षेत्रवार कार्यक्रम तैयार कर रहा है । इंजन डिब्बों आदि के पंचवर्षीय लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया है । माल डिब्बों के लक्ष्य में लगभग ४२ प्रतिशत वृद्धि की गई है और इंजनों के लक्ष्य में लगभग १९ प्रतिशत । इन कदमों से धीरे धीरे परिवहन की कठिनाई को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी । इस के अतिरिक्त योजना आयोग शीघ्र ही एक प्रविधिक दल स्थापित करने जा रहा है जो पूर्णकालिक आधार पर भावी आवश्यकताओं और देश की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रदेशों एवं क्षेत्रों से सम्बन्धित परिवहन समस्याओं पर विचार करगा ।

श्री नाथपाई ने अपने भाषण में कुछ हद तक इस्पात उर्वरक तथा सीमेंट की कमी का भी उल्लेख किया था । इस दिशा में मेरे विचार में सदन को इस बात का पता ही है कि मेरे सहयोगी इस्पात और भारी उद्योग मंत्री क्या कुछ कर रहे हैं । वह उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और चौथी योजना के बारे में भी सोचने लगे हैं । नाइट्रोजिन उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य १०,००,००० टन रखा है जिस में से ८,००,००० टन तक का उत्पादन तो पहुंच गया है ।

कुल मिला कर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रगति अच्छी है । और ऐसी आशा है कि तीसरी योजना के समाप्त होने से पहिले ६,७०,००० टन की क्षमता हो जायेगी । गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में कुछ अनिश्चितता है । सम्बन्धित दलों से कहा जा रहा है कि वे अपना काम पूरा करें । और गैर-सरकारी पक्ष को संयंत्र डालने के लिये जो अनुज्ञप्ति दी गई थी उस के स्थान पर सरकारी क्षेत्र में संयंत्र लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । सीमेंट के मामले में हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी क्षमता यथासंभव १५० लाख टन और उत्पादन १३० टन यथासंभव शीघ्रता से हो जाये । वर्तमान संयंत्रों की सहायता से अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न किया जा रहा है । हमारा प्रयत्न यह है कि भविष्य में सीमेंट संयंत्रों के भागों की जितनी भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति अपने देश में ही हो । और विदेशों से आयात किये जाने वाले भाग कम से कम मात्रा में आयात किये जायें ।

[श्री नन्दा]

सीमेंट तथा उर्वरक के मामलों में गैर-सरकारी क्षेत्रों में जितना भी अधिक से अधिक काम लिया जाये उतना ही अच्छा है ताकि राष्ट्रीय बचत हो सके। गैर-सरकारी क्षेत्रों को दिये जाने वाले लाइसेंस तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति की छानबीन करने के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि यह अपर्याप्त है। अतः इस मामले में और भी कार्यवाही की जाये। इसलिये भविष्य में केवल उन्हीं उद्योगों को अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी जिन की प्राथमिकता पहले निर्धारित हो चुकी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भविष्य में उन्हें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी जो अपनी वर्तमान क्षमता का उपयोग कम से कम दो पारी में तो कर सकें। इन उद्योगों की मशीनों के लिये आयात किये जाने वाले पुर्जों आदि की जांच भी बड़ी कड़ाई से की जायेगी ताकि उन का कम से कम मात्रा में आयात किया जाये। इस के लिये श्री जी० एल० मेहता की अध्यक्षता में एक प्रविधिक पेनल बना दिया गया है।

कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में जो हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रहेगा अधिकाधिक प्रगति करने की दिशा में समस्त प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार ने कपास, तिलहन और सिंचाई की छोटी योजनाओं तथा भूमि संरक्षण के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया है। इस बारे में सरकार ने जो नये उपबन्ध बनाये हैं उन को क्रियान्वित करने का प्रश्न विचाराधीन है। इन उपबन्धों में पौदों का अधिक संरक्षण कपास तथा तिलहन की कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सघन खेती, अधिक मात्रा में उर्वरकों का संभरण तथा अधिक संख्या में कपास और तिलहनों का उत्पादन सम्मिलित है। मूंगफली की फसल आदि के बारे में यही नीति अपनाई गई है। छोटी-सिंचाई योजना तथा भूमि संरक्षण के कार्यक्रम में २० प्रतिशत की वृद्धि करने का कार्यक्रम है ताकि शीघ्रता से योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। इस के लिये राज्यों की निर्धारित राशि के अतिरिक्त अलग से ५० करोड़ रुपये रखे गये हैं। परन्तु अभी हर क्षेत्र में और हर स्तर पर विभिन्न कार्यों को अधिकाधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

जहां तक रोज़गार के अवसर बढ़ाने का सम्बन्ध है, चालू वर्ष में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम का विस्तार २२८ विकास खण्डों में किया गया है। राज्य सरकारों से अपने प्रविधिक एवं प्रशासकीय संगठनों की शक्ति बढ़ाने के लिये कहा गया है ताकि अगले वर्ष के प्रारम्भ में उस कार्यक्रम का चौगुना विस्तार किया जा सके। ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम चालू करने का इरादा है। यह कार्यक्रम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में शुरू किया जायेगा। इस का उद्देश्य उन क्षत्रों में सन्तुलित अर्थ व्यवस्था की व्यवस्था करने का है।

अच्छे प्रशासन और अच्छी योजना के लिये हम तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में हमारे पास श्री वी० टी० कृष्णमाचारी का प्रतिवेदन आ गया है जो शीघ्र ही सभा पटल पर रखा जायेगा।

साथ ही यह भी निश्चय है कि जहां सरकारी क्षेत्र में प्रगतिशील विकास की बात है वहां देश यह आशा भी करता है कि प्रशासन अच्छा हो। योजना आयोग शीघ्र ही एक लागत कमीकरण-एकक बना रहा है जिस की विशेष जिम्मेदारी परियोजनाओं के निर्माण भाग का निश्चित करना और मंत्रालयों तथा लागत कम करने के लिये स्थापित की जाने वाली उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिये राज्यों से सम्पर्क बनाये रखना होगा। यह भी विचार किया जा रहा है कि प्रत्येक बड़ी परियोजना अथवा परियोजना गृह में प्रबन्धकों को सुसज्जित

लागत कमीकरण-एककों की सहायता उपलब्ध की जाये । योजना आयोग प्रगति का प्रतिवेदन देने की प्रणाली में भी सुधार करने का प्रयत्न कर रहा है । आंकड़ों के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना एकत्रित करने की ओर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है ।

योजना आयोग द्वारा बनाई गई प्राकृतिक संसाधन समिति ने भूमि संसाधनों, जल संसाधनों, शक्ति एवं खनिजों के सम्बन्ध में अनेक अध्ययन शुरू किये हैं । आयोग ने पिछड़े प्रदेशों की आर्थिक स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन भी प्रारम्भ किया है । ये अध्ययन दीर्घकालीन योजना के विकास के लिये हैं ।

केन्द्र तथा राज्यों में योजना को पूरा करने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । मैं ने यहां कुछ बातों का उल्लेख किया है कुछ बातें और भी हैं और वे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं । फिर भी माननीय सदस्यों ने यहां जो कुछ कहा है उस से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और बल मिलता है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम): योजना के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई है यह बहुत गम्भीर बात है । यह ठीक है कि गत १४–१५ वर्षों में हम ने कुछ प्रगति की है । लेकिन फिर भी हमें वास्तविक स्थिति को ध्यान से देखना चाहिये । असलियत यह है कि तीसरी योजना के १½ वर्ष के पश्चात् भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके हैं यद्यपि उन को स्वयं दूसरी योजना में ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिये था । यह बड़ी चिन्ता का विषय है । उदाहरण के लिये तैयार इस्पात का लक्ष्य दूसरी योजना में ४४ लाख टन था जबकि हम ने कुल २९ लाख टन इस्पात ही तैयार किया । लोहे का लक्ष्य १२७ लाख टन था और हम ने कुल १२१ लाख टन ही तैयार किया । इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के मामले में भी यही स्थिति है । इस तरह यह योजना लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी है । इस प्रकार तथ्य छिपाने से कोई लाभ नहीं है ।

वर्तमान संकट दो मुख्य स्तम्भों अर्थात् विदेशी मुद्रा और आंतरिक संसाधन पर आश्रित है । इन दोनों बातों में अस्थिरता सी पाई जाती है । यदि इन दोनों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही नहीं की गई तो यह संकट बढ़ता ही जायेगा और अब भी बढ़ रहा है । यह बड़े खेद की बात है कि सरकार अभी तक कोई मूल हल नहीं सुझा सकी है । जो हल उस ने सुझाये हैं वे केवल दोष को कम करने वाले थे । विदेशी मुद्रा का संकट मनुष्य द्वारा निर्मित है । यह भूतकाल की विरासत है जबकि भारतीय अर्थ-व्यवस्था साम्राज्यवादी शासन के अधीन थी । हम ने उस विरासत को समाप्त करने के लिये कोई आधारभूत कदम नहीं उठाये हैं । नौवहन पर हमारी विदेशी मुद्रा की आय का बहुत बड़ा भाग चला जाता है । प्रतिवर्ष भाड़े की मद में १०० करोड़ रुपये जा रहे हैं । मोटर गाड़ियों का मामला भी ऐसा ही है । बड़ी बड़ी व्यापार संस्थायें मोटर गाड़ियों का उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने के १४ या १५ वर्ष बाद भी वे उन का देश में निर्माण करने में असमर्थ हैं और बहुत अंशों में विदेशी पूंजी पर आश्रित हैं । यह भार विदेशी मुद्रा पर अभी भी बना हुआ है । सरकार पटसन निर्यातकों के कम बीजक दिखाने की कार्यवाही को रोक कर भी विदेशी मुद्रा की बचत कर सकती थी । इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में अधिक मात्रा का लाइसेंस दिया जाना भी रोका जाना चाहिये । माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे कुछ भी नहीं कहा है । मैं जानना चाहूंगा कि वे इस बारे में क्या कार रहे हैं । क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार अत्यधिक लाइसेंस देने की नीति अपना रही है और तृतीय योजना में उन लाइसेंसों की राशि का लक्ष्य जिन में विदेशी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मुद्रा से काम लिया जायगा, ४५० करोड़ रुपये था, किन्तु ४.०० करोड़ रुपये के लाइसेंस अब तक जारी भी हो चुके हैं। लाइसेंस दे दिये जाने का अर्थ यह नहीं है कि कारखाने लगाये जा रहे हैं या उत्पादन शरू हो गया है। माननीय मंत्री इस को अच्छी तरह जानते हैं।

फिर हमारे आयात बहुत हदतक हमारे ऋणों पर निर्भर हैं। निर्माण, आवास और संभरण मंत्री न जो पत्र भारत संभरण (सप्लाई) मिशन, वाशिंगटन के बारे में परिचालित किये हैं उन से प्रतीत होता है कि खाद्यान्नों के क्रय तो काफी कम हो गय हैं, किन्तु पूंजी माल, ऋणों आदि की राशि पिछले साल की अपेक्षा तीन गुना बढ़ गई है। इस के अतिरिक्त १४.७६ करोड़ रुपय विदेशी जहाजों में माल लाने पर खर्च हुआ। यह ठीक है कि हमें अधिक ऋणों की आवश्यकता है, किन्तु दूसरी तरफ से जो खर्च हो रहा है, उसे बन्द करना चाहिये। मैंगनीज अयस्क के बदले में टरीलीन का कपड़ा लेने का सौदा विदेशी मुद्रा का अपव्यय करना है। मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें।

कच्चे माल के विश्व मूल्य गिर गये हैं और हम मुख्यतया कच्चा माल ही निर्यात करते हैं। पूंजी वस्तुओं और सामान के मूल्य बहुत बढ़ रहे है। अतः हमें दोनों ओर से नुकसान हो रहा है।

विदेशी मुद्रा का संकट भूतकाल की विरासत है। हम ने उस विरासत को समाप्त करने के लिये कोई आधारभूत कदम नहीं उठाये हैं। सरकार देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों पर अधिकाधिक निर्भर कर रही है। प्रो० गाडगिल ने कहा है देश का औद्योगीकरण निजी पूंजीपतियों के द्वारा ही किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आंतरिक संसाधनों के संकट का कारण यह है कि सरकार बड़ी बड़ी व्यापार संस्थाओं और पूंजीपतियों को अत्यधिक रियायतें दे रही है। ऋण और घाटे की अर्थव्यवस्था करने से स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। यदि हम योजना को असफल होने से बचाना चाहते हैं तो विदेशों और देश के बड़े बड़े व्यापारियों पर इस प्रकार की निर्भरता नहीं करनी चाहिये और नये संसाधन निकाले जाने चाहियें ताकि उत्पादक संसाधन सरकार द्वारा आन्तरिक संसाधन अपने हाथ में ले कर एकत्रित किये जा सकें।

†**श्री हिम्मत सिंहका** (कच्छ) : इस समय हमारा देश गत्यावरोधों और कमियों के कुचक्र में पड़ा हुआ है। इस आर्थिक बीमारी का दृढ़ता से इलाज करना पड़ेगा और इस स्थिति से निकलने के लिय कोई स्थाई हल निकाला जाना चाहिये।

जहां तक समाजवादी ढांचे के समाज की नीति का सम्बन्ध है, हम ने देखा है कि सरकार सहकारी खेती पर जोर दे रही है। किन्तु इस का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि हम ने यह प्रणाली शुरू की है, तो हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि इस के प्रति लोगों का विश्वास पैदा हो। किसानों का रासायनिक खाद प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसानों को ठीक सलाह देनी चाहिये, ताकि वे भूमि की बनावट को समझ कर उस का प्रयोग करें। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, भूमि विश्लेषण, भूमि-संरक्षण और किसानों को उर्वरकों के संभरण के प्रश्न पर सहकारी कृषि की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। कच्छ की खाड़ी की भूमि को कृषि योग्य बना कर अधिक अन्न पैदा करने के काम में लाया जाना चाहिये। प्रदर्शन कार्यों पर पैसे का व्यर्थ व्यय नहीं होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पशु चिकित्सा पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। अधिक पशु-चिकित्सालय खोले जाने चाहियें। सरकार की पनीर उत्पादन परियोजनाओं जैसे अनावश्यक पररियोजनाओं पर पैसा नहीं बरबाद करना चाहिये।

सिंचाई के सम्बन्ध में आयोजन अनेक स्थानों पर गलत सिद्ध हुआ है जिस के परिणामस्वरूप अपव्यय होता है।

कांडला पत्तन के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। वहां एक निःशुल्क व्यापार क्षेत्र स्थापित किया जाना चाहिये। राजस्थान नहर को उस पत्तन तक बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये। इस से कच्छ की खाड़ी को कृषि योग्य बनाने में सहायता मिलेगी। इस प्रयोजन के लिये अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिये।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : हमारी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं, एक आलोचनात्मक और दूसरा व्यावहारिक। आलोचनात्मक दृष्टिकोण यह है कि योजनायें असफल रहीं हैं और उन से लोगों से कुछ लाभ नहीं हुआ। वास्तव में कराधान बढ़ा है, मूल्य और बेकारी बढ़े हैं।

उद्योगों और कृषि में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने वाले कहते हैं कि लक्ष्य तो पूरे नहीं हुए किन्तु दस वर्षों में काफी प्रगति हुई है। उन का कहना है कृषि और औद्योगिक उत्पादन दोनों बढ़े है। बिजली, सिंचाई, रेल परिवहन, सड़कों और विद्यार्थियों की संख्या के मामले में बहुत प्रगति हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था दोनों की राय है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी है। अर्थव्यवस्था की निर्दोषिता का एक और प्रमाण यह है कि इस समय देश में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी समवाय पूंजी के रूप में भारत में आने के लिये तैयार है।

यह एक भ्रम है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ प्राप्त नहीं हुआ और उन से लोगों की कठिनाइयां बढ़ी हैं।

इस बात के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हो सकता कि हमारी योजना के विदेशी सहायता पर इतना अधिक आश्रित होने के कारण उस में अनिश्चितता होना अनिवार्य है। विदेशी मद्रा के उपलब्ध होने में जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं वे इस कारण हैं कि यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका की कुछ अपनी कठिनाइयां भी हैं। कुल २,६०० करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी की आवश्यकता में से १८७४ करोड़ रुपये हमारे पास है और शेष ७२६ करोड़ बाकी तीन वर्षों में प्राप्त किये जाने हैं। अतः जहां तक योजना का सम्बन्ध है, विदेशी मद्रा की स्थिति चिन्ताजनक नहीं है।

विदेशी मुद्रा की वास्तविक समस्या हमारे संधारण निर्यातों के क्षेत्र में है। हमें निर्यात से ३७०० करोड़ रुपये प्राप्त करने की आशा थी, किन्तु हमारे निर्यात बढ़ नहीं रहे हैं। अतः हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से १,००० लाख डालर का कर्जा लेना पड़ा।

कर्ज देने वाले देशों का वह ऋण देना भी स्वाभाविक है क्योंकि वे ऋण देने से पहले उस परियोजना के अच्छा होने के बारे में संतुष्ट होना चाहते हैं जिस के लिये यह प्रयोग किया जायेगा।

हाल में मुझे भद्र जलविद्युत् योजना देखने का अवसर मिला था। किन्तु इस छोटी सी परियोजना के लिये की भी सामान ८ या ९ मित्र देशों से मंगवाना पड़ा यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाये कि भुगतान निर्यात के रूप में किया जाये, तो विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में हमारी बहुत सी हो सकती हैं। इसलिये हम को विदेशी सहायता के बारे में अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

कठिनाइयां दूर नहीं है। किन्तु ऐसा कहते हुए मैं अपने निर्यात बढ़ाने के महत्व का काम नहीं समझ सका। जब तक ऐसा न किया जाये, हमारे उद्योगों की क्षमता बहुत हद तक बेकार रहेगी। विश्व बैंक ने हमें ६६७३ लाख डालर के ३२१ ऋण दिये हैं।

आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि भारत विश्व बैंक से सब से बड़ी मात्रा में ऋण लेता है। भारत इस बैंक से ३० मर्तबा ऋण ले चुका है। ऋण की कुल राशि ८४६० लाख डालर है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से की भारत बहुत अधिक राशि ऋण के रूप में प्राप्त कर चका है। भारत ने उक्त संघ द्वारा दिये गये कुल ऋणों का ५० प्रतिशत प्राप्त किया है। सच्चाई यह है कि जिस मात्रा में हमें विदेशी सहायता मिल रही है उस से हमारी निर्यात संबंधी अर्थव्यवस्था में पतन आ रहा है।

सरकार की कमजोरी यह है कि औद्योगिक नीति संकल्प को लागू करने में सरकार सदैव ढिलाई करती रही है। यह संकल्प आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने में असफल रहा है। समाजावाद पर आधारित समाज के निर्माण के लिये इस नीति में क्रन्तिकारी परिवर्तन को लाना होगा।

औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति में मुख्य कठिनाईयां कच्चे सामान तथा अन्तर्वर्ती वस्तुओं का अनियमित संभरण, बिजली की कमी, परिवहन की सुविधाओं का अभाव है। जब तक हमारी वर्तमान क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नहीं होता हमें नयी क्षमता के निर्माण में, जिस का हम प्रयोग नहीं कर पायेंगे अधिक धन नहीं लगाना चाहिये।

कोयले के उत्पादन के लिये विशिष्टीकरण की आवश्यकता है। सरकार को चाहिये कि कोयले के संभरण की निश्चिता व्यवस्था हो तथा उस के परिवहन में जो कठिनाइयां आती हैं, वह दूर की जायें क्योंकि कोयले की कमी से उद्योगों के उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इस के उचित संभरण न होने से योजना के लक्ष्यों पर भयंकर प्रभाव पड़ सकता है।

अब मैं इस्पात को लेता हूं। इस्पात के कारखानों में विस्तार कार्यक्रम तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिये। यदि विकास कार्यक्रम अभी शुरू न किया गया तो इस से इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। बोकारो संयंत्र के बारे में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न किये गये तो तीसरी योजना के भौतिक तथा क्षमता के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी।

†श्री उ० न० ढेबर (राजकोट): तीसरी योजना के बारे में श्री नाथ पाई ने जो शंकायें प्रस्तुत की हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

हमारे आयोजन से पता चलता है कि हमने अभी तक जो प्रयत्न किय हैं यदि उन्हें उन्नति के प्रसंग में देखा जाय तो यह ज्ञात होगा कि वह पर्याप्त नहीं रहा है। हमने ६ प्रतिशत उन्नति की योजना बनाई थी जब कि इसका ५० प्रतिशत कृषि पर निर्भर है।

तीसरी योजना में अभी तक जो प्रगति हुई है उससे यह ज्ञात होता है कि जिस उन्नति को हम न्यूनतम समझ रहे थे वह अधिकतम सिद्ध होगी। यह वस्तुस्थिति संतोषजनक नहीं है विशेषत: जब हम जानते हैं कि हमारी जनता का ६० प्रतिशत भाग राष्ट्रीय प्रति-व्यक्ति आय से भी कम कमा रहा है।

निस्संदेह हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वे असंतोषजनक नहीं हैं। तो भी ये प्रयत्न लोगों को युक्ति-युक्त समय में जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये, अपेक्षित आय को सुनिश्चित करने के लिये

†मूल अंग्रेजी में

पर्याप्त नहीं हैं। योजना आयोग को चाहिये कि वे उसके बारे में कार्यक्रम निश्चित करे। यदि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहेंगे तो हम लोक-तंत्रात्मक आयोजन को सफल नहीं कह सकेंगे ।

हमें औद्योगिक विकास को उचित महत्व देना चाहिये, परन्तु यदि हम ग्रामों में रहने वाले लोगों की, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, हालत में सुधार करना चाहते हैं तो हमें अपनी कृषि पर बहुत ध्यान देना चाहिये। दुख यह है कि हमारे ग्रामीण क्षत्रों में अपने संसाधनों की सही खोज नहीं की है। यदि हम ऐसा करते तो हम उन्नति की दर को एक प्रतिशत बढ़ा सकते थे। हमें पशुपालन, भमि संरक्षण तथा वन आरोपण पर अधिक जोर देना चाहिये। इसी के बल पर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है ।

सरकार को जनता को भी यह बताना चाहिये कि वे उनकी जीवन सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकतायें उपलब्ध करने के लिय क्या कर रही है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि गांवों में पर्याप्त संसाधन हैं जिनका उचित उपयोग किया जा सकता है। केवल राज्य सरकार के अधिकारियों को जागरूक होने की आवश्यकता है ।

श्री बड़े (खारगोन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री नाथ पाई ने जो प्रस्ताव रखा है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज जो प्लनिंग के ऊपर और प्लैन के ऊपर टीका-टिप्पणी करने का योग आया है वह योग केवल उसी मोशन की वजह से आया है।

पिछले सेशन में जब मैंने माननीय मंत्री श्री नन्दा का भाषण सुना और उसके ऊपर विचार करने लगा तो मैंने पाया कि उनका ज्यादा लक्ष्य हमारे काश्तकारों की तरफ या गांवों की तरफ न होते हुए केवल इंडस्ट्रीज की तरफ होता है। उन्होंने अपने भाषण में एग्रिकल्चर के बारे में जो कुछ कहा है और जो कि छपे हुए उनके भाषण के पेज ११ पर है, उस पर तो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन उन्होंने प्लनिंग के पहले वर्ष के लक्ष्य पूरे क्यों नहीं हुए उसका जो विश्लेषण किया है, उस में कौन कौन से ड्राबैक्स हैं, कौन कौन से डिफैक्ट्स उसके बारे में कहूंगा। माननीय मंत्री जी ने पहला विश्लेषण यह किया है कि **देअर इज रिअल चैलन्ज इन इम्प्लिमेंटेशन**। उनका जो भाषण आया है मेरे पास, उस के बारे में "लिंक" के नाम से जो अखबार निलकता है उसमें थोड़ा सा छापा गया है। उसमें लिखा है: कि योजना पर अमल करना सबसे कठिन है इम्प्लिमेंटेशन करने में डिफैक्ट यह है कि जितने कार्यकर्ता हैं, इम्प्लिमेंट करने वाला जो स्टाफ है, वह बराबर काम नहीं करता है। आपने यह पहला कारण बतलाया है। जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं और वहां मझे बड़े बड़े अफसर मिलते हैं तो वे कहते हैं कि हमने अपना कार्य कर दिया है। **वी हैव डन अवर ड्यूटी** जब वह इस तरह से कहते हैं तो आखिर प्लेन को इम्प्लिमेंट किसे करना है? उसे इम्प्लिमेंट करने के लिये उत्साह का निर्माण किसे करना है?

इस तरह से वे कहते हैं। यानी इसका कारण यह है कि आप के जितने काम करने वाले बाबू हैं जब वे गांवों में जाते हैं पैंट और बर्शट पहन कर तब जो लोग गांवों में रहते हैं, पंचायत के जो लोग हैं, गांव वाले जो काश्तकार हैं, उनके साथ वे समरस नहीं होते और उनमें उत्साह पैदा नहीं करते क्योंकि उनमें खुद ही उत्साह नहीं है। इसका कारण क्या है यह माननीय मंत्री जी ज्यादा समझते हैं क्योंकि मैं एकानामिस्ट नहीं हूं। माननीय मंत्री जी प्लैनर हैं और तीसरी प्लैन चला रहे हैं, उन्हें देखना चाहिये कि बीमारी का कारण कहां है, कौन से लोग प्लैन को इम्प्लिमेंट करने में कोआपरेट नहीं करते हैं। उन्होंने जो यह कहा कि उन का स्टाफ पूरी तरह पर एजुकेटेड नहीं है, वह कोआपरेट नहीं करता, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैंने देखा है कि जब मैं देश के गांवों में जाता हूं, जो कि

[श्री बड़े]

गांवों क देश कहलाता है और जहां पर २ या ४ परसेंट लोग ही इंग्लिश पढ़ हुए हैं, जहां हिन्दी भाषा चलती है या रीजनल भाषा चलती है, वहां जब हम योजना के बारे में लोगों से कहते हैं तोवे कहते हैं कि वहां पर जो बाबू लोग जाते हैं वे केवल अपने बारे में कहते हैं, उन्हें यह भी मालम नहीं कि यह झाड़ कौन सी है और बीज किस चीज का है। स्टाफ के लोग वहां पर जा कर कहते हैं कि उनके पास ऊपर से आर्डर आया है इसलिये उनको यह सब करना पड़ रहा है। तो जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन तुम ने दर्द दिया है, यम ही दवा करो। जब आपने प्लैन को शुरू किया है तो आपको ही उसकी दवा करनी चाहिये कि वह क्यों पूरी नहीं होती है। इसके लिये जो हमारे यहां के वाइस प्रजिडेंट हैं उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ कहा है उसका आशय यह है कि लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों के लिये कोई स्थान नहीं है जो दूसरों से अपनी आज्ञा मनवाने में ही परम संतोष का अनुभव करते हैं। अब आदेश मानने की भावना में परिवर्तन हो गया है। अन्धविश्वास के स्थान पर समझबूझ होनी चाहिये। अभी हाल में जो हमारे इस हाउस के लीडर हैं, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यह जीप मेन्टेलिटी है, इसे कम करना चाहिये क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। आप देखिये कि हमारे यहां ब्लाक डेवेलपमेंट आफिसर्स जाते हैं, वे क्या करते हैं। आप देखिये कि हमारे मध्य प्रदेश के बजट में कितनी जीप खरीदने के लिये प्राविजन रक्खा गया है। इसलिये जब तक जीप मैन्टेलिटी को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम गांवों को आगे नहीं बढ़ायेंग तब तक हमारी प्लैनिंग सक्सेसफुल नहीं होगी।

जो हमारे ड्रा बैक्स हैं उनका मुख्य कारण क्या है ? वे कहते हैं :

"हमने योजना बनाई है अब उन्हें इसे क्रियान्वित करना चाहिय।"

इसके बजाय यह होना चाहिये : हमने योजना बनाई है हमीं इस पर अमल करेंगे। जब ऐसा किया जायेगा तभी काम हो सकता है। लेकिन इस उत्साह के निर्माण के वास्ते जो बातें चाहियें, उनके वास्ते काम करने वालों के लिये जिस कन्वीनि एंस की जरूरत है वह लोगों को नहीं मिलती है, छोटे छोटे लोगों को जो पगार मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है, बड़े बड़े लोगों को, आफिसर्स को पगार मिलती है। ब्लाक डवलपमेंट आफिसर्स वहां जीप पर जाते हैं और चक्कर लगा कर लौट जाते हैं। उन्हीं पर हमने सारा काम छोड़ा हुआ है। गांवों में प्लैनिंग के सक्सेसफुल न होने का यही कारण है।

दूसरी बात मैंने देखी है फर्टिलाइजर और सीमेंट के बारे में। लोगों को फर्टिलाइजर अथवा खाद मिलती नहीं है। सीमेंट के बारे में मैंने देखा है कि वह लोगों को मिलता नहीं है। सीमेंट के बारे में मैंने देखा है कि अपने भाषण के पेज ३ पर माननीय मंत्री महोदय ने कहा है :

१६५०–५१ में सीमेंट का उत्पादन २७ लाख टन था जो अब बढ़ कर ७६.७ लाख टन हो गया है। में पूछना चाहता हूं कि क्या यह सेल्फ कम्प्लेसेन्सी नहीं है, सेल्फ प्रेज नहीं है कि आपने दस सालों में सीमेंट को २.७ मिलियन टन से ७.६७ मिलियन टन इन्क्रीज किया है और वह भी इतना टैक्स लगा कर यह कोई विशेष तारीफ की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हालांकि आपने ७.६७ मिलियन टन तक सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है लेकिन आप दिल्ली की मार्केट्स में चले जाइये और देखिय कि वहां पर क्या हलात है सीमेंट की। आज किसी को सीमेंट मिल नहीं रहा है। यहां पर जंगपुरा सीवेज लाइन्स के लिये गड्ढ़ा खुदा हुआ है। मैंने लोगों से पूछा कि आखिर तुमने यह गड्ढ़ा क्यों खोदा, तो वे कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे लिये सीमेंट पाइप्स आते ही नहीं हैं। साल भर या छः महीने गड्ढ़ों को खुदे हुए हो गये लेकिन वे ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि सीमेंट पाइप्स नहीं मिलते हैं। छात्रावास बनाने के लिये सीमेंट नहीं आता है। सरकार कहती है कि उसने इतना सीमेंट

का प्रोडक्शन बढ़ा लिया है लेकिन छात्रावास के लिये भी सीमेंट नहीं मिलत है। यह कहते हुए भी कि सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ गया है, वह हमारे देश में इतने डफिसिट में है कि उसकी आज जरूरी कामों के लिये भी कमी है। कहते हैं कि हमने २.७ से ७.९७ मिलियन टन बढ़ा लिया है, और कौन सा कोटा था। थर्ड फाइव इअर प्लैन में सन् १९६१–६२ में कितने सीमेंट का निर्माण करना था और कितना डेफिसिट हो गया, इसके फिगर्स मैं आपको थोड़ेमें बतला देना चाहता हूं। देअर इज ए पेपर "लिंक"। वह आपके ही फेवर का पेपर है।

'लि" ने खुद कहा है कि सन् १९६१–६२ में जितना प्रोडक्शन होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है और इसका कारण माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं बताया है। उन्होंने सेल्फ प्रेज में कहा है कि हमने १०–१२ साल में २.७ मिलियन टन से ७.९७ मिलियमन टनसीमेंट का उत्पादन बढ़ाया है।

इसके बाद मैं नेशनल इनकम की ओर आता हूं। इसके विषय में मैंने एक पेपर पढ़ा है जिसमें लिखा है कि नेशनल इनकम घटती जा रही है। उसमें लिखा है कि ६ प्रतिशत वृद्धि के स्थान में राष्ट्रीय आय में केवल ३.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

लेकिन बढ़ा है ३.६ पर सेंट। "**दी हिन्दू वीकली रिव्यू**" में लिखा है कि सिर्फ ३.५ पर सेंट राइज है सन् १९६१–६२ में।

तो ३० पर सेंट टारजेट था थर्ड प्लान में नेशनल इनकम बढ़ाने का, इसलिए एक साल में ६ पर सेंट बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ा है केवल ३.५ पर सेंट। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है।

फारिन एक्सचेंज के बारे में माननीय मंत्री का भाषण हुआ है। उन्होंने कहा है कि वास्तविक कठिनाई विदेशी मुद्रा का अभाव है। मैं कहता हूं कि फारिन एक्सचेंज के बारे में इतनी बातें कहते हैं लेकिन जो फारिन एक्सचेंज मिलता है उसका उन्होंने अच्छा उपयोग नहीं किया है। जो फारिन एक्सचेंज मिलता है वह कितना एरियर्स में है इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने हाउस में कुछ नहीं कहा है।

श्री नन्दा : क्या नहीं कहा है ?

श्री बड़े : फारिन एड जो आपको प्राप्त हो चुकी है वह आपने सारी लगा कर समाप्त कर दी है या नहीं या इसमें कुछ बाकी है य नहीं बताया गया है। इसके बारे में २१ अगस्त के 'स्टेट्समैन' में एक बड़े एमीनेंट इकानामिस्ट श्री रंगाचारी ने बहुत सुन्दर कहा है। उनका कहना है कि जो फारिन एड मिलती है उस पर प्रापर उपयोग नहीं होता और जब ड्रा बैक आते हैं, जैसे कि तीसरी प्लान में काम बराबर नहीं हुआ, तो आप एक लेम एक्सक्यूज देते हैं कि हमको काफी फारिन एक्सचेंज नहीं मिलता है। इसके बारे में मैं श्री रंगाचारी की राय आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है : यह जो ९.५ करोड़ ड्रग्स के लिए मिला था उसके लिए बजट में एक रुपया टोकिन दिखाते रहे लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया।

इसके बाद उन्होंने कहा है :

> जून १९५८ में हमें अमेरिकन निर्यात-आयात बैंक से ७१.४३ करोड़ का ऋण मिला जिसमें से पिछले वर्ष के अन्त तक केवल ५० करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। १९६१ में २३.८ करोड़ के एक अतिरिक्त ऋण की राशि का उपयोग ही नहीं किया गया।"

[श्री बड़े]

इसके बारे में मन्त्री जी को क्या कहना है ? मैं एक गांव का कार्यकर्त्ता हूं और जब लोग यह अखबार पढ़ते हैं तो मुझ से पूछते हैं कि क्यों इतना रुपया अनयूज्ड रह गया, और उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया ।

इसके बाद श्री रंगाचारी ने कुछ ग्लेयरिंग केसेज बताए हैं और कहा है :

"कि कई मामलों में जहां विदेशी मुद्रा व्यय की जा सकती थी वहां विदेशी मुद्रा व्यय नहीं की गयी और योजनायें क्रियन्वित नहीं हो सकीं । अन्तर्राष्ट्रीय विकास अमेरिकन अभिकरण द्वारा दिये गये १६४ करोड़ रुपयों में से केवल ७७ करोड़ रुपयों का उपयोग हो सका ।

यू० एस० ए० एजेंसी ने जो १६४ करोड़ रुपया दिया था उसमें से केवल ७७ करोड़ का उपयोग हुआ है, बाकी पड़ा हुआ है । तदुपरान्त उसमें और अधिक राशि दी गई जिसमें से केवल ५० करोड़ रुपयों का उपयोग हो सका । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो कहते हैं कि हमको फारिन एक्सचेंज मिलता नहीं है यह बात गलत है । आपको जो आलरेडी फारिन एक्सचेंज मिला हुआ है उसका आपने उपयोग नहीं किया । रशिया से जो एड मिली उसका कोई उपयोग नहीं किया गया । अमरीका से जो एड मिली उसका भी पूरा उपयोग नहीं किया गया ।

इसके बाद जापान से आपको लोन मिला था सन् १६५८ में उड़ीसा की आयरन और माइन्स के लिये उनके बारे में श्री रंगाचारी ने लिखा है कि उसका भी उपयोग नहीं किया जा सका । तो इस प्रकार की समस्या है । इसके बारे में एक बहुत एमीनेंट इकानमिस्ट श्री रंगाचारी ने बहुत अच्छा आरटिकिल लिखा है ।

उसके बाद मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन हुआ और मानसून ने फेवर किया तो हमारा प्लान अच्छा हो सकता है । यह बात माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण के पेज ११ पर कही है ।

इधर मिनिस्टर साहब यह कहते हैं और उधर एग्रीकल्चर के मिनिस्टर पाटिल साहब कहते हैं कि सन् १६६१–६२ में एग्रीकल्चर में बराबर काम हो रहा है । उसमें प्लानिंग के अनुसार काम हो रहा है और कोई गलती नहीं है ।

यह तो मैं जानता हूं कि भारत का बजट मानसून के रुख पर निर्भर करता है । लेकिन इतने साल के एक्सपीरिएंस के बाद तो आपको इसके लिये मारजिन रखना चाहिए था । हमने देखा है कि पांच साल में तीन साल मौसम अच्छा रहता है और दो साल में खराब रहता है । तो इसके लिये तो आपको मारजिन रखना चाहिये था । यही तो प्लानिंग का उद्देश्य है ।

इसके अतिरिक्त आपकी गन्ना बोने की पालिसी गलत है । जहां गन्ना अच्छा पैदा होना है वहां गन्ना बोना चाहिए, जहां अच्छा पैदा नहीं होता वहां नहीं बोना चाहिए । लेकिन ऐसा किया नहीं जाता । मैंने इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े एकत्र किए हैं । एक सवाल पूछा गया था उसमें जो आंकड़े दिये गये थे वे इस प्रकार हैं :

	प्रति एकड़ टनों में
आन्ध्र प्रदेश .	. २६.१६
गुजरात	. २१.१६

केरल . . . . . १६·१३ टन

मध्य प्रदेश . . . . . १०·२९ टन

मद्रास . . . . . ३०·७१ टन

मेरा सजेशन है कि जिन प्रदेशों में गन्ना अच्छा पैदा होता है वहां गन्ना पैदा किया जाए और जिन प्रदेशों में कैश क्राप्स जैसे काटन और ग्राउण्ड नट अच्छे पैदा होते हैं वहां वे पैदा किये जायें। हम देखते हैं कि दक्षिण के प्रदेशों में गन्ना अच्छा पैदा होता है। सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि गन्ने के उत्पादन को नियन्त्रित करे। जहां गन्ना अच्छा पैदा होता है वहीं गन्ना बोया जाए और जहां कैश क्राप्स जैसे काटन और ग्राउण्ड नट अच्छे पैदा होते हैं वहां उनको बोया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है और काश्तकार उसी पुरानी पद्धति पर चल रहे हैं और वैसे ही बोते हैं। उनके बोने की पद्धति में में कोई फर्क नहीं आया है और न ही उनको किसी ने सिखाया है। हमारे मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर्स हैं वे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और किसानों को इस की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि कौ नसी क्रौप किस जमीन में बोनी चाहिए।

प्लान के क्रौप टार्जेट पूरा न हो सकने का एक कारण उन्होंने यह एलेक्शन्स भी बताये हैं। अभी हाल में में जो आम चुनाव हुए हैं उनके कारण भी टार्जेट पूरा होने में बाधा पड़ी है। सन् ६१–६२ में प्लान के मुताबिक जो नतीजा आने वाला था वह नहीं आया है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि चूंकि राज्यों में स्टैबिल्टी नहीं है इसलिये प्लान फेल हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में काफी समय से झगड़ा चल रहा था। डा० काटजू और श्री मंडलोई का झगड़ा चल रहा था और उसके फलस्वरूप प्लान के टार्जेट को पूरा करने की ओर मध्य प्रदेश के मिनिस्टरों और अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सात महीने तक मिनिस्टर्स आदि केवल अपनी कुर्सी की प्लानिंग करते रहे कि काटजू आयेंगे या मंडलोई आयेंगे। अभी जाकर वह सात महीने से चला आ रहा काटजू और मंडलोई का झगड़ा खत्म हुआ है। राजस्थान में भी यही बात है। वहां भी इसी तरह की गुट्टबाजी और झगड़ा चला आ रहा है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की भी यही हालत है और वहां पर भी आपस के झगड़े चल रहे हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री बड़े : मैं केवल पांच मिनट का समय और चाहूंगा एक महत्वपूर्ण प्वाएंट मेरा रहा जाता है। बस उसको कह कर मैं समाप्त करूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : यहां हाउस में किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री बड़े : काटजू और मंडलोई का झगड़ा काफी समय से मध्य प्रदेश में चल रहा था और वह किसी से छिपा नहीं है। मैं वहां मध्य प्रदेश में था और मुझे मालूम है कि क्या झगड़ा था। अब श्री नन्दा जी ने जो यह कहा कि एलेक्शन की वजह से टार्जेट पूरे नहीं हुए तो यह बात भी गलत है बल्कि असली कारण जैसा मैंने बतलाया राज्यों में स्वयं सत्ताधीश पार्टी में आपस की गुट्टबाजी और झगड़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

इसी तरह से हम देखते हैं कि पावर में भी टार्जेट के हिसाब से कमी आई है। सन् ६१–६२ में जितना इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिये उतना इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया है। इसके अलावा दिल्ली में जो पावर फेलयोर हुआ वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिजली दिल्ली क्या अनेक स्थानों पर फेल होती रहती है। मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में ब्यौरा दिया हुआ है। उसको देखने से मालूम होता है कि जितना इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। गांवों में अभी भी बिजली लगाने का काम पूरा नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में गांवों की स्थिति विशेष कर असन्तोषजनक है। सैकेंड प्लान पीरियड में गांवों के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जो स्टेटमेंट है उसको देखने से मालूम होगा कि आन्ध्र प्रदेश में ४०० गांवों में बिजली पहुंचनी चाहिए थी लेकिन सन् ६१–६२ में यानी थर्ड प्लान के फर्स्ट इयर में केवल १८७ गांव इलेक्ट्रिफाई हुए हैं। इसी तरह से आसाम में जहां ४० गांव इलेक्ट्रिफाई होने चाहियें थे वहां केवल ४ गांव में ही बिजली पहुंची है। बिहार में जहां ४०० गांव में बिजली पहुंचनी थी वहां केवल २४६ गांवों में ही पहुंची है। गुजरात में १६० विलेजेज इलेक्ट्रिफाई होने चाहियें लेकिन ११५ में ही बिजली पहुंची है। केरला में २०० गांवों को बिजली पहुंचनी थी लेकिन ११५ गांव ही इलेट्रिफाई हो पाये हैं। मध्य प्रदेश में २०० गांव इलेक्ट्रिफाई होने चाहियें थे लेकिन केवल ८० गांव ही इलेक्ट्रिफाई हुए हैं। यह आंकड़े एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने दिये हैं और मैं उसकी एक कौपी ले आया हूं और उसी में से मैंने यह फीगर्स दी हैं।

स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये मेरा कहना है कि इन को आप गांवों में खोलें तो बेहतर होगा। यह खेद का विषय है कि सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक गांवों की उपेक्षा ही की गई है। हमें यह कदापि नहीं भूलना है कि इस देश की करीब ८० प्रतिशत जनता गांवों में बसती है और केन्द्रीय सरकार को विशेष कर इस बारे में सतर्कता बर्तनी चाहिये और गांवों को उन्नत करने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। हमें अपनी इस उपेक्षा वृत्ति को त्यागना होगा और खाली हमदर्दी दिखा कर ही चुप नहीं बैठना है बल्कि उनकी अपलिफ्ट के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहियें और उनकी उन्नति हम गांवों में स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज खोल कर कर सकते हैं। इससे उनकी आर्थिक अवस्था सुधर सकती है। आज हमारे गांव वाले गरीब लोग काफी असन्तुष्ट हैं। उनकी रोजी रोटी का समुचित बन्दोबस्त नहीं है और जब इस पर उन पर आये दिन टैक्स लगते हैं तो वह और भी परेशान और गुस्सा होते हैं। जब हम उनको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आज अपनी सरकार है और उसको प्लानिंग करने के लिये रुपया चाहिये इसलिये वह अतिरिक्त टैक्स लगाती है तो चूंकि उनको खाने को मिलता नहीं है इसलिये यह आपकी प्लानिंग उनकी समझ में आती नहीं है। वे तो कहते हैं कि यह योजना मरने की योजना है। हम लाख उनको समझाते हैं कि भाई यह तो जिन्दा रहने की योजना है यह मरने की योजना नहीं है लेकिन वह इसको नहीं मानते। टैक्सेज तो उन पर लगते जाते हैं और खाना पीना उनको मिलता नहीं है इसलिये वे यही कहते हैं कि यह तो मरने की योजना है यह जिन्दा रहने की योजना नहीं है। उनको यह कनविंस कराना बड़ा कठिन हो जाता है। यहां पर अंग्रेजी की यह कहावत चरितार्थ होती है :—

यहां बालक कुछ नहीं कर सकेंगे। हे भगवान् खुद ही आईये।

यहां पर चिल्ड्रेन की जगह मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्टर्स से कुछ काम होता नहीं दिखाई देता, भगवान् आप खुद ही आइये।

मध्य प्रदेश में गांवों की हालत दयनीय है। वहां पर कोई इण्डस्ट्रीज नहीं हैं। शहरों में बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बिजली के पंखे होते हैं और डामर की पक्की सड़कें भी होती हैं लेकिन गांवों में कच्ची सड़कें होती हैं और जिनमें कि बीच बीच में काफी गड्ढे रहते हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि समय आ गया है जब वह गांवों के प्रति उपेक्षा की नीति को त्यागे क्योंकि उसे यह नहीं भुलाना है कि इस देश की ८० प्रतिशत जनता देहातों में बसती है। केवल ४, ५ या १०, १५ प्रतिशत शहरी जनता को खुश करने से काम नहीं चलेगा और न ही यह प्लान सक्सैसफुल होगा। सरकार को गांवों की दशा को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये और उनकी आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये उनकी रोजी रोटी का समुचित प्रबन्ध करना चाहिए। वहां पर स्मौल स्केल इण्डस्ट्रीज़ स्थापित करनी चाहियें। ऐसा करने से ही आपकी योजना सही मायनों में सफल हो पायेगी।

†**डा० का० ला० राव** (विजयवाड़ा) : सरकार समानता और समृद्धि के आधार पर एक नयी सामाजिक व्यवस्था कायम करना चाहती है। उसके लिये योजना सबसे प्रभावशाली साधन है। यह एक अत्यंत कठिन किंतु महान कार्य है। इस कार्य के लिये सबसे अनिवार्य साधन विद्युत शक्ति है।

विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए यह अत्यावश्यक है कि अगली योजना में हम यथासंभव जल विद्युत कार्यक्रम को शुरू करें। ताप विद्युत के बारे में हम अभी तक किसी सामान का उत्पादन नहीं कर सके हैं। दुख की बात तो यह है कि हम अभी तक इस संबंध में डिजायन भी तैयार नहीं कर पाये हैं। कारण यह है कि हमें सहायता देने वाले देशों ने अनुरोध किया था कि छोटे छोटे कामों के लिये भी विदेशी सलाहकार रखे जायें।

देश में बिजली की कमी है। नये बिजली घरों की स्थापना तथा वर्तमान बिजली घरों को बढ़ाने में अनेक कठिनाइयां पेश आती हैं। उन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये एक अलग विद्युत मंत्रालय होना चाहिये। कम से कम हमें अपने केन्द्रीय बिजली बोर्ड की स्थापना अन्य देशों में स्थापित उसी प्रकार के संगठनों के आधार पर करनी चाहिये। उसे डिजाइनों को बनाने तथा विशिष्ट विवरणों के तैयार करने का प्राधिकार सोंपा जाना चाहिये तथा सारे देशों में क्रय का काम भी उसे ही दिया जाये। इंजीनियरों तथा प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण की अच्छी से अच्छी सुविधायें दी जायें। देश में विभिन्न स्तरों पर एक विशेष पदाली का निर्माण किया जाये। केवल इंजीनियरी कालेजों का खोलना ही काफी नहीं होगा। टेक्निीकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण योजना आयोग का विशेष उत्तरदायित्व है।

अब मैं सिंचाई को लेता हूं। इस समय ७८८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती है और हम ७८८ लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई सुविधायें बढ़ानी चाहियें। इसके लिये सरकार को नये नये साधनों को अपने हाथों में लेना चाहिये।

१०० करोड़ रुपये की वृद्धि निधि की स्थापना करनी चाहिये ताकि यह सुरक्षित हो सके कि समस्त परियोजनायें पूरी होकर देश को लाभ पहुंचाने लगें।

कई परियोजनाओं के संबंध में हमने जो लक्ष्य निश्चित किये हैं उनके पूरा होने की कोई आशा नहीं है उदाहरणार्थ रामगंगा बांध में अभी बहुत काम किया जाना है। इसमें ३ या ४ वर्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० क० ल० राव]

का समय लगेगा । इसी प्रकार बोसी बांध भी नेपाल सरकार की ढ़िलाई के कारण पूरा होने में काफी समय लेगा । इसी प्रकार महानदी डेल्टा परियोजना के संबंध में भी हमारे पास पूरी राशि नहीं है । ये सारी बातें वृद्धि निधि की स्थापना से ही दूर हो सकती हैं ।

सिंचाई परियोजनायें इस प्रकार तैयार की जायें कि जिस समय बांध पूरा हो तो उस समय ब्यूरों का जाल तैयार हो चुका हो तथा उससे उत्पादित अनाज और अन्य लाभों का मूल्य ६ प्रतिशत हो ।

हमने यह अनुमान लगाया है कि छोटे पैमाने की सिंचाई परियोजनायों के अधीन १३० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी । यह लक्ष्य बहुत विशाल है यदि आप इसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक राज्य में सिंचाई के लिये पृथक विभाग खोलना होगा ।

अब मैं कोयले को लेता हूं । कोयलें के परिवहन की समस्या को हल करने के लिये सिंगारेनी कोयला क्षेत्रों अथवा गोदावरी कोयला क्षेत्रों को दक्षिण भारत के लिये कोयले का मुख्य साधन बनाया जाये । जहां तक उत्तरी क्षेत्र का संबंध है यदि मैथान जलाशय को परीरा नहर से मिला दिया जाये तो हम कोयले को सीधे गंगा तक ले जा सकते हैं ।

तीसरी परियोजना निसंदेह बहुत विशाल उपक्रम है । तथापि हमारे योजना मंत्री देश के ईमानदार सच्चे और परिश्रमी नेताओं में से एक हैं अतः हमें विश्वास है कि योजना सफल होगी यदि योजना सफल नहीं होती तो हमें यह स्वीकार कर लेना होगा कि लोकतंत्रात्मक तरीकों से समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है ।

†**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर) : तीसरी परियोजना की क्रियान्विति में जो कठिनाई आ रही है वह यह है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का अभाव है । ऐसे समय मुझे दुख है कि हम ऐसे ऐसे उद्योग पर जिसका विदेशी मुद्रा के अर्जन में छटा स्थान है उसे अपेक्षाकृत कम महत्व दे रहे हैं । हम इस मसय पर्यतन उद्योग से २० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कमा रहे हैं और यदि हमें पूर्ण सुविधायें उपलब्ध की जायें तो विशेषज्ञों का मत है कि हम ५० करोड़ रु० प्रतिवर्ष कमा सकते हैं ।

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पर्यटकों के अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये । ताकि पर्यटक व्यापार फलफूल सके ।

हमें चाहिये कि हम भारत के लिये निर्यात बाजार का विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार करें । विदेशों में हमारे व्यापार आयुक्त हैं, उनको निरंतर आदेश देते रहना चाहिये कि वे इस दिशा में प्रयत्न करते रहें ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके ।

मेरा सुझाव है कि शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये । राज्य सरकारों को यह आदेश दिये जायें कि वे अध्यापकों का चुनाव करने में बहुत सावधानी बरतें । स्कूलों में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या नहीं है अतः अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की जाये । सरकार को इस दिशा में भी प्रयत्न करना चाहिये कि समस्त राज्यों में समान नीति अपनायी जाये ताकि किसी राज्य विशेष के विद्यार्थी पिछड़े न रहें । जब तक अंग्रेज़ी के स्थान में हिन्दी नहीं लाई जाती तब तक उस भाषा के पढ़ाये जाने पर समुचित जोर दिया जाना चाहिये ।

---

†ल अंग्रेजी में

योजना का आर्थिक पहलू ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिये । यह बात नहीं भूलना चाहिये कि योजना जनता के लिये है न कि जनता योजना के लिये ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रत्नगिरि) : योजना के संबंध में हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो तथा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार तथा पालन पोषण इत्यादि के संबंध में सबको समान सुविधायें प्राप्त हों ।

योजना एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं । ऐसी अनेक बातें हैं जो आयोजन के क्षेत्र को सीमित कर देती हैं कोई भी योजना हर बात में सफल नहीं हो सकती है । इसी कारण इतनी सफलता प्राप्त किये जाने के बावजूद अभी बहुत सा कार्य किया जाना बाकी है ।

हमारी अर्थ व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में कमियां हैं । तीसरी योजना के पहिले वर्ष के परिणामों की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे आगे भी जारी रहेंगे ।

इसके बावजूद कि हमारी राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होता है उनके विकास पर समुचित जोर नहीं दिया गया है, तेजी से औद्योगीकरण किये जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा हुई है । मेरा सुझाव है कि कृषि का सुधार और उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये । ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कारखानों की स्थापना की जानी चाहिय। गांव तथा नगरों के बीच जो असंतुलन हो रहा है उसे कम किया जाये ।

दुख का विषय है कि हमारे निर्यात की राशि स्थिर रही है । भारत की निर्यात नीति में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिये कि हमारे निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हो ।

राज्यों को चाहिये कि वे योजना को क्रियान्वित करने के लिये अधिकाधिक संसाधन जुटायें । राज्यों के पारस्परिक स्पर्द्ध की भावना बुरी है उससे बचना चाहिये । यदि उसके आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने की संभावना न हो तो पिछड़े क्षेत्रों में बड़े कारखानों की स्थापना न करना ही ठीक है ।

निसंदेह इस में बहुत अंशों तक पुरातन पंथी भावना मौजूद है । आज की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत चैतन्य है : अतः सरकार को बढ़ती हुई बेकारी की ओर ध्यान देना चाहिये । सरकार को इस दिशा में अपना दायित्व समझना चाहिये ।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि क्योंकि हम योजना के लक्ष्यों पर स्थिर नहीं रह सकते हैं अतः हमें योजना ही नहीं बनानी चाहिये । आयोजित अर्थ व्यवस्था ऐसी यात्रा की तरह है जिस का कोई लक्ष्य न हो ।

मैं योजना के अधीन सरकार के प्रयत्नों की प्रशंसा करती हूं ।

†**श्री काशी राम गुप्त** (अलवर) : मैं दक्षिण भारतीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं यक हिन्दी के प्रति उन का रवैया वांछनीय नहीं है । जब भी कभी कोई मंत्री हिन्दी में उत्तर देने का प्रयत्न करता है तो उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशी राम गुप्त]

मेरे विचार से योजना को अमल में लाने के लिये पांच शर्तें आवश्यक हैं पहिला (१) भ्रष्टाचार रहित प्रशासन, (२) योजना का सही विश्लेषण (३) योजना से राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति न करना (४) केवल उन साधनों का उपयोग किया जाये जिन से देश सुदृढ़ बने (५) भ्रांतियों का निराकरण किया जाये ।

आज देश की स्थिति यह है कि सभी स्तरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है । यह बात गलत है कि भ्रष्टाचार केवल निचले स्तर पर है । वस्तुतः सारा संगठन इस का शिकार है । भ्रष्टाचार की यह सीमा है कि जनसाधारण को शुद्ध घी या योग्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं ।

हमें बताया गया है कि गत वर्ष कोयले का उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना कि इस से पीछे वाले वर्ष में हुआ था ।

[श्री मूलचन्द दूबे पीठासीन हुए]

इस के साथ साथ परिवहन समस्या भी बहुत ही विकट हो गई है । यह बात भी इसलिये उत्पन्न हुई है कि इस समस्या के बारे में हम ने शुरु से ही ध्यान नहीं दिया । जहाजों के द्वारा २० लाख टन माल ढ़ोने का लक्ष्य हम ने बनाया था लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ यही हाल रेलों का है वे भी देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रही हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में परिवहन सुविधाओं की बहुत कमी है जैसा कि इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि हम कोयले की आवश्यक मात्रा का वहन नहीं कर सके हैं । सरकार को यह बताना चाहिये कि कोयले की मांग कितनी बढ़ी है और वह उसे पूरा करने में कहां तक असफल रही है ।

कृषि क्षेत्र में भी स्थिति बहुत ही खराब है । वहां भी प्रति वर्ष उत्पादन घट रहा है । हम इस क्षेत्र में भी अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सके हैं । उद्योगों के लिये हम जितना कर रहे हैं उस की तुलना में पशु पालन तथा ग्रामीण कृषि की उपेक्षा की जा रही है ।

ग्रामीण उद्योग ठीक ढ़ंग से काम नहीं कर रहे हैं । अतः उन का उचित मल्यांकन किया जाना चाहिये । खादी का उत्पादन उसी पुराने ढ़ंग से किया जा रहा है । कताई के तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । एक ओर तो विभाग के बाद दूसरे विभाग खोले जा रहे हैं लेकिन उद्योगों की स्थापना के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है ।

रेंड परियोजना के ५ जैनेरेटरों में से केवल १ जैनेरेटर ही उपयोग में लाया जा रहा है । चार बेकार पड़े हैं । इस प्रकार यह सरकारी धन और शक्ति का अपव्यय है । नई बनाई गई सड़कों की उपेक्षा हो रही है क्योंकि उन पर समय समय पर डामर नहीं डाला जा रहा है । राजस्थान योजना में ५० करोड़ रुपये की कमी करनी पड़ी क्योंकि संभवतः उस राज्य ने दूसरी योजना अवधि में अधिक रुपया ले लिया था । सरकार को यह बताना चाहिये कि राज्यों को अपनी आय से अधिक खर्च करने की अनुमति क्यों दी जाती है ।

राज्यों के खर्चों में कमी की जा रही है बेरोजगारी बढ़ रही है । समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की योजना बनाने से क्या लाभ ।

जनता कार बनाने के बारे में बातचीत करना प्रचार करना, और फिर इरादा रोक देना क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारी योजना अच्छे ढ़ंग से नहीं बनाई जा रही है । इस प्रकार की बातों से तो हमारी बदनामी ही होती है ।

गांवों में रोजगार की समस्या बहुत ही गम्भीर है अत: वहां इसे शीघ्र से शीघ्र हल किया जाना चाहिये ।

योजना में लक्ष्य स्थापित करना और फिर उन्हें पूरा न करना इस बात के द्योतक हैं कि योजना ठीक नहीं है। हमारी योजना की सफलता की वास्तविकता तो लक्ष्यों को पूरा करने में निहित है।

इसलिये अन्त में मैं यही कहूंगा कि हमारी योजना बहुत कुछ त्रुटिपूर्ण है। सरकार को चाहिये कि वह इसे व्यावहारिक रुप दे ।

†**श्री वृ० चं० पन्त** (नैनीताल) : तीसरी योजना का मसला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है । सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हम ने कितनी प्रगति की है।

योजना एक निरन्तर चलने वाली गति है। यह कहना अच्छा नहीं है कि तीसरी योजना बनाने से पूर्व द्वितीय योजना की सफलता और कमियों को ध्यान में नहीं रखा गया। मैं तो कहूंगा कि योजना आयोग द्वारा दूसरी योजना की कमियों की अपेक्षा किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि उन्होंने तीसरी योजना का आकार कम नहीं किया है अथवा लक्ष्यों को कम नहीं किया है तो उस का कारण आर्थिक कठिनाइयां हैं। पहली और दूसरी योजना के कार्य में तनिक देर से तेजी आयी और कोयला परिवहन, विद्युत् तथा इस्पात आदि अनेकों क्षेत्रों में लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके। जहां तक तीसरी योजना का सम्बन्ध है उस की स्थिति भी अधिक अच्छी है। प्रथम वर्ष में कृषि उत्पादन में केवल १.६ प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि लक्ष्य ६ प्रतिशत का था। आयोजकों को यह समझना चाहिये कि जब कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो प्राथमिकताओं की प्रणाली शुरु की जानी चाहिये।

योजना की क्रियान्विति को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अकार्यकुशल एवं भ्रष्ट लोगों के साथ हमें कड़ाई का बर्ताव करना चाहिये। तेजी प्रशासकीय प्रणाली का मुख्य अंग है और जो लोग सार्वजनिक हित के विरुद्ध कार्य करते हैं उन के साथ कड़ाई का व्यवहार करना चाहिये। आयोजना के क्षेत्र में एक भयंकर बात यह हुई है कि राज्य पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने की आवश्यकता की आड़ में केन्द्रीय संसाधनों पर हाथ डालने लगे हैं। इस प्रवृत्ति को दबा दिया जाना चाहिये। अर्थ व्यवस्था की बागडोर केन्द्र के हाथों में रहनी चाहिये।

उद्योगों की स्थापना टैक्नीकल आर्थिक आधारों पर ही की जानी चाहिये और राज्य सरकारों द्वारा अपने क्षेत्रों में नये एककों की स्थापना के लिये डाले जाने वाले दबाव को नहीं माना जाना चाहिये। बड़े बड़े उर्वरक संयंत्र वहीं स्थापित किये जाने चाहियें जहां प्रविधार्मिक आधार पर उन की स्थापना उचित हो, अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटे उर्वरक मिश्रण एकक स्थापित किये जा सकते हैं। पहली योजनाओं की सफलता ने भारत में प्रजातन्त्र की रक्षा की है और आशा है कि तीसरी योजना में और भी अधिक सफलता मिलेगी ।

अन्त में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (बिजनौर) : सभापति महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को स्पर्श करने से पूर्व मैं कुछ सामान्य सुझाव इस योजना के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। पहली बात तो विशेष रुप से मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि जितनी भी सुविधायें सरकार की ओर से योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही हैं वह सब गांवों से सिमट सिमट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कर शहरों की ओर आती चली आ रही हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आज गांवों को छोड़कर शहरों की ओर अपना मुंह उठा कर चल रहा है। यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति बराबर बढ़ती रही तो मेरा अपना अनुमान है कि दस वर्षों के पश्चात् धीरे धीरे गांव खाली हो जायेंगे। और वह इस देश की योजना के लिये और इस देश के शासकों के लिये भी पर्याप्त चिन्ता का विषय बन जायेगी। इसलिये हम अपनी योजनायें बनाते समय इस बात को भूल न जायें कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग गांवों में रहता है। इसलिये जो सुविधायें और व्यवस्थायें इस योजना के अन्तर्गत चल रही हैं उस का उसी अनुपात से गांवों को भाग मिलना चाहिये जितनी संख्या में कि इस देश में गांव हैं।

दूसरी बात जो मैं विशेष रुप से कहना चाहता हूं कि वह यह कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम ने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये जितनी संख्या निर्धारित की थी दुःख है कि हम उस में सफल नहीं हो पाये। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी हम ने कुछ संख्या निर्धारित की है लेकिन पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने के लिये जो हम ने एक पग उठाया था उस में जितनी कम सफलता मिली है उस आधार पर मेरा विश्वास है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी अपने हम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पायेंगे। यदि बेरोज़गारों की संख्या इसी प्रकार देश में दिन-प्रति-दिन बढ़ती चली गई, तो हमारी ये योजनायें हमारे लिए बहुत बड़े संकट का कारण बन जायेंगी। मेरा अपना अनुमान यह भी है कि हमारे देश में बरोज़गारी की समस्या जो बहुत बढ़ती चली जा रही है, उस का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे अपने मस्तिष्कों में और विशेषकर हमारी शिक्षा में, श्रम की प्रतिष्ठा का सर्वथा अभाव होता हुआ चला जा रहा है, लोग मेहनत से बहुत दूर हो रहे हैं और कुरसियों पर बैठ कर हुक्म चलाने की प्रवत्ति बढ़ रही है इस प्रकार सरकारी सर्विसों की ओर ही झुकाव बढ़ रहा है। यही कारण है कि हमारे देश में बेरोज़गारों की समस्या या यह कहिए कि देश में लोगों को नौकरियां मिलने की समस्या बहुत गम्भीर रुप धारण करती चली जा रही है।

जहां तक समन्वय का सम्बन्ध है, मैं एक आवश्यक निवेदन यह करना चाहता हूं कि दो योजनायें समाप्त कर अब हम तीसरी पंच-वर्षीय योजना की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज हमारे देश में तीन वर्ग स्पष्ट हैं, जो कि एक दूसरे के साथ समन्वय करने और कन्धा लगाने को तैयार नहीं हैं। हमारे देश में एक वर्ग तो है जनता का है दूसरा सरकार का और तीसरा सरकारी कर्मचारियों का। सभापति जी, अगर आप मुझे आज्ञा दें, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक चौथा वर्ग नेताओं का भी है। दुर्भाग्य से इन चारों वर्गों में आपस में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। जनता अपने को सरकार से पृथक समझती है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी भी अपने को सरकार से पृथक समझते हैं। इस का परिणाम यह है कि हमारी जितनी योजनायें हैं उन में समन्वय के अभाव में पर्याप्त सफलता नहीं मिल रही। जहां तक पहले तीन वर्गों और चौथे वर्ग में, जो कि देश का नेतृवर्ग कहलाता है, उनमें समन्वय और सहयोग की परम अपेक्षा है, वहां एक बहुत बड़ी अपेक्षा यह भी है कि हमारे शासन के विभिन्न विभागों में भी समन्वय हो।

उदाहरण के लिए कृषि मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की ओर ही मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं, जिस में गांवों की बहुत बड़ी संख्या है। वहां इस प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न होती रहती है कि जिस समय किसानों को खेती के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो विद्युत मंत्री की ओर से आदेश तथा निर्देश

दूसरे ढंग के निकलते हैं, जिस का परिणाम यह होता है कि कृषि को जिस का विकास होना चाहिए, समय पर पानी नहीं मिल पाता है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि कृषि मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को एक बनाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को पृथक रखने की आवश्यकता नहीं है ।

इसी तरह शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालयों को पृथक पृथक दो स्थानों पर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही विषय हैं । उन में परस्पर समन्वय न होने के कारण उन में कार्य-भिन्नता होती है और काम में हानि भी होती है ।

जहां तक उद्योग मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय का सम्बन्ध है, उद्योग मंत्रालय अर्थात् उत्पादन करने वाला विभाग दूसरा है और उस उत्पादन की ढुलाई करने वाला विभाग अर्थात् परिवहन मंत्रालय दूसरे हाथों में है । नियोगी समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, उस में भी उस ने इस ओर संकेत दिया था कि परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वह उद्योगों के साथ तालमेल नहीं खाता । इसलिए मेरा विचार है कि यदि उद्योग मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय को भी एक कर दिया जाये, तो अच्छा है ।

इसी प्रकार सांस्कृतिक-कार्य और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के एक होने से दोनों को परस्पर बढ़ने और विकसित होने का अवसर मिलेगा । मेरा तात्पर्य यह है कि समन्वय की भावना जहां जनता और जन नेताओं में अपेक्षित है, वहां प्रशासन में भी अपेक्षित है ।

सभापति जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम ने अपने संविधान में प्रतिज्ञा की थी कि पंद्रह वर्षों में हम अपनी भाषा में अपना कारोबार शुरू कर देंगे । नहीं कहा जा सकता कि उस समय हमारे मस्तिष्कों में जो पवित्रता थी, वह आज नहीं है । सचाई तो यह है कि जब तक जनता-कार्य जनता की भाषा में नहीं होगा, देश का विकास और प्रगति करने में हमें अधिक सफलता नहीं मिल सकती । अभी चार पांच दिन की बात है कि हमारे पब्लिकेशन्ज़ काउंटर से जहां से सदस्यों को लोक सभा की ओर से या सरकार की ओर से छपनेवाली कुछ सामग्री दी जाती है, एक पुस्तिका सदस्यों को दी गई, जिस में यह बताया गया है कि गांवों में सस्ते मकान कैसे बनाए जा सकते हैं । वह पुस्तिका अंग्रेज़ी में छपी हुई है । अब आप ही मुझे बताइये कि कितने गांव वाले इस पुस्तिका को पढ़ कर इस से लाभ उठा सकेंगे । जब मैं जनता की भाषा में जनता का कारोबार करने की बात कहता हूं, तो मेरा आग्रह विशेष रूप से हन्दी के लिए ही नहीं है, बल्कि मैं क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन की भी इच्छा रखता हूं । मैं चाहता हूं कि हमारे देश का कारोबार हमारी अपनी भाषा में बढ़ाना चाहिए और उस के विकास का शीघ्र से शीघ्र अवसर मिलना चाहिए । सभापति जी, आप मुझे इन दुख भरे शब्दों को कहने की भी अनुमति दें कि संविधान बनाते समय हमारे मस्तिष्कों में जो पवित्रता थी, दुर्भाग्य से वह पवित्रता आज हमारे मस्तिष्कों से हिल चुकी है । इस का परिणाम यह है कि जिस सात्विकता भाव से हमने व्रत लिए थे, आज हम उन को उस सात्विकता के साथ पूर्ण करने के लिए उद्यत नहीं हैं ।

इस के बाद मैं अपने देश के नैतिक स्तर के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । आज हम अरबों खरबों की योजनायें तो बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है । इसके लिए उपाय किये जाते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, गुप्तचर विभाग के द्वारा और दूसरे अन्य विभागों के द्वारा, लेकिन जब तक हम अपने देश में नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन भावनाओं को फिर से न जगायेंगे, जिन भावनाओं की पृष्ठभूमि में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पहले हमारे पूर्वजों, ने हमारे ऋषियों और सन्तों ने, इस देश का नैतिक स्तर ऊंचा उठा रखा था, तब तक हम अपनी योजनाओं को पूर्णतया सफल नहीं कर पायेंगे । वह भावना है अपने देश में परमात्मा का विश्वास जगाने की प्रवृत्ति । आप उस को दूसरी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि आज हमारे देश में धीरे-धीरे नास्तिकता बढ़ती जा रही है और आस्तिकता से हमारा देश धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है, जिस का परिणाम यह है कि आज देश में भ्रष्टाचार और इस प्रकार की अनेक बुराइयां फैल रही हैं, जिन के कारण हमारी योजनायें पूर्णतया सफल नहीं हो पाती हैं ।

हमने अपनी तीसरी पंच-वर्षीय योजना बनाते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा है कि मूल्यों में जो वद्धि हो रही है, उस पर किस प्रकार नियत्रण रखें । जिस समय हम इस योजना पर विचार कर रहे हैं, उस समय यह स्थिति थी कि २७ अप्रैल, १९६२ को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य-सूचक अंग १२४.७ था और मई को समाप्त होने वाले सप्ताह में वह १२७ हो गया, जब कि अप्रैल में पहले ही १.५ की वृद्धि हो चुकी थी । योजना आयोग का कहना इस सम्बन्ध में यह है कि तीसरी योजना मुद्रा में तीस प्रतिशत तक वद्धि से कीमतों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है । लेकिन मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब इस सदन में बजट प्रस्तुत होता है और नए-नए कर लगाए जाते हैं, तो उस के साथ ही साथ देश मूल्यों में वृद्धि होती जाती है, जिस का परिणाम यह होता है कि हमारे देश के निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों मूल्य-वृद्धि से कठिनाइयों में फंस जाते हैं यदि योजना बनाने वालों ने योजना बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा, तो आगे चल कर इस के और भी कुपरिणाम हो सकते हैं । इस लिए मैं चाहता हूं कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व आज हम इस बात पर गम्भीरता से निर्णय लें कि हम मूल्यों में वृद्धि को किस प्रकार रोक सकते हैं ।

जहां तक परिवहन सुविधाओं का सम्बन्ध है, मैंने पहले भी नियोगी समिति के इस कथन का उल्लेख किया है कि उद्योगों की ज़रूरतों और परिवहन सुविधाओं के विस्तार में आपस में ताल-मेल नहीं है । उस का परिणाम यह है कि हमारे देश के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है और उत्पादकों में भी निराशा की भावना फैलती है । १९६१ में हमारे देश में लगभग दो करोड़ टन माल की ढुलाई की सुविधा नहीं मिली । उत्पादन पर उस का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । इस योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय १९,००० करोड़ रुपये करने की प्रतिज्ञा की गई है, जब कि शुरू में वह १४,५०० करोड़ रुपये थी, अर्थात् इस योजना में हम राष्ट्रीय आय में ३१ प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहे है । राष्ट्रीय आय में १ प्रतिशत की वृद्धि पर परिवहन सुविधा ढाई प्रतिशत बढ़नी चाहिए और इसलिए अगर हम राष्ट्रीय आय में ३१ प्रतिशत की वृद्धि करते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि परिवहन-सुविधाओं में ७८ प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये । लेकिन योजना आयोग ने जो योजना प्रकाशित की है, उसको देखने से यह प्रतीत होता है कि रेलवेज़ की तरफ तो उन्होंने कुछ ध्यान दिया है कि किस प्रकार से वैगन्ज बढ़ायें और कैसे दूसरी सुविधाओं का विस्तार किया जाय, लेकिन पानी के द्वारा परिवहन और सड़क-परिवहन की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । मैं समझता हूं कि अगर इस योजना में कुछ इस प्रकार की त्रुटियां रह गई है, तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम समय पर उनको सम्हालें ।

आयात और निर्यात नीति के सम्बन्ध में भी कुछ विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूं कि १९६१–६२ में १०७० करोड़ रुपये का आयात हुआ, लेकिन उसमें से केवल १५० करोड़ रुपये की मशीनरी का आयात हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से हमारे देश को दूसरों का मुंह न ताकना पड़े, तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि आयात में हम केवल इस प्रकार की चीजों का आयात करें, जिनसे हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ हो सके और उसको इस विषय में परमुखापेक्षी न होना पड़े। इस दृष्टि से उपभोग वस्तुओं के आयात को हम जितना कम कर सकें, उतना ही अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आयात नीति को जिस समय हम निर्धारित करें तो निर्धारण से पूर्व एक साथ ही बिना सोचे उसकी घोषणा न कर दिया करें। अभी ऐसे हुआ है कि आयात नीति की हमने घोषणा की और उसमें पचास प्रतिशत की कटौती की लेकिन पचास प्रतिशत की इस कटौती के पश्चात फिर आपको उसमें सुधार करना पड़ा और एक्स-रे फिल्मों के सम्बन्ध में तथा किताबों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें देनी पड़ीं। ये तमाम बातें ऐसी थीं जिन के बारे में आपको पहले ही सोच लेना चाहिये था।

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए एक और बात आवश्यक रूप से मैं कहना चाहता हूं। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसमें हमारे देश की गाढ़ी पसीने की कमाई का पैसा तथा विदेशों से लिये गये ऋण जिन को सरकारी उद्योग कहा जाता है, उसमें फंसा हुआ है। १९६१ तक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर ६०५ करोड़ रुपया हमारा देश लगा चुका था। मार्च, १९६३ तक २६३ करोड़ रुपया इसमें और लगने की संभावना है, ऐसा निश्चय किया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि ८७० करोड़ रुपया उसमें लग जायेगा और इतना अधिक रुपया लगाने के पश्चात भी जो आय उससे होगी वह केवल ३ करोड़ २२ लाख अर्थात् ४ प्रतिशत ही होगी। जब कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से इतना दुर्बल है और हम विदेशों से पैसा मांग-मांग कर अपने देश का निर्वाह कर रहे हैं, इतनी भारी मात्रा में पैसा फंसा देना जिससे आय इतनी कम हो, मैं समझता हूं कि कोई बुद्धिमत्तापूर्ण पग नहीं होगा।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह निश्चय किया गया है कि दस करोड़ टन अनाज के उत्पादन का हमारा लक्ष्य होना चाहिये। लेकिन देखने से प्रतीत होता है कि कृषि के अन्दर दस करोड़ टन का जब हमने लक्ष्य रखा है, तो कृषि के उपयोगी साधनों को जहां हमको बढ़ाना चाहिये था, कृषि के उपकरणों को जहां हमें बढ़ाना चाहिये था, वहां हम यह देख रहे हैं कि हम बहुत कुछ निर्भर कर रहे हैं इस बात पर कि रासायनिक खाद अधिक से अधिक जितना हमें प्राप्त हो सके हो, ट्रक्टर आयें और कृषि में भी मशीनी युग आरम्भ हो। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने देश की पुरानी कृषि सम्बन्धी परम्पराओं से इस मशीनी युग में सर्वथा दूर न होते चले जायें। यह सही है कि उत्पादन के मामले में खास कर इस प्रकार के उत्पादनों में जो मशीन केद्वारा होते है, हम मशीनों पर निर्भर करेलेकिन जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, उसके लिये हमको विशेष रूप से अपने देश की उस शक्ति पर भी निर्भर करना पड़गा जो हमारे देश में बैलों की शक्ति कही जाती है तथा उनके द्वारा उत्पन्न होते वाली हरी खाद पर भी निर्भर करना पड़ेगा। आज अमरीका तथा दूसरे देशों का अनुभव इस बात का साक्षी है, कि हम रासायनिक खादों पर सर्वथा निर्भर नहीं कर सकते हैं। अगर मैं भूल नहीं करता हूं तो इस साल मैंने अमरीका के कृषि सम्बन्धी विवरण पढ़ते हुए देखा था कि अमरीका में जिस धरती पर रासायनिक खोदने का निरन्तर प्रयोग किया गया कुछ वर्षों के पश्चात् वह जमीन धीरे धीरे बन्ध्या होने लगी और उन लोगों को निश्चय करना पड़ा कि रासायनिक खादों का प्रयोग एक निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं करना चाहिये। हमारे देश में देखा जा रहा है कि पिछले पन्द्रह वर्षों में बैलों की शक्ति का,

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

गाय की शक्ति का जितना विकास होना चाहिये था, उतना विकास नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका विशेष ध्यान जाये।

सभापति जी, कृषि सम्बन्धी इस बात को कहने के पश्चात मैं एक और बहुत आवश्यक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी हमारे पन्त जी निदेश दे रहे थे कि कल परसों बंगाल के लोगों ने अपनी कुछ समस्या केन्द्रीय सरकार के सामने रखी, असम ने भी अपने तेल की रायल्टी का सवाल हमारे सामने रखा, मध्य प्रशदेश की गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार की कुछ समस्यायें रखीं। यह जो प्रान्तीयता की भावना धीरे धीरे-बढ़ती जा रही है, कहीं एसा न हो कि हमारी जो योजना है, उसके नीचे इस प्रकार का कोई विस्फोट कर दें, जिससे सारी योजना रखी रह जाए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास अभी पुरानी पीढ़ी के कुछ इस प्रकार के नेता है जिससे सारा देश कम से कम ऊपर से एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। परमात्मा न करे कि कल को उनका हाथ हमारे सिर पर न रहे तो क्या होगा लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया तो यह जो पृथकतावादी मनोवृत्ति इसी प्रकार बढ़ी तो हमारी जो अखण्डता है वह खण्डित हो जायेगी और हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जायेंगे, जो कि हम में से कोई भी नहीं चाहता है। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि समय रहते देश को संभाला जाए ऐसी मनोवृत्ति पर रोक लगाई जाये। चेतावनी के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने देश की एकता को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस पृथकतावादी मनोवृत्ति के ऊपर हम नियंत्रण करें, और इस पृथकतावादी मनोवृत्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगायें। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिये, कौन से उपाय काम में लाने चाहिये, यह एक दूसरा ही विषय है, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं।

अन्त में मैं यही कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं कि हमारी योजना चौराहे पर खड़ी है, इसके लिये थोड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हमें पग उठाने की आवश्यकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं योजनाओं का समर्थक हूं और चाहता हूं कि वे सफल हों तथा उन्हें सफल बनाने के लिये हमें सभी संभव प्रयत्न करने चाहिये। पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं का अध्ययन करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इन में किये गये बहुत से वचनों को पूरा नहीं किया गया है।

आज एक साधारण व्यक्ति से पूछा जाये तो इस बात का पता चलता है कि वह बहुत दुखी है। आये दिन कर लगाये जा रहे है या पुराने करों को बढ़ाया जा रहा है। योजना के नाम पर राज्यों में लोगों पर अधिकतम कर लगाने का आतंक पैदा करने वाली मनोवृत्ति देखने में आ रही है। उनमें से कुछ कर तो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। इस प्रश्न की जांच की जाये ताकि लोगों को करों के अधिक भार से बचाया जा सके। सभी राज्यों में इस प्रकार के करों के विरुद्ध खिलाफत की जा रही है।

अब सवाल यह है कि क्या लोगों से लिये गये धन का उपयोग ठीक ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। क्या उन लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है अथवा नहीं जो कि कर देते है। हमें बताया गया है कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। लेकिन देखने में आ रहा है कि वस्तुओं का मूल्य निरन्तर बढ़ रहा है। सरकार मूल्यों की निरन्तर वृद्धि को रोकने में असफल रही है। मूल्यों को स्थिर करने के लिये कोई आयोग अथवा समिति निर्मित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वेतन आयोग ने यह सिफारिश करने में स्थिति की वास्तविकता की उपेक्षा की है कि ५६ नये पैसे में एक व्यक्ति को दिन भर के लिये पर्याप्त भोजन मिल सकता है। दुर्भाग्यवश बाद के बोर्डों तथा न्यायाधिकरणों ने भी इसे स्वीकार कर लिया है जिससे मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल सकी जिससे उनका भली प्रकार गुजारा हो सके। सरकार को मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी सुनिश्चित करनी चाहिये।

पटसन विदेशी मुद्रा कमाने का एक अच्छा साधन है। कुछ स्वार्थी लोग जाली बीजक बना कर चोरी से बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा रहे है। प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे निर्यात के कम बीजक दिखाने की प्रवृत्ति को रोकें जिनके कारण विदेशी मुद्रा की बहुत चोरी होती है। इस प्रकार के अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिये।

अब सवाल यह उठता है कि महालानोविस समिति की स्थापना क्यों की गई है। मालूम हुआ है कि कुछ लोगों को या कुछ वर्गों को बहुत सी अनुज्ञप्तियां दी गई है। इस प्रकार किसी वर्ग विशेष के हाथ में धन एकत्रित होता जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण रोका जाना चाहिये क्योंकि इससे योजना का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या यह सच नहीं है कि नये औद्योगिक लाइसेंस कुछ खास लोगों को ही दिये जा रहे है ?

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय तथा उनके द्वारा प्रधान मंत्री को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कर्मचारी वर्ग का पूरा पूरा सहयोग उन्हें मिलता रहेगा। लेकिन साथ ही उन्हें भी इस बात के आश्वासन की आवश्यकता है कि उन्हें भरपेट भोजन मिलता रहेगा तो यह निश्चय है कि योजना सफल होगी। अन्त में मैं यही आशा करता हूं कि योजना सफल होगी।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, २७ अगस्त, १९६२ / ५ भाद्र, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, २५ अगस्त, १९६२

३ भाद्र, १८८४ (शक)

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

५७५ स्कूलों की श्रंखला . . . १८८३—८५

५७६ राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन . १८८५—८७

५७७ बचत और बढ़ते हुए मूल्य . . १८८७–८८

५७८ कोयले के सम्भरण की स्थिति . . . १८८८–८९

५७९ रूरकेला में उर्वरक सन्यन्त्र . . १८८९—९१

५८० प्रोत्साहन लाभांश योजना . . . . १८९१—९३

५८१ व्यक्तित्व परीक्षण १८९३–९४

५८२ बिजली के भारी सामान का निर्माण . . . १८९४—९६

५८३ स्कूलों में राष्ट्रगीत का गायन . . . . १८९६—९८

५८४ विदेशियों की प्रतिमायें . . . . १८९८—९९

५८५ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड १८९९–१९००

५८७ टेलीफोन व्यवस्था के लिये विश्व बक से ऋण . . . १९०१

५८८ तेल शोधक कारखाने १९०२–०३

५८९ "चाइना टु-डे" . . . . . १९०३—०५

५९० महाराष्ट्र-मसूर सीमा विवाद . . . . १९०५—०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर — १९०६—६५

तारांकित
प्रश्न संख्या

५८६ सरकारी उपक्रमों में भर्ती के लिये लोक-सेवा आयोग . . १९०६

५९१ कोयला खानों के विस्तार के लिये विदेशी मुद्रा ऋण . . १९०६

५९२ जोगता कोयला खान में आग १९०७

५९३ गोआ में मैंगनीज अयस्क की खानें १९०७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

५९४ हंगरी द्वारा प्रस्तावित ऋण १९०८

५९५ डाक द्वारा शिक्षा १९०८

५९६ निवेली तापीय केन्द्र १९०९

५९७ पाकिस्तान से प्राकृतिक गेस १९०९

५९८ अपराधी का राष्ट्रपति से मिलना . . . १९१०

५९९ इटली के सहयोग से इस्पात कारखाने की स्थापना . . १९१०

६०० बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम १९११

६०१ हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल . . . १९११–१२

६०२ भारत में विदेशी बीमा कम्पनियां १९१२

६०३ राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड . . . . १९१२—१४

६०४ तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम . . . १९१४

६०५ ओलम्पिक खेल . . १९१५

६०६ नंगल उर्वरक कारखाना १९१५

६०७ भारत में औद्योगिक परियोजनायें . . १९१५–१६

६०८ टाटा नगर फाउण्ड्री, जमशेदपुर . . १९१६

६०९ अखिल भारतीय सेवायें . . . १९१६

६१० दिल्ली में प्लाटों की कीमतें . . १९१७

६११ सुपरसोनिक जेट विमान . . . १९१७–१८

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१६२७ जनगणना १९१८

१६२८ बहुपति प्रथा १९१८

१६२९ विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि . . . १९१८–१९

१६३० इनामी बाण्डों की बिक्री १९१९

१६३१ अम्बाला छावनी माता कस्तूरबा कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड १९१९–२०

१६३२ अपर डिवीजन क्लर्कों और असिस्टेंटों के पदों का विलय . १९२०

१६३३ दिल्ली में बुनियादी स्कूल १९२०

१६३४ भारतीय प्रशासन सेवा तथा अन्य सेवा में उड़ीसा के विधि स्नातक . १९२०

१६३५ आन्ध्र प्रदेश नें स्त्री शिक्षा १९२१

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
	अतारांकित	
	प्रश्न संख्या	
१६३६	आन्ध्र प्रदेश में विज्ञान मन्दिर	१९२१
१६३७	उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की इमारतें . .	१९२१
१६३८	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टर	१९२२
१६३९	हिमाचल प्रदेश में वृत्तिकाओं व छात्रवृत्तियों का भुगतान .	१९२२
१६४०	केरल के विद्यार्थियों की शिक्षा-यात्रायें .	१९२२–२३
१६४१	अखिल भारतीय सेवायें	१९२३
१६४२	शिक्षा प्रमाणपत्रों का दिया जाना . .	१९२३–२४
१६४३	मिकिर पहाड़ी जिले म पाकिस्तानी राष्ट्रजन . . .	१९२४
१६४४	उत्तर प्रदेश मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिये छात्रवृत्तियां . .	१९२४
१६४५	अम्बरनाथ में पैराशूट कारखाना.	१९२५
१६४६	वेतन आयोग की सिफारिशें . . .	१९२५
१६४७	एम० ई० एस० कर्मचारियों को पहाड़ भत्ता . . .	१९२५–२६
१६४८	केरल, बम्बई और शिमला की लेखा परीक्षा कर्मचारी संस्थायें .	१९२६–२७
१६४९	विदेशी आस्तियों की घोषणा . . .	१९२७
१६५०	विभिन्न करों की बकाया	१९२७–२८
१६५१	जर्मनी में प्रशिक्षित भारतीय इंजीनियर . . .	१९२८
१६५२	माध्यमिक शिक्षा आयोग . . .	१९२९
१६५३	कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच . . .	१९२९–३०
१६५४	घोड़ों की खरीद	१९३०
१६५५	लेखकों आदि को सहायता	१९३०
१६५६	कृषि विकास वित्त निगम . . .	१९३१
१६५७	स्कूलों की शृंखला	१९३१
१६५८	मंगलौर में उर्वरक कारखाना	१९३१
१६५९	जैसलमेर जिले में भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	१९३१–३२
१६६०	भिलाई इस्पात कारखाने में दुर्घटनायें . . .	१९३२
१६६१	टेलीविजन द्वारा शिक्षा	१९३२–३३
१६६२	अन्वीक्षाधीन व्यक्ति की मृत्यु	१९३३
१६६३	उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड . . .	१९३३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६६४ बरेली में पाकिस्तानी वायु सेना अधिकारी की गिरफ्तारी . १९३३–३४
१६६५ जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र के लिये भारतीय प्रशिक्षणार्थी . १९३४
१६६६ समवायों द्वारा बोनस अंश जारी करना . १९३४
१६६७ उड़ीसा में योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां १९३५
१६६८ त्रिपुरा में आश्रम स्कूल . . . १९३५
१६६९ सेवा निवृत्ति वेतन के विचाराधीन मामले १९३५
१६७० असम का वित्तीय सहायता १९३६
१६७१ केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड . १९३६
१६७२ धार्मिक और नैतिक शिक्षा १९३६–३७
१६७३ भारतीय सैन्य कर्मचारियों द्वारा विदेशी सम्वाददाताओं को भेंट की अनुमति . .. १९३७
१६७४ पुस्तकाध्यक्षों की सेवायें . १९३७
१६७५ दिल्ली में बाल संग्रहालय १९३७–३८
१६७६ शिक्षा विकास योजनाएं . . १९३८
१६७७ स्कूलों में शिक्षण शुल्क १९३८–३९
१६७८ उड़ीसा को सीमेंट का सम्भरण . . १९३९
१६७९ उड़ीसा के लिये कोयला . . १९३९–४०
१६८० मोजूडीह में कोयला साफ करने का कारखाना १९४०
१६८१ चित्तौड़गढ़ सेनिक स्कल १९४०
१६८२ आर्मी आर्डनेंस कोर . . १९४१
१६८३ असम सरकार को सहायता अनुदान १९४१
१६८४ पंजाब में निरधिसूचित क्षेत्र . . १९४२
१६८५ सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी को दी गयी विदेशी मुद्रा १९४२
१६८६ सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी १९४३
१६८७ सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी द्वारा डीप शैफ्ट खनन प्रणाली का अध्ययन . . . १९४३
१६८८ आन्ध्र में हीरे की खानें १९४३–४४
१६८९ प्रविधिक कर्मचारी १९४४
१६९० कल्याण पदाधिकारी १९४४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६९१	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु	१९४४–४५
१६९२	देशबन्धु कालेज, कालकाजी . .	१९४५
१६९३	राष्ट्रीय पंचांग . .	१९४५
१६९४	सोने का उत्पादन	१९४५–४६
१६९५	सिविल जनरल ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कर्मचारी . .	१९४६
१६९६	भारी इंजीनियरिंग उद्योग . . .	१९४६–४७
१६९७	गारो पहाड़ियां कोयला क्षत्र . . .	१९४७
१६९८	दया याचिकायें . . .	१९४७
१६९९	ओल्पाद क्षेत्र में तेल	१९४७–४८
१७००	लोहे और इस्पात के स्टाक होल्डर	१९४८
१७०१	इण्डियन आयल कम्पनी का दफ्तर	१९४९
१७०२	भारी इस्पात उद्योग	१९४९–५०
१७०३	बकाया आयकर	१९५०
१७०४	मैसूर में राजनीतिक पीड़ित . .	१९५०–५१
१७०५	त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्रों में सहकारी संस्था . . .	१९५१
१७०६	पटसन निर्यात का कम बीजक बनाना . . .	१९५१
१७०७	भंडारा के समीप आयुध कारखाना . . .	१९५२
१७०८	पब्लिक स्कलों के लिये पारितोषिक . . .	१९५२
१७०९	दिल्ली में स्टाम्प बेचने वालों का कमीशन . .	१९५३
१७१०	पंजाब के सीमा क्षेत्रों का विकास . .	१९५४
१७११	नूनमती—बरौनी पाइपलाइन . . .	१९५४
१७१२	लौह मिश्रधातु और विशेष इस्पात . . .	१९५४—५६
१७१३	ए० ई० सी० सेण्टर, पचमढ़ी . .	१९५७
१७१४	राष्ट्रीय भावात्मक एकता सम्बन्धी पुस्तकें . . .	१९५७
१७१५	अंकलेश्वर के तेल और गैस के निक्षेप .	१९५७—५९
१७१६	गुजरात में तेल की खोज . .	१९५८
१७१७	अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस . .	१९५८–५९
१७१८	खम्भात अंकलेश्वर और बड़ौदा के बनाये गये मकान .	१९५९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७१९ विश्वविद्यालय परीक्षाओं के असफलताएं . १९५९

१७२० विदेश भेजे गये अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी . . १९६०

१७२१ जम्मू व काश्मीर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी . १९६०–६१

१७२२ राजस्थान में उर्वरक कारखाना १९६१

१७२३ शान्ति निकेतन की बी० ए० डिग्री . १९६१

१७२४ विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन . . . १९६१–६२

१७२५ नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि० की दिल्ली शाखा का मैनेजर . १९६२

१७२६ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी और सैनिक अकादमी के कैडिट . १९६२

१७२७ पंजाब में तेल पाइप लाइन का निर्माण . १९६३

१७२८ भारतीय सेना का इतिवृत्त . १९६३

१७२९ दिल्ली में लावारिस बच्चे १९६४

१७३१ कुशीनगर में खुदाई . . १९६४

१७३२ राजस्थान भारत सेवक समाज को अनुदान . १९६४–६५

१७३३ कोयला धोने के कारखाने १९६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९६५–६६

(१) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम १९६२ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १८ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८७ में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) पांचवां संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(२) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०६३ ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, १९६२ में प्रकाशित दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०६७ ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ और समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र—(क्रमशः)

१८ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८३ में प्रकाशित सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) संशोधन नियम, १९६२।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . १९९६

पांचवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . १९९७—९१

२२ जून, १९६२ को श्री नाथपाई द्वारा प्रस्तुत तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई। श्री मुरारका ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में एक अन्य प्रस्ताव, जो कि उस वक्तव्य के सम्बन्ध में था जो २२ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया था, प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, २७ अगस्त, १९६२/५ भाद्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा।

GMGIPND—LS III—1763 (Ai) LSD—27-12-62—150.